लोक-सभा

वाद-विवाद

मंगलवार,
२६ जुलाई, १९५५

1st Lok Sabha

(भाग १— प्रश्नोत्तर)

खंड ४, १९५५

(२५ जूलाई से २० अगस्त, १९५५)

दशम सत्र, १९५५

(खण्ड ४ में अंक १ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

842 LSD

विषय-सूची

	स्तम्भ
अंक १—सोमवार, २५ जुलाई, १९५५	
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	१
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १ से ४, ६ से १५, १७ से २२, २४, २५, २७, २९ से ३३, ३६ और ३७	१–४५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५, १६, २३, २६, २८, ३४, ३५ और ३८ से ५२ .	४५–४८
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से १४ .	१८–६६
अंक २—मंगलवार, २६ जुलाई, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५३, ५५, ५६, ५८, ७३, ५९ से ६८, ७०, ७२ से ७५, ७८ और ८० . .	६७–१११
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५४, ५७, ६९, ७१, ७६, ७७, ७९ और ८१ से११७	१११–१३५
अतारांकित प्रश्न संख्या १५ से ४२, ४४ और ४५	१३५–१५२
अंक ३—बुधवार, २७ जुलाई, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११८ से १२५, १२७ से १२९, १३१ से १३४, १३६ से १३८, १४१, १४२, १४४ से १५५ .	१५३–१९७
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ .	१९७-२०३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३०, १३५, १३९, १४०, १४३, १५६ से १६३	२०३–२१०
अतारांकित प्रश्न संख्या ४६ से ७३	२१०–२२४
अंक ४—गुरुवार, २८ जुलाई, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १६४ से १६९, २०२, १७० से १७२, १७४ से १७७, १७९ से १८१, १८३ से १८५, १८७, १८८ और १९० से १९२	२२५–२६६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७८, १८२, १८६, १८९, १९३ से २०१, २०३ से २१६	२६६–२८२
अतारांकित प्रश्न संख्या ७४ से ९१ . . .	२८२-२९२

	स्तम्भ
अंक ५—शुक्रवार, २९ जुलाई, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २१७ से २२१, २२३ से २२७, २२९ से २४०, २४२, २४५, २४८ से २५४ .	२९३ ३४४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २२२, २२८, २४१, २४३, २४४, २४६, २४७, २५५ से २७३ . .	३४४–३५८
अतारांकित प्रश्न संख्या ९२ से १२५	३५८ -३८२
अंक ६—सोमवार, १ अगस्त, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २७५, २७७, २८० से २८२, २८५ से २९२, २९५ से २९९, ३०३ से ३०५, ३०७, ३०९, ३११, ३१२, ३१४, २७६, २८३, २९३, ३०६, ३१३ और ३०८ .	३८३ -४२१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २७८, २८४, २९४, ३००, ३०१ और ३१० .	४२१–४२४
अतारांकित प्रश्न संख्या १२६ से १४७ . .	४२४–४३६
अंक ७—मंगलवार, २ अगस्त, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३१५ से ३१७, ३१९, ३२०, ३२२ से ३३२, ३३४, ३३५, ३३७, ३३८, ३४०, ३४२, ३४४ से ३४९, ३५१, ३५२ और ३५४ .	४३७ ४८१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३२१, ३३३, ३३६, ३३९, ३४१, ३४८, ३५३, ३५५ और ३५६ . .	४८१ ४८५
अतारांकित प्रश्न संख्या १४८ से १६७ .	४८५ -४९९
अंक ८—बुधवार, ३ अगस्त, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३५७ से ३५९, ३६४ से ३६८, ३७० से ३७५, ३७७, ३७९ से ३८४, ३८६ से ३९२, ३९५, ३९८ से ४०० और ४०२ .	४९९ ५४५
अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ .	५४५ ५४९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३६०, ३६१, ३६३, ३६९, ३७६, ३७८, ३८५, ३९३, ३९४, ३९६, ३९७, ४०३ से ४११ और ४१३ से ४१८ .	५४९ ५६२
अतारांकित प्रश्न संख्या १६८ से १९८	५६२ ५८४

अंक ९—गुरुवार, ४ अगस्त १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४१९, ४२०, ४२४ से ४२९, ४३१, ४३२, ४३४ से ४३७, ४४०, ४४३, ४४५, ४४७, ४५० से ४५६, ४५९ से ४६१ और ४२३ ५८५-६२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४२१, ४३०, ४३३, ४३८, ४३९, ४४१, ४४२ ४४४ ४४९ और ४५७ . . ६२५ ६३१

अतारांकित प्रश्न संख्या १९९ से २१४ ६३१-६४२

अंक १०—शुक्रवार, ५ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६३, ४६२, ४६४ से ४६७, ४९३, ४६९, ४६८, ४७१ से ४७५, ४७७ से ४८१, ४८४ से ४८६ और ४८८ से ४९२ ६४३ ६८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७०, ४७६, ४८३, ४८७, ४९४ से ४९६, ४९८ और ५०० से ५०२ . . ६८९ ६९५

अतारांकित प्रश्न संख्या २१५ से २२८ ६९५ ७०४

अंक ११—सोमवार, ८ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०४ से ५०६, ५०८ से ५१४, ५१६, ५१९ से ५२२, ५२६ से ५३१, ५३६ से ५३८, ५४०, ५४२, ५४४ से ५४६ और ५४८ से ५५० . ७०५ ७४९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०३, ५०७, ५१५, ५१७, ५१८, ५२४, ५२५,५३२ से ५३५, ५३९, ५४३, ५४७ और ५५१ से ५६० ७५०-७६३

अतारांकित प्रश्न संख्या २२९ से २५७ . . ७६३-७८०

अंक १२—मंगलवार, ९ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६१, ५६२, ५६४ से ५६७, ५६९, ५७०, ५७३ से ५७६, ५७८, ५८१, ५८२, ५८४ से ५९०, ५९७, ६००, ५६८,५९२ ५६३, ५९१ और ५९३ . ७८१—८२३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . ८२४—८२६

	स्तम्भ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५७१, ५७२, ५७७, ५७९, ५८०, ५८३, ५९४, ५९५, ५९६, ५९८ और ५९९	८२६–८३२
अतारांकित प्रश्न संख्या २५८ से २८३	८३२–८४८
अंक १३—बुधवार, १० अगस्त, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६०१ से ६०३, ६०५ से ६१५, ६१८, ६२० से ६२२, ६२६, ६२७, ६३१ से ६३३, ६३५ से ६३७, ६३९ से ६४२ और ६४४ . . .	८४९–८९२
प्रश्नों के लिखित उत्तर —	
तारांकित प्रश्न संख्या ६०४, ६१६, ६१७, ६१९, ६२३ से ६२५, ६२९, ६३०, ६३४, ६३८, ६४३, ६४५ से ६५७, ६५९ और ६६०.	८९२–९०६
अतारांकित प्रश्न संख्या २८४ से ३०३ .	९०६–९१८
अंक १४—शुक्रवार, १२ अगस्त, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६६१ से ६६७, ६६९, ६७२ से ६७८, ६८०, ६८२ से ६८८ और ६९० से ६९३ . . .	९१९ ९६०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६६८, ६७०, ६७१, ६७९, ६८१, ६८९ और ६९४ से ७०२	९६१–९६९
अतारांकित प्रश्न संख्या ३०५ से ३०८, ३१० से ३१२ और ३१४ से ३४३ .	९६९–९९४
अंक १५—शनिवार, १३ अगस्त, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७०३, ७०४, ७१०, ७०५ से ७०७, ७११, ७१३, ७१५ से ७१७, ७१९, ७२२, ७२४, ७२५, ७३०, ७३१, ७३४, ७३५, ७३७ से ७३९, ७०९, ७२९ और ७३२	९९५–१०३२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . .	१०३२ १०३५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७०८, ७१२, ७१४, ७१७, ७१८, ७२०, ७२१, ७२३, ७२६ से ७२८, ७३३, ७३६ ७४०, २७९ और ३०२ .	१०३५–१०४३
अतारांकित प्रश्न संख्या ३४४ से ३५६ .	१०४३–१०५०

अंक १६—मंगलवार, १६ अगस्त, १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४१, ७४५, ७४६, ७४९, ७५३ से ७५५, ७५७ से ७५९, ७६२, ७६७, ७६८, ७७०, ७७२ से ७७४, ७७६ से ७८०, ७८९, ७८२, ७८४ से ७८६, ७८८, ३१८, ४९७ और ७६४. १०५१-१०९६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . १०९७–११००

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४२ से ७४४, ७४७, ७४८, ७५० से ७५२, ७५६, ७६०, ७६१, ७६३, ७६५, ७६६, ७६९, ७७१, ७७५, ७८१, ७८३, ७८७ और ३४३ . . . ११००–१११३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५७ से ३८१ १११३–११२८

अंक १७—बुधवार, १७ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९० से ७९२, ७९६, ७९७, ७९९ से ८०९, ८११, ८१२, ८१४ से ८१६, ८१८, ८२२, ८२३ और ८२५ से ८२९ ११२९–११७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९३ से ९९५, ७९८, ८१०, ८१३, ८१७, ८१९ से ८२१, ८२४, ८३० से ८५१, ३६२ और ४०१ ११७३–११९३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८२ से ४३५ ११९३–१२२८

अंक १८—गुरुवार, १८ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५३, ८५४, ८५७ से ८६५, ८६९, ८७०, ८७२, ८७३, ८७६, ८७७, ८७९, ८८१, ८८२, ८८४, ८८८, ८५५, ८७१, ८८०, ८८७ और ८७५ . १२२९-१२७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५२, ८५६, ८६६ से ८६८, ८७४, ८७८, ८८३, ८८५ और ८८६ . . १२७६–१२८२

अतारांकित प्रश्न संख्या ४३६ से ४५१ . १२८२–१२९२

अंक १९—शुक्रवार, १९ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८८९, ८९३, ८९८, ९००, ९०२ से ९०४, ९०६ से ९१०, ९१२, ९१३, ९१६, ९१७, ९२०, ९२३, ९२४, ९२६ से ९२८, ९३०, ४८२, ८९९, ८९४, ८९७, ८९५, ९०५ और ९१४ . . १२९३–१३३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ८९० से ८९२, ८९६, ९०१, ९११, ९१८, ९१९, ९२१, ९२२, ९२५ और ९२९ १३३६–१३४५

अतारांकित प्रश्न सख्या ४५२ से ४७२ १३४५ १३५८

अंक २०——शनिवार, २० अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या ९३३ से ९३५, ९४०, ९४१, ९४३ से ९४५, ९४७, ९४८, ९५० से ९५३, ९५७, ९५९ से ९६२, ९६८, ९७०, ९७१, ९७४, ९७५, ९३१, ९३८, ९३६, ९४९, ९५४, ९६५ और ९७२ . १३५९ -१४०३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ १४०३–१४०८

प्रश्नों के लिखित उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या ९३२, ९३७, ९३९, ९४२, ९४६, ९५५, ९५८, ९६३, ९६४, ९६६, ९६७, ९६९ और ९७३ . . . . १४०८–१४१४

अतारांकित प्रश्न संख्या ४७३ से ५१३ . . . १४१४–१४३८

समेकित विषय सूची . . . . . .

लोक सभा

मंगलवार, २६ जुलाई, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

गांधी नेत्र औषधालय (आई हस्पताल)

*५३. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांधी नेत्र औषधालय की चलती फिरती टुकड़ी ने काश्मीर में जो सेवाएं की हैं उनका ब्योरा क्या है; और

(ख) वहां किये गये कार्य के लिये भारत सरकार ने इस टुकड़ी को कितनी वित्तीय सहायता दी है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) सूचना के साथ एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या १६**]

(ख) १५००० रुपये ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या नेत्र विज्ञान संस्था को कोई आवर्तक या अनावर्तक अनुदान दिया जाता है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : हां, उस संस्था में नेत्र विज्ञान की स्नातकोत्तर शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये १९५३–५४ में २०,००० रुपये का एक आवर्तक अनुदान दिया जाता है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या यह संस्था निकट भविष्य में अलीगढ़ विश्वविद्यालय से संलग्न की जाने वाली है; यदि हां तो इस संबन्ध में निर्णय कब किया गया था?

श्रीमती चन्द्रशेखर : हां, यह संस्था मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ द्वारा ही स्थापित की हुई है ।

वनमहोत्सव

*५५. **श्री बर्मन** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री निम्न जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) "वनमहोत्सव" के अन्तर्गत प्रत्येक नगर में तथा प्रतिवर्ष अब तक कुल कितने वृक्षों का रोपण किया गया है;

(ख) इनमें से कितने वृक्ष बचे हैं;

(ग) कितने वृक्ष इमारती लकड़ी वाले हैं और कितने फल देने वाले हैं; और

(घ) अब तक इन पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) (क) और (ख). प्रत्येक स्थान-सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । १९५०, १९५१ तथा १९५२ के **वनमहोत्सवों** में राज्य-वार लगाए गए तथा बचे हुए वृक्षों की संख्या को दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १७**] १९५३ के आंकड़े अभी तक कुछ राज्यों से प्राप्त नहीं हुए

हैं और १९५४ के आंकड़े अगले वर्ष प्राप्त होंगे।

(ग) इमारती लकड़ी वाले वृक्षों के बारे में कोई पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फलदार वृक्षों की संख्या प्रश्न के भाग (क) तथा (ख) के उत्तर में सभा-पटल पर रखे गए विवरण में दी गई है।

(घ) केन्द्रीय सरकार का व्यय मुख्यतया पारितोषिकों, उपहारों तथा प्रचार आदि पर हुआ है। वनमहोत्सव के आरम्भ से ही, अर्थात् १९५० से, समस्त व्यय ५०,००० रुपए से कम ही रहा है।

श्री बर्मन : क्या मैं जान सकता हूं कि किन किन राज्यों ने स्वतः अथवा केन्द्रीय प्रोत्साहन पर प्रत्येक जिले में पौधशालाएं खोली हैं ताकि ग्रामीण वर्ष में एक दिन के बजाए सारे वर्ष भर उन पौधशालाओं से अपने लिए पौधे ले सकें ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे प्रत्येक जिले के बारे में तो ठीक पता नहीं है, किन्तु राज्य सरकारों ने लोगों को पौधे देने के लिए विस्तृत कार्यवाही की है।

श्री बर्मन : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या प्रत्येक राज्य में वृक्षारोपण के कोई लक्ष्य हैं, यदि हां, तो क्या राज्य सरकारें उनके अनुसार कार्य कर रही हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : हमने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में राज्यों में पारस्परिक प्रतियोगिता हो और अधिक-से अधिक वृक्ष लगाए जाएं।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कोई ऐसी सूचना उपलब्ध है कि किस राज्य में सबसे अधिक पौधे बचे तथा किस राज्य में सबसे कम ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे खेद है कि मैंने इस प्रकार आंकड़ों का विश्लेषण नहीं किया है, किन्तु सामने बैठे हुए एक संसद् सदस्य ने यह दावा किया था कि कई स्थानों पर उन्होंने एक भी पौधे को जीवित नहीं देखा था।

श्री बोगावत : क्या यह सच है कि रोपे गए वृक्षों की तुलना में बहुत ही कम वृक्ष बचते हैं और इसलिए इस बात पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

डा० पी० एस० देशमुख : हम इस विषय पर अधिक से अधिक ध्यान देने की चेष्टा करते हैं, और हमारे वन विशेषज्ञों के अनुसार जीवित बचने वाले वृक्षों की संख्या बहुत असन्तोषजनक नहीं है।

श्री कामत : क्या मंत्री महोदय के कहने पर कई राज्यों में वनमहोत्सव के साथ साथ वन्य-पशु दिवस मनाया गया था अथवा यह केवल कुछ राज्यों ने वन्य पशुओं के प्रति प्रेम प्रकट करने के लिए इसे मनाया था ?

डा० पी० एस० देशमुख : हमारी यह इच्छा थी कि लोगों का ध्यान वन्य-पशुओं के संरक्षण की ओर भी दिलाया जाए।

श्री पुन्नूस : मंत्री महोदय ने जो आंकड़े दिए हैं क्या वे केवल राज्य सरकारों द्वारा दिए गए विवरणों से नकल किए गए हैं। अथवा क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बात की जांच की है कि वास्तव में इतने वृक्ष जीवित बचे हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : हमें राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। हमारे पास जांच करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : क्या सरकार ने स्थानीय निकायों तथा नगरपालिकाओं

द्वारा इन वृक्षों के परिरक्षण पर होने वाली औसत लागत का अनुमान किया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जहां तक हमें ज्ञान है, वृक्ष लगाने की वास्तविक लागत बहुत ही साधारण होती है ।

कुछ माननीय सदस्य उठे–

उपाध्यक्ष महोदय : वनमहोत्सव पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है ।

यात्री यातायात की गणना

*५६. **श्री पुन्नूस** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भारतीय रेलवे में यात्री यातायात की गणना करने का विचार करती है;

(ख) यदि हां, तो गणना के कब से आरंभ किये जाने की आशा है;

(ग) उसके परिणाम कब उपलब्ध होंगे; तथा

(घ) इस प्रयोजना के लिये किन लाइनों को चुना गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (घ). सामान्य रूप से रेलवे प्रशासन द्वारा प्रत्येक गाड़ी से यात्रा करने वाले यात्रियों की गणना सावधिक रूप से की ही जाती है और कभी यह गणना तीन महीने में एक बार कभी छः महीने में एक बार की जाती है । साधारणतया यह गणना सारी गाड़ियों की होती है इसके अतिरिक्त यदि किसी विशेष प्रयोजन के लिये जानकारी की आवश्यकता होती है तो विशेष गणना करने की आज्ञा दी जाती है और अब ऐसी कोई गणना करने का विचार नहीं है ।

श्री पुन्नूस : क्या मैं जान सकता हूं कि कई विशेष गाड़ियों में जैसा कि कोचीन एक्सप्रैस मंगलौर एक्सप्रैस तथा त्रिवेंद्रम एक्सप्रैस में अधिक भीड़ भाड़ के बारे में भी विशेष गणना की गई है ?

श्री अलगेशन : जी हां, अभी हमने रेलवे प्रशासन से ऐसी गणना करने को कहा है ताकि भीड़ की अधिकता का अध्ययन किया जा सके ।

श्री हेडा : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि जब हम किसी गाड़ियों विशेष में भीड़ भाड़ होने के सम्बन्ध में मंत्री महोदय अथवा रेलवे बोर्ड के पास शिकायत करते हैं तो उनका सामान्य उत्तर यह होता है कि भीड़ भाड़ इतनी अधिक नहीं है, क्या मैं जान सकता हूं कि इस समय रेलवे के पास कौनसी व्यवस्था है जिससे यह पता लगाया जाय कि भीड़ भाड़ है या नहीं ?

श्री अलगेशन : जहां तक मुझे स्मरण है, जब भी माननीय सदस्यों के अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं, हम उन्हें पूरा करने का प्रयास करते हैं वास्तव में, स्वयं हैदराबाद के मामले में ऐसा ही किया गया था। हमने एक अतिरिक्त हैदराबाद-दिल्ली डिब्बा बढ़ाया था ।

श्री एम० एल० द्विवदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो यात्री गणना की जायगी उससे क्या लाभ होंगे और जो लाभ होंगे उनको कार्यान्वित करने के लिये रेलवे क्या कार्यवाही करने की सोचती है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : शायद माननीय सदस्य ने वह जवाब सुना नहीं जो डिप्टी मिनिस्टर साहब ने दिया कि यह जो सेंसस होती है यह तो हमारा रुटीन काम है जिसको हम महीने में तीन महीने में, ६

महीने में करते हैं, और उसके मुताबिक जैसा नतीजा निकलता है या तो नई गाड़ियां बढ़ाते हैं, या ट्रेन्स को एक्सटेंड करते हैं या नई बोगीज़ वगैरह लगाते हैं ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या मैं जान सकता हूं कि ग्रांड ट्रंक ऐक्सप्रेस तथा मद्रास जाने वाली गाड़ियों में जिनमें भीड़ की अधिकता सर्वमान्य है, भीड़ को कम करने के क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न केवल गणना से सम्बंधित है । गणना के बाद जो कुछ होता है वह एक विभिन्न मामला है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : श्रीमान् मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि प्रश्न संख्या ७३ को प्रश्न संख्या ५८ के साथ मिला दिया जाये ?

उपाध्यक्ष महोदय : हां, प्रश्न ५८ और ७३ का उत्तर इकट्ठा ही दिया जाये ।

कुष्ट रोग की रोकथाम

*५८. **डा० रामा राव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या बेलजियम से कुष्ट नियंत्रण एकक का कोई दल मद्रास पहुंचा है;

(ख) यदि हां, तो एकक के सदस्यों के क्या नाम हैं; और

(ग) भारत में वे किस प्रकार कार्य करेंगे ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) जी हां ।

(ख) डा० फ्रेंज़ हेमरीजिक्स, डा० (कुमारी) मी० वेलट, कुमारी एस० लिजियोइस तथा श्रीमती एच० एन० वर्ग ।

(ग) यह दल मद्रास के चिंगलपुट ज़िले के पोलमबक्कम क्षेत्र में कुष्ट नियंत्रण का कार्य करेगा ।

कुष्ट

*७३. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में कुष्ट रोग के नियंत्रण के लिये उसका कोई कुष्ट सम्बन्धी सर्वेक्षण करने का विचार रखती है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री श्रीमती (चन्द्रशेखर): इस समय ऐसा कोई सर्वेक्षण करने का विचार नहीं है क्योंकि कुष्ट नियंत्रण योजना के अन्तर्गत जो सहायक केन्द्र स्थापित किये गये हैं उनके पास जो जानकारी उपलध है वही सम्बद्ध क्षेत्रों में रोग की स्थिति को दर्शायेगी । इसके नियंत्रण के उपाय सर्व विदित हैं और राज्यों को जहां तक वे कर सकत हैं इन्हें कार्यान्वित करने की आवश्यकता का पूरा पूरा ज्ञान है ।

डा० रामा राव : क्या मैं इस सम्बन्ध में भारत सरकार की कोई वित्तीय वाक्-बद्धताओं को जान सकता हूं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : भारत सरकार की कोई वित्तीय वाक्बद्धता नहीं है ।

डा० रामा राव : जब कि कुष्ट नियंत्रण के कोई विशेष प्रयास सराहनीय हैं तो भारत सरकार ने आंध्र के एक केन्द्र में पांच या छः महीने से जो चिकित्सक तथा उसके कर्मचारी नियुक्त किए हुए हैं और उन्हें औषधियां तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का संभरण नहीं किया है जिसके परिणाम स्वरूप कर्मचारी तथा चिकित्सक खाली बैठे हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर: यह घटना विशेष इससे पहले मंत्रालय के ध्यान में नहीं लाई गई थी; मैं इस सम्बन्ध में जांच कराऊंगी ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार: क्या मैं जान सकता हूं कि यदि कुष्ट नियंत्रण के लिए इस दल द्वारा कोई विशेष टैकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है और उन्हीं टैकनीकों के लिये जिन्हें हम जानते हैं, विदेशियों को बाहर से क्यों बुलाया गया है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर: यह विदेशियों को बाहर से बुलाने का प्रश्न नहीं है; यह तो पारस्परिक सुहृदयता की भावना का द्योतक है, हमने १९५३ में जिस समय वहां विनाशकारी बाढ़ें आई उसकी कुछ सहायता की थी और यह उसी के बदले में किया जा रहा है ।

श्री विश्वनाथ राय: क्या सरकार हिन्द कुष्ट निवारक संघ को, जिसने कि पहले से ही देश के कुछ भागों में अपना काम आरम्भ कर रखा है कुछ सहायता देने की प्रस्थापना करती है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर: सरकार हिन्द कुष्ट निवारक संघ को सहायता देती रही है ।

मछली पकड़ने की नावों का यंत्रीकरण

*५९. **श्री नानादास**: क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक कितने अर्ध-डीज़ल एंजिन मछली पकड़ने की नावों के यंत्रीकरण के लिये मंगाए गए हैं तथा उनकी कीमत क्या है; और

(ख) वे किन किन देशों से मंगवाये गए हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) उनचास, जिन पर लगभग ५,००,००० रुपये की लागत आई है ।

(ख) स्वीडन

श्री नानादास: क्या किन्हीं राज्यों में इन इंजनों का परीक्षण किया गया है और यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और उन परीक्षणों के क्या परिणाम रहे ?

डा० पी० एस० देशमुख: यदि माननीय सदस्य हमारे द्वारा विभिन्न राज्यों को दिये गये एंजिनों की संख्या जानना चाहते हैं, तो मैं वह बता सकता हूं : बम्बई २०, मैसूर २०, त्रावनकोर-कोचीन ५ और उड़ीसा ४ । कुछ लोग तो उन एंजिनों से संतुष्ट हैं और कुछ अभी उनका परीक्षण कर रहे हैं ।

श्री नानादास: क्या सरकार इन एंजिनों को आंध्र के मछली पकड़ने वालों को भी देगी ।

डा० पी० एस० देशमुख: जहां भी यह लाभदायक होते हैं, इनका संभरण कर दिया जाता है । यदि आंध्र में यह लाभदायक हुए तो निस्संदेह हम निश्चय ही इस विषय पर विचार करेंगे ।

श्री नानादास: क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार मछली पकड़ने वालों को किस प्रकार का प्रोत्साहन दे रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख: अधिकतर योजनायें वास्तव में राज्य सरकारों द्वारा ही क्रियान्वित की जाती हैं । इन मशीनों तथा एंजिनों का वितरण एक प्रवर्तित समझौते के अन्तर्गत होता है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: क्या यह मशीनें मछली पकड़ने वालों को ऋणों के रूप में अथवा अनुदानों के रूप में दी जाती हैं

और उनसे क्या प्रतिभूति देने को कहा जाता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास ब्यौरा नहीं है परन्तु हम ५० प्रतिशत की वित्तीय सहायता देते हैं ।

श्री वेलायुधन : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ये विशेष प्रकार के डिजिल एंजिन भारत में निर्माण नहीं किये जा सकते हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : ध्यान-पूर्वक विचारोपरान्त हमने इसे ही अत्युत्तम समझा, नावों के एंजिन भारत में नहीं बनाये जाते हैं ।

श्री एम० डी० जोशी : बम्बई राज्य में यह मशीनें कब से कार्य कर रही हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे खेद है कि मेरे पास समय सम्बंधी जानकारी नहीं है ।

श्री पुन्नूस : क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि स्थानीय मछली पकड़ने वाले इस यंत्रीकरण को बड़ी आशंका की दृष्टि से देखते हैं ? क्या सरकार ने उनके भय के आधार की जांच की है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : माननीय सदस्य किस स्थान की ओर निर्देश कर रहे हैं ?

श्री पुन्नूस : मैं त्रावनकोर-कोचीन के सम्बन्ध में कह रहा हूं ।

श्री ए० पी० जैन : मैं स्वयं वहां हो आया हूं और मैंने वहां कोई ऐसा भय नहीं देखा ।

श्री पुन्नूस : क्या मैं यह समझ लूं कि मंत्रालय को वे सूचनायें प्राप्त नहीं होती हैं जो कि स्थानीय पत्रों में प्रकाशित हो रही हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के पास कोई अभ्यावेदन नहीं आया । उनका अभिप्राय यही है ।

रेलों में बिजली लगाना

*६०. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी रेलवे के कुछ विभागों में बिजली लगाने की कोई प्रस्थापना है;

(ख) यदि हां, तो उन विभागों के क्या नाम हैं जिनका १९५५ में विद्युतन किया जायेगा; और

(ग) इस पर कितना अनुमानित व्यय होगा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) अभी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

श्री डी० सी० शर्मा : इसका क्या कारण है कि उत्तर रेलवे के विभागों को विद्युतन के लिये ध्यान में नहीं रखा जा रहा है जब कि अन्य रेलवेज के विभागों को ध्यान में रखा जा रहा है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : हम उत्तरी रेलवे के विद्युतन कार्यक्रम पर तीसरी पंचवर्षीय योजना में विचार करेंगे ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या माननीय मन्त्री को यह तथ्य ज्ञात है कि भाखड़ा-नांगल परियोजना द्वारा अत्यधिक परिमाण में विद्युत शक्ति उत्पन्न की जाने को है और उस शक्ति को उत्तरी रेलवे के कुछ विभागों का विद्युत न करने के लिये प्रयुक्त किया जा सकता है ।

श्री शाहनवाज़ खां : उपलब्ध होने वाली विद्युत शक्ति के अत्यधिक परिमाण के अतिरिक्त विद्युतन करने के लिये अपेक्षित दूसरा महत्वपूर्ण बात यातयात की अधिकता है अभी यातायात इतना अधिक नहीं है जो इन विभागों के विद्युतन का समर्थन करे।

श्री रघुनाथ सिंह : रिहिन्द डैम को इलैक्ट्रिफाई करने का उपयोग उसमें हो सकता है या नहीं ?

श्री एल० बी० शास्त्री : अभी तो रिहिन्द डैम का पता ही नहीं है, अभी तो काम उसका शुरु होने वाला है, इसलिये उसका सवाल तो बाद में होगा।

सरदार इकबाल सिंह : जैसा कि सभा-सचिव ने कहा है कि उत्तर रेलवे में यातायात की अधिकता नहीं है, क्या सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दिल्ली की उपनगरीय रेलवे के विद्युतन के प्रश्न पर विचार करेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो कार्य करने के लिए सुझाव है।

गार्हस्थ्य विज्ञान विभाग (होम इकानोमिक्स डिपार्टमेंट)

*६१. **डा० सत्यवादी** : क्या **खाद्य और कृषि मंत्री** २८ अप्रैल, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २६८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम सेवकों को प्रशिक्षा देने वाले गार्हस्थ्य विज्ञान विभाग ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है ;

(ख) क्या सहायक अर्थव्यवस्था केन्द्रों की भी स्थापना हो गई है ;

(ग) इन केन्द्रों में अनुसूचित जातियों तथा आदिवासियों में से कितनी महिलाएं ली गई हैं और

(घ) पहले वर्ष इन केन्द्रों पर कितने व्यय का अनुमान किया गया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) सरकार द्वारा निर्धारित रूपांकनों (डिजाइन्स) के अनुसार राज्य सरकारों ने भवनों के निर्माण का कार्य हाथ में लिया है। परिक्षार्थी चुने जा रहे हैं। मुख्य निर्देशिकाओं ने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और सहायक निर्देशिकाओं को नियुक्त किया जा रहा है। ग्राम सेविकाओं का प्रशिक्षण शीघ्र ही आरम्भ होने की सम्भावना है। भोपाल राज्य में स्थापित केन्द्र ने कार्य करना पहले ही शरू कर दिया है।

(ख) केवल कस्तूरबा ग्राम के केन्द्र में कार्य शरू हो गया है।

(ग) बहुत से केन्द्रों के लिए अभी तक प्रशिक्षार्थी चुने नहीं गए हैं। इसलिए वर्तमान स्थिति में इस बारे में जानकारी प्रस्तुत करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(ग) २७,६२,१२५ रुपए।

श्री कामत : क्या माननीय मंत्री को इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें या प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं कि इन ग्राम स्तर कार्यकर्ताओं से, ग्राम सेवक और ग्राम सेविकाओं से सरकार द्वारा चुनाव के समय सत्तारूढ़ दल के लिए कार्य करने का काम लिया जाता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं इस सुझाव को अस्वीकार करता हुं।

श्री कामत : सम्भव है परन्तु यह एक तथ्य है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य इस मामले का यही निर्णय कर देने का मुझसे आग्रह करते हैं ?

श्री कामत : नहीं, नहीं।

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन): यह केन्द्र अभी खोले ही जा रहे हैं और केवल एक केन्द्र कुछ ही दिनों पूर्व खोला गया है। प्रचार कार्य करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

श्री कामत: मैं जानता हूं कि तीन महीने पहिले होशंगाबाद के उप-चुनाव में क्या हुआ था।

रेल दुर्घटना

*६२. **श्री एस० एन० दास**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि ७ मई, १९५५ को केन्द्रीय रेलवे के इलाहबाद-जबलपुर विभाग में रेलवे के एक फाटक पर एक ट्रक और रेलगाड़ी में टक्कर हो गयी थी;

(ख) यदि हां, तो यह दुर्घटना किन परिस्थियों में हुई थी;

(ग) इस दुर्घटना में कितने व्यक्ति मरे और कितने घायल हुए थे; तथा

(घ) क्या इसके सम्बन्ध में कोई जांच की गयी है, और यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां): (क) से (ग). जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १८]**

(घ) सरकारी रेलवे निरीक्षक द्वारा इसकी जांच की गयी थी। उसकी अस्थायी उपपत्ति यह है कि इस दुर्घटना का मुख्य कारण मोटर ट्रक के चालक द्वारा सामने से आती हुई गाड़ी को देखकर भी लाइन को पार करने का प्रयत्न था।

श्री एस० एन० दास: क्या इस रेलवे फाटक पर देखभाल करने वाला कोई व्यक्ति नियुक्त किया हुआ है ?

श्री शाहनवाज़ खां: जी, हां यहां पर फाटक वाला नियुक्त किया हुआ है।

श्री एस० एन० दास: क्या दुर्घटना के समय फाटक बन्द था अथवा खुला हुआ था ?

श्री शाहनवाज़ खां: उस समय खुला हुआ ही होना चाहिये; यदि यह बन्द होता तो यह दुर्घटना नहीं हो सकती थी।

श्री एस० एन० दास: क्या उन व्यक्तियों को जिनकी उस समय ड्यूटी थी, बन्दी बना लिया गया है ?

श्री शाहनवाज़ खां: रेलवे निरीक्षक का अन्तिम प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री यू० एम० त्रिवेदी: सरकारी निरीक्षक को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में प्राय: कितना समय लगता है, और गत १२ मासों से इस प्रकार के कितने प्रतिवेदन अभी तक विलम्बित हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय: यह तो एक सामान्य प्रश्न है। जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, माननीय मंत्री निश्चय ही यह बता सकते हैं कि यह मामला कितनी देर से विलम्बित है।

श्री शाहनवाज़ खां: दुर्घटना ७ मई को हुई थी। इस सम्बन्ध में सरकारी निरीक्षक द्वारा जांच १२ मई को प्रारम्भ की गयी थी। यह जांच १४ मई को समाप्त हो गयी और उसने अपनी अस्थायी उपपत्ति १६ मई को प्रस्तुत कर दी।

श्री रघुनाथ सिंह: अन्तिम प्रतिवेदन के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

श्री शाहनवाज़ खां: अन्तिम प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। मैं यह भी

बता देना चाहता हूं कि सरकारी रेलवे निरीक्षक रेलवे मन्त्रालय के अधीन नहीं है। वह तो संचार मंत्रालय के अधीन है।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या सरकारी निरीक्षक के अस्थायी प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि दुर्घटना के समय पर फाटक खुला था अथवा बन्द था ?

श्री शाहनवाज़ खां : फाटक खुला था।

बद्रीनाथ धाम हवाई अड्डा

*६३. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार बद्रीनाथ धाम में एक हवाई अड्डा बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) नहीं, श्रीमान्। (ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस तरह का कोई सुझाव केन्द्रीय सरकार के सामने रखा है ?

श्री राज बहादुर : जहां तक हमको मालूम है ऐसा कोई सुझाव नहीं आया, और इतनी ऊंचाई पर ऐसा ऐअरोड्रोम बनाना सम्भव भी नहीं प्रतीत होता।

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय उप-मंत्री ने कभी इस सुझाव पर विचार किया है कि अच्छा हो यदि वह स्वयं जा कर के परिस्थिति का अध्ययन करें और देवता के दर्शन भी कर लें।

श्री राज बहादुर : मैं उनके सुझाव का हृदय से स्वागत करता हूं किन्तु मैं इस दिशा में कोई विशेषज्ञ नहीं हूं। पर मैं निवेदन करूंगा कि १०,००० फुट की ऊंचाई पर हवाई अड्डा बनाने के लिए जितनी लम्बाई की जरूरत होती है वह यदि सी लेवेल पर हवाई अड्डा बनाया जाय तो उससे दूनी होती है। साथ ही वहां ६, ७ मील के दायरे में बड़े ऊंचे-ऊंचे पहाड़ हैं, इसलिए वहां हवाई अड्डा बनाना कठिन है। जब तक कि हैलीकाप्टर के तरीके के जहाजों का प्रचलन नहीं होता तब तक इस सवाल पर विचार करना सम्भव नहीं मालूम होता।

श्री भक्त दर्शन : क्या इस सुझाव पर भी विचार किया गया है कि अगर बड़े जहाजों के उतरने के लिए स्थान नहीं मिल सकता तो हैलिकाप्टर जैसे जहाजों का प्रबन्ध किया जाय ?

श्री राज बहादुर : हैलिकाप्टर का आवागमन अभी इतनी ऊंचाई पर नहीं हुआ है और वह इकानामिकल भी नहीं पाया गया है।

श्री चट्टोपाध्याय : क्या हवाई अड्डा बन जाने के उपरान्त बद्रीनाथ जाने वाले यात्रियों को कर से मुक्त कर दिया जायेगा ?

श्री राज बहादुर मैंने पहले ही निवेदन किया है कि अनेकों शिल्पिक कठिनाईयों के कारण बद्रीनाथ में एक पूर्ण-रूपेण हवाई अड्डा बनाने का विचार करना हमारे लिए सम्भव नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। अगला प्रश्न।

सूखे की हालत

*६४. **श्री गिडवानी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सूखे क्षेत्रों में सूखे की हालत को बढ़ाने के लिए बकरियां जिम्मेवार हैं; तथा

(ख) यदि हां, तो बकरियों द्वारा वनस्पति के विनाश को रोकने के लिए कौन-कौन से उपाय किए गए हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) जी हां ।

(ख) बकरियों द्वारा वनस्पति के विनाश को रोकने के लिए अपनाये जाने वाले उपायों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

श्री गिडवानी क्या भूमि संरक्षण निदेशक, श्री कीथ तथा वन-विभाग के उपमहानिरीक्षक, श्री बत्रा ने सरकार को कोई टिप्पणी भेजी है जिसमें उन्होंने अपनी प्रस्थापनाएं प्रस्तुत की हैं, और यदि हां तो वे प्रस्थापनाएं क्या हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : किसके सम्बन्ध में प्रस्थापनाएं ?

श्री गिडवानी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भूमि-संरक्षण के निदेशक, श्री कीथ तथा वन-विभाग के उपमहानिरीक्षक ने कोई टिप्पणी भेजी है जिसमें उन्होंने अपनी प्रस्थापनाएं प्रस्तुत की हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : इसके लिए मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : क्या वन-सम्पत्ति तथा पशुधन के सह अस्तित्व के सम्बन्ध में सरकार के पास कोई योजनाएं हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न का सम्बन्ध बकरियों से है; अतः बकरी-धन ।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : बकरियां पशु-धन का ही एक भाग है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न से पशु-धन का कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता ।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : मेरा प्रश्न यह है कि क्या वन-सम्पत्ति और पशुधन के सहअस्तित्व के सम्बन्ध में कोई योजनाएं हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : कई विशेषज्ञों का तो यह अभिवचन है कि बकरियों को पूर्ण रूप से समाप्त ही कर दिया जाना चाहिए ।

* * *

श्री सी० आर० नरसिंहन् : श्रीमान् एक प्रश्न और ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं और कोई प्रश्न नहीं प्रश्न के समाप्त होते ही माननीय सदस्यों को सहज स्वभाव में आ जाना चाहिए ।

रेल परिवहन

*६५. **श्री डाभी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के लिए रेल परिवहन के कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया है; तथा

(ख) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भेजी गयी प्रस्थापनाओं का ब्योरा क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं, श्रीमान् वे प्रस्थापनाएं योजना आयोग के विचाराधीन है ।

(ख) क्यों कि प्रस्थापनाएं अभी तक विचाराधीन हैं, अतः इसी अवस्था में विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त हुई प्रस्थापनाओं का विस्तार पूर्वक ब्योरा देना उचित नहीं होगा ।

श्री डाभी : क्या सभी सरकारों ने अपनी प्रस्थापनाएं भेज दी हैं अथवा

---

*उपाध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया ।

कोई राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी प्रस्थापनाएं नहीं भेजी हैं !

श्री अलगेशन : भाग ग में कुछ एक राज्यों के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों ने अपनी प्रस्थापनाएं भेज दी हैं।

श्री डाभी : क्या यह सत्य है कि सरकार का कार्य क्रम द्वितीय पंच वर्षीय योजना के दौरान में ३००० मील रेलवे लाइन बनाने का है और यदि हां तो क्या विभिन्न खण्डों और प्रदेशों को मील संख्या के सम्बन्ध में कोई आवंटन किया गया है?

श्री अलगेशन : हम अभी तक उस अवस्था तक पहुंचे नहीं हैं । यह सत्य है कि हमारी योजना ३००० मील नई रेलवे लाइन बनाने का है।

श्री दामोदर मेनन : ऐसा कहा गया है कि राज्य सरकारों को अपने अन्तिम प्रतिवेदन १५ अगस्त तक भेज देने हैं। माननीय मंत्री ने कहा है कि भाग ग में के कुछ एक राज्यों के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों से अन्तिम प्रतिवेदन उन को प्राप्त हो चुके हैं । क्या यह सत्य है ?

श्री अलगेशन : हमने प्रतिवेदन नहीं मांगे थे । हमने तो विभिन्न राज्यों से यह पूछा था कि वे इस आशय की प्रस्थापनाएं भेजें कि वे अपने अपने प्रदेशों में कौन कौन सी नई लाइनों का काम हमारे द्वारा प्रारम्भ कराना चाहते हैं । भाग ग में के कुछ एक राज्यों के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों ने अपनी अपनी प्रस्थापनाएं भेज दी हैं।

श्री दामोदर मेनन : मेरा प्रश्न यह है कि क्या वे प्रस्थापनाएं अंतिम हैं अथवा १५ अगस्त से पूर्व उन का पुनरीक्षण किया जा सकता है ?

श्री अलगेशन : पुनरीक्षण करने का कोई प्रश्न ही नहीं हैं । उन्होंने अपनी प्रस्थापनाएं संख्या १, २, ३, इस प्रकार से भेजी हैं । यदि वे किसी भी प्रस्थापना को हटाना चाहें अथवा कोई नवीन प्रस्थापना जोड़ना चाहें तो वे ऐसा कर सकते हैं ।

श्री वीरस्वामी : आगामी पंच वर्षीय योजना के अधीन मद्रास राज्य में कितने मील लम्बी नई लाइनें बनाई जाएंगी ?

श्री अलगेशन : मैंने पहले ही बता दिया है कि हम अभी तक इस अवस्था तक नहीं पहुंचे हैं । अभी तक हमने पृथक लाइनों के सम्बन्ध में निर्णय करना प्रारम्भ नहीं किया है । इस का निर्णय केन्द्रीय परिवहन बोर्ड करेगा।

श्री डाभी : क्या बम्बई सरकार द्वारा भेजी गई प्रस्थापनाएं प्राथमिकता के क्रम से हैं ?

श्री अलगेशन: जी, हां, क्यों कि उनको क्रमवार १, २, ३, संख्या दी गई हैं, अतः उनको उसी क्रम में लिया गया है।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या इन प्रस्थापनाओं के सम्बन्ध में अन्तिम आदेश देने से पूर्व संसद् सदस्यों को इन पर चर्चा करने का अवसर दिया जायेगा ?

श्री अलगेशन : अवश्य संसद् सदस्यों की इच्छाओं पर पूर्ण रूप से विचार किया जायेगा ।

श्री बोगावत : इन प्रस्थापनाओं को कितने न्यूनतम समय में अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ?

श्री अलगेशन : हमारा विचार इस वर्ष की समाप्ति से पूर्व इस सम्बन्ध में निर्णय कर लेने का है ।

श्री गाडिलिंगन गौड़ : मेरे इस ज्ञापन के विषय में क्या आदेश दिये गये हैं, जिसमें मैंने मैसूर राज्य में स्थित कुरनूल को सिरूगापई के साथ मिलाने के सम्बन्ध में लिखा था, और जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया था !

श्री अलगेशन : व्यक्तिगत प्रस्थापनाओं के सम्बन्ध में मेरे पास सूचना नहीं है ।

श्री गाडिलिंगन गौड़ : यह सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय : वैयक्तिक मामलों के सम्बन्ध में पूछने से कोई लाभ नहीं है ।

श्री पुन्नूस : माननीय मंत्री ने कहा कि संसद् सदस्यों की इच्छाओं को ध्यान में रखा जायगा। मैं जान सकता हूं कि इसके लिये अवसर कौन सा है ?

श्री अलगेशन : संसद सदस्यों के समक्ष अनेकों अवसर तथा मौके हैं । वह वाद-विवाद में भाग लेकर अपने सुझाव दे सकते हैं । वह निश्चय ही हम को लिख कर भेज सकते हैं ।

श्री पुन्नूस : यह एक विशिष्ट प्रश्न है । प्रस्थापनाएं राज्य सरकारों द्वारा भेजी जा रही हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार के दुराव की क्या बात है ? मेरे विचार से माननीय मंत्री इसे समझते हैं । क्या कोई प्रस्थापना है, अथवा क्या माननीय मंत्री के लिये संसद् सदस्यों को निमंत्रित करना और प्रस्थापनाओं को अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व उनको इस सभा में या इस के बाहर उन के समक्ष रखना सभव है ? यही बात वह जानना चाहते हैं । इस का उत्तर "हां" या "न" होगा ।

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : कोई प्रस्थापना नहीं है । परन्तु राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई प्रस्थापनाओं को सभा पटल पर रखने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और माननीय सदस्य, यदि वह ऐसा करना चाहें तो मुझ से उन पर चर्चा कर सकते हैं, परन्तु इस समय ऐसा करना वाँछनीय नहीं है हमें प्रस्थापनाओं पर सर्वप्रथम योजना आयोग से चर्चा करनी चाहिये । सारी बात उन संसाधनों पर निर्भर है जो हम को उपलब्ध कराये गये हैं, और योजना आयोग से चर्चा करने के बाद संभव है कि हम नवीन निर्माण की उस मील संख्या के सम्बन्ध में जिस को कि हम पूरा करते हैं, कोई निर्णय कर सकें अतः इस अवस्था में मैं उपरोक्त पत्रादि को सभा पटल पर या केन्द्रीय हाल में रख दूंगा और माननीय सदस्य उनको देख कर मुझ से चर्चा कर सकते हैं ।

श्री टी० एन० सिंह---- उठे

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । मैं डा० राम सुभग सिंह का नाम पुकार रहा हूं ।

गेहूं का मूल्य

*६६. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गेहूं तथा अन्य खाद्यान्नों के भावों में गिरावट को रोकने के हेतु केन्द्रीय सरकार ने किन किन राज्य सरकारों को उनका क्रय करने के लिए चालू वर्ष में सहायता दी है ;

(ख) विभिन्न राज्यों को कितना धन दिया गया ; और

(ग) उन राज्य सरकारों ने अब तक कितना खाद्यान्न क्रय किया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) और (ख) किसी भी राज्य सरकार को गेहूं तथा अन्य खाद्यानों को खरीदने के लिये ग्रांट (अनुदान) नहीं दिये गये हैं। भावों को मजबूत रखने के लिये बनायी गई योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारें वास्तव में भारत सरकार के लिये खाद्यान्नों की खरीद कर रही हैं और उनको समय समय पर गेहूं तथा चने की खरीद के लिये अपेक्षित धन पेशगी में दिया गया है। मोटे खाद्यान्नों के सम्बन्ध में यह प्रबन्ध किया गया था कि राज्य सरकारें पहले अपना खर्च करेंगी और बाद में केन्द्रीय सरकार से वह उन्हें वापिस मिल जायेगा। गेहूं तथा चने के खरीदने के लिये प्रत्येक राज्य को अब तक भेजे गये धन के सम्बन्ध में एक विवरण संख्या १ सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १९]**

(ग) जुलाई १९५५ के मध्य तक प्रत्येक राज्य के द्वारा खाद्यान्नों की खरीदी हुई मात्रा के सम्बन्ध में सभा-पटल पर विवरण संख्या २ रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १९]**

डा० राम सुभग सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि जिन आठ राज्य सरकारों को भारत सरकार की तरफ से गेहूं और चना खरीदने के लिए रुपया दिया गया है, क्या उन आठों राज्यों में गेहूं और चने के भाव उस स्तर पर आ गए हैं जिस स्तर पर भारत सरकार चाहती थी ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन): उस से भी ऊंचे हो गए हैं।

डा० राम सुभग सिंह : जिन राज्यों में भारत सरकार की ओर से गेहूं और चने की खरीद नहीं होती, उन राज्यों में इस वक्त गेहूं और चने के भावों की क्या स्थिति है ?

श्री ए० पी० जैन : जिन जिन राज्यों में गेहूं और चना पैदा होता है उन सब राज्यों में खरीदने का अधिकार दे दिया गया है। बाकी राज्यों में जहां गेहूं और चना पैदा ही नहीं होता वहां इस अधिकार को देने की ज़रूरत नहीं है।

श्री टी० एन० सिंह : सुना जाता है कि मध्य प्रदेश में गेहूं का भाव खास तौर से गिरा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि वहां क्या कमी रही परचेज़ पॉलिसी में या ट्रांस्पोर्ट के बारे में जिसकी वजह से वहां पर भावों पर नियंत्रण नहीं हो पाया ?

श्री ए० पी० जैन : ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पर भाव गिरे हुए नहीं हैं। जो भाव हमने निश्चित किया था, यह भाव उससे ऊपर हैं। उसका भाव आजकल रुपये ७–८–० से ले कर रुपये ८–०–० फ़ी मन है। इन क़ीमतों से यह साफ़ पता चलता है कि किसानों को इस से बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं जहाँ कहीं भी गया वहाँ पर किसानों ने हमारी पॉलिसी की बहुत प्रशंसा की।

श्री कामत : इसके बारे में बहुत देर बाद खरीद करने का आदेश दिया गया था।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अभी आनरेबल मिनिस्टर साहब ने बताया कि गेहूं के भाव रुपये ११–८–० से रुपये

१२–०–० फ़ी मन और चने के भाव रुपये ७–८–० से रुपये ८–०–० फ़ी मन है लेकिन मैं अर्ज़ करता हूं कि गेहूं के भाव इस से भी ज्यादा रहे हैं और वह चौदह रुपये फ़ी मन तक बढ़ गये हैं । जो गेहूं दस रुपये मन के हिसाब से ख़रीदा था और अब जब उसका भाव चौदह रुपये फ़ी मन तक हो गया है तो इसके बारे में सरकार का क्या फायदा रहा ?

श्री ए० पी० जैन : अभी तक यह गेहूं पड़ा हुआ है और बेचा नहीं गया है। जब बेचा जायेगा तब देखा जायेगा।

पंडित सी० एन० मालवीय : जो स्टेटमैंट टेबल पर रखा गया है उस से पता चलता है कि मध्य भारत को २५ लाख और भोपाल को ६ लाख रुपया पेशगी दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि इन दोनों सरकारों ने कितने रुपये का गेहूं ख़रीदा और किन तारीखों को ख़रीदा ?

श्री ए० पी० जैन : मैं नहीं कह सकता कि कितने का ख़रीदा। हम ने उन को पैसा दे दिया और वह ख़रीद कर रहे हैं। अगर उनको और पैसे की ज़रूरत होगी तो और पैसा दे दिया जायेगा।

भूमि संरक्षण बोर्ड

*६७. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में स्थापित विभिन्न भूमि संरक्षण तथा भू विकास बोर्डों को कोई वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार अब तक कितनी राशि दी गई है; और

(ग) क्या केन्द्रीय बोर्ड का राज्य बोर्डों पर कुछ नियंत्रण है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) नहीं श्रीमान्। राज्य सरकारों को उनके द्वारा प्रस्तावित विशिष्ट योजनाओं के लिये ही सहायता दी जाती है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी नहीं ।

श्री एस० सी० सामन्त : जहां यह बोर्ड विद्यमान हैं क्या उन राज्यों में आवश्यक भूमि संरक्षण विधान बनाया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरी जानकारी के अनुसार, उनमें से कुछ राज्यों ने ऐसा विधान बनाया है; उन में से सभी राज्यों ने नहीं बनाया।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या इन बोर्डों ने ऐसे मुख्य क्षेत्रों का पता लगाने के लिये, जहां अधिक भूमि-कटाव होता है, पूर्व सर्वेक्षण किया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : बोर्ड राज्यों द्वारा स्थापित किये जाते हैं और मेरे लिये यह जानकारी देना संभव नहीं है ।

श्री एन० एम० लिंगम् : क्या सभी राज्यों में बोर्ड स्थापित किये जा चुके हैं ? यदि हां तो समस्त राज्य संरक्षण बोर्डों की कार्यवाहियों का समन्वय किस प्रकार किया जाता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे निश्चय नहीं है कि प्रत्येक राज्य ने बोर्ड स्थापित किया है; किन्तु एक केन्द्रीय भूमि संरक्षण बोर्ड है जो उनकी कार्यवाहियों का समन्वय करता है ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या यह सत्य है कि उपयुक्त विभागों, अर्थात बाढ़ नियंत्रण बोर्ड और वन विभाग, के बीच

समन्वय का अभाव होने के कारण इन बोर्डों के काम में रुकावट उत्पन्न हो रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे इस की पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री एस० एन० दास : किन किन राज्यों से विशिष्ट योजनाएं प्राप्त हो चुकी हैं और अब तक कितनी धनराशी मंजूर की जा चुकी है ?

डा० पी० एस० देशमुख : नौ राज्यों ने १९५४–५५ के लिये योजनाएं प्रस्तुत कर दी हैं और चालू वर्ष १९५५–५६ के अन्दर १८ राज्यों ने । यदि आप आज्ञा दें, तो मैं पढ़कर सुना सकता हूं। इन सब योजनाओं की मंजूरी दी जा चुकी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं २७ राज्यों की लंबी सूची पढ़ने की अनुमती नहीं दे सकता ।

श्री गाडिलिंगन गौड : क्या आंध्र सरकार ने भूमि संरक्षण बोड स्थापित किया है ?

डा० पी० एस० देशमुख मुझे पूर्व सूचना चाहिये, किन्तु आन्ध्र सरकार ने ७२,००० रुपये की एक योजना प्रस्तुत की है और यह १९५४–५५ के लिये मंजूर की जा चुकी है ।

श्री सी० आर० चौधरी : आंध्र सरकार के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

उपाध्यक्ष महोदय : उसने ७२,००० रुपये की एक योजना प्रस्तुत की है ।

डा० पी० एस० देशमुख : १९५५–५६ के लिये उसने लगभग ८ लाख रुपये के ऋण और लगभग १/२ लाख रुपये की आर्थिक सहायता के लिए चार योजनाएं प्रस्तुत की हैं, जो मंजूर हो चुकी हैं ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

*६८. **श्री० सी० आर० चौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रेलवे लाइनों के विकास के लिये आंध्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुऐ हैं,

(ख) यदि हां, तो लाइन पर अनुमनतः कितना परिव्यय होगा; और

(ग) उन लाइनों के नाम क्या हैं, जिनका पहले से अन्वेषण किया जा चुका है किन्तु जिन पर कार्य आरंभ नहीं हुआ है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) अनुमानित परिव्यय बताना इस समय संभव नहीं है ।

(ग) योजना आयोग द्वारा हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना को अनुमोदन प्राप्त हो जाने के उपरांत ही विस्तार पूर्वक अन्वेषण किया जायेगा और तदुपरांत केन्द्रीय परिवहन बोर्ड नवीन लाइन के निर्माण के लिये प्राथमिकताएं निश्चित करेगा ।

श्री सी० आर० चौधरी : क्या आन्ध्र में पहले किसी लाइन का अन्वेषण किया जा चुका है ?

श्री अलगेशन : नहीं, श्रीमान् ।

उपाध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न यह है कि क्या पहले किसी लाइन का अन्वेषण किया जा चुका है, जिन्हे अभी पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित करना या सम्मिलित करना है ।

श्री अलगेशन : हमने विजयवाडा और मद्रास के बीच के रास्ते को डबल करने या विकल्प के रूप में काजीपेत को गुडूर या नीलोर से मिलाने का प्रारम्भिक अन्वेषण किया है। हमने बहुत सारा अन्वेषण किया है और दक्षिण रेलवे का प्रतिवेदन इस समय हमारे सामने है।

डा० रामा राव : यदि रेलवे बोर्ड इन रेलवे लाइनों के परिव्यय का कच्चा अनुमान भी नहीं लगा सकता, तो उसने इन लाइनों को योजना आयोग से कैसे मंजूर करवा लिया है ?

श्री अलगेशन : जी, नहीं। ये प्रक्षालन सामान्य योजना में रखे गये हैं। इन का विशेष परियोजनाओं से संबंध है। जैसा कि माननीय रेलवे तथा परिवहन मंत्री ने अभी कुछ मिनट पूर्व बताया, हम विशेष परियोजनाओं को उपलब्ध संसाधनों के अनुसार आरंभ करेंगे।

श्री नेत्तूर पी० दामोदरन : यदि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों द्वारा किये गये प्राथमिकता क्रम से संतुष्ट नहीं है, तो क्या वह प्राथमिकता क्रम को बदल सकती है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : वह ऐसा कर सकती है, परन्तु इन प्रस्तावों का अन्तिम रूप में निश्चय केन्द्रीय परिवहन बोर्ड की बैठक मे होगा केन्द्रीय परिवहन बोर्ड में समस्त राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं अतः, यदि केन्द्रीय परिवहन बोर्ड राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों में संशोधन करना चाहता है, तो वह निश्चय ही कर सकता है।

चौ० रघुवीर सिंह : क्या उखड़ी हुई आगरा या रेलवे लाइन भी आगामी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री पहले बता चुके हैं कि इस अवसर पर ब्योरा नहीं पूछा जाना चाहिये।

श्री सी० आर० चौधरी : यह देखते हुए कि मचकुन्द विद्युत तथा नीलोर ताप-विद्युत उपलब्ध हैं क्या विजयवाड़ा और मद्रास के बीच में डबल मार्ग का विद्युतीकरण संभव है ?

श्री अलगेशन : इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

अमलाबाद कोयला खान

*७०. **श्री पी० सी० बोस** . क्या श्रम मंत्री तह बताने की कृपा करेंग कि,

(क) क्या यह सच है कि ५ फरवरी १९५५ को अमलाबाद कोयला खान में जो विस्फोट हुआ था, उसके कारणों की जांच करने के लिये नियुक्त किये गये जांच न्यायालय ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) अभी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्नउत्पन्न ही नहीं होता।

श्री पी० सी० बोस : सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में यह जांच न्यायालय कितना समय लगाएगा?

श्री आबिद अली : हम शीघ्र प्रतिवेदन प्राप्त करने की आशा करते हैं।

श्री पी० सी० बोस : जांच न्यायालय में खान संबंधी अधिक अनुभवी व्यक्ति नियुक्त न करने का क्या कारण है ?

श्री आबिद अली : मैं समझता हूं कि जांच न्यायालय में, वे लोग हैं जो उसमें होने चाहियें ?

डा० राम सुभग सिंह : क्या इस जांच न्यायालय को धर्माबाद कोयले की खान की दुर्घटनाओं की जांच करने का भी काम सौंपा गया है ?

श्री आबिद अली : जी नहीं ।

श्री मेघनाद साहा : इस अमलाबाद कोयले की खान का स्वामि कौन है ?

श्री आबिद अली : इसके अभिकर्ता थापर हैं; और स्वामि हैं भावडा कांकिनी कौलियरीज लिमिटिड ।

विमान यातायात का राष्ट्रीयकरण

*७२. **श्री झूलन सिंह** : क्या संचार मंत्री २८ फरवरी १९५५ को तारांकित प्रश्न संख्या ३२४ के दिये गये उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर लाइन निगम द्वारा अपने नियंत्रण में लिये गये विभिन्न विमान समवायों को कोई प्रतिकर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी राशि दी गई है और अभी कितनी और राशि देना शेष हैं; और

(ग) अन्तिम भुगतान कब होने की संभावना है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हां श्रीमान् ।

(ख) अब तक ६७.२६ लाख रुपये दिये जा चुके हैं । सरकार द्वारा निर्धारित धन राशि के अनुसार अभी ५०४.०६ लाख रुपये देने शेष हैं । समवायों ने विमानपथ प्रतिकर न्यायधिकरण के पास समस्त राशि में लगभग ३० लाख की वृद्धि किए जाने की अपील की है ।

(ग) जिन समवायों ने प्रतिकर लेना स्वीकार कर लिया है, उन्हें शीघ्र ही पूरी रकम दी जाने की संभावना है; अन्य मामलों में कुछ विलम्ब हो सकता है ।

श्री झूलन सिंह : क्या प्रत्येक समवाय को ये भुगतान पथानुपात आधार पर किये गये हैं या किसी और आधार पर ?

श्री राज बहादुर : जहां तक हमारा संबन्ध है, हमने संबद्ध समवायों को दे दिया है ।

श्री कामत : क्या मंत्री महोदय समवाय-क्रय से प्रदत्त और अप्रदत्त राशि का ब्योरा बता सकते हैं ?

श्री राज बहादुर : उसमें कुछ समय लगेगा किन्तु मैं बता सकता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : कुल कितने समवाय हैं ?

श्री राज बहादुर : ९ समवाय हैं, जिनमें से ५ को हमने नकद राशि दे दी है । आंकड़े इस प्रकार हैं :

समवाय का नाम	कुल निर्धारण	वास्तव में जो रकम दी गई
इण्डियन नेशनल एयरवेज़ सीमित	५२ लाख रुपये	१०,३१,६६३ रुपये
एयर इण्डिया, सीमित	१,४३,६७,७८० रुपये	१४,३६,७७८ रुपये
एयर सर्विस आफ इण्डिया, सीमित	२७,५४,५८३ रुपये	११,१३,३३३ रुपये
दक्कन एयरवेज़, सीमित	१८,९८,७५१ रुपये	३,७५,६५१ रुपये
एयर इण्डिया इन्टरनेशनल	२,७६,९० ८०० रुपये	२७,६८,८०० रुपये

श्री कामत : माननीय मंत्री ने सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर के आंकड़े बताये हैं । प्रत्येक समवाय ने प्रतिकर के रूप में कितनी २ राशि की मांग की थी ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस समय इन बातों की चर्चा नहीं कर सकते । माननीय मंत्री ने अभी बताया है कि कुल मिलाकर और ३० लाख रुपये की मांग है ।

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : क्या मैं वस्तुस्थिति बता सकता हूं ? समवायों द्वारा मांग करने का कोई प्रश्न नहीं था । विमान निगम अधिनियम के अनुसार निगमों द्वारा प्रतिकर निर्धारित किया जाना था और समवायों को एक निर्धारित राशि लेने के लिये कहा जाना था यदि समवाय उस राशि को स्वीकार न करें तो उन्हें विमानपथ प्रतिकर न्यायाधिकरण के समक्ष अपना मामला रखने की छूट थी । परन्तु इस के संम्बन्ध में वार्तालाप हुआ और बहुत समवायों ने निगम द्वारा निर्धारित राशि लेना स्वीकार कर लिया ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं, और वह यह है कि एक विवादास्पद बात अभी विमानपथ प्रतिकर न्यायाधिकरण के पास निलम्बित है अर्थात संचित अवकाश संबंधी दायित्व ।

श्री सी० डी० पांडे : कर्मचारियों का ?

श्री जगजीवन राम : नियोजित कर्मचारियों का । यदि विमान समवायों के पक्ष में निर्णय हो गया, तो इस राशि को २५ से ३० लाख रुपये तक बढ़ाने की संभावना है ?

श्री कामत : क्या प्रतिकर का विषय न्यायाधिकरण के सामने लाया जा सकता है ।

श्री जगजीवन राम : माननीय सदस्य विमान निगम अधिनियम देखें ।

श्री कामत : आप ने विभिन्न नीति का क्यों अनुसरण किया है ?

श्री टी० एन० सिंह : कई मामले न्यायाधिकरण को भेजे गये हैं जिन पर वार्ता द्वारा समझौता नहीं किया जा सकता था उनमें कुल कितने धन का प्रश्न है ?

श्री जगजीवन राम : जैसा कि मैं बता चुका हूं न्यायाधिकरण के सामने केवल कर्मचारियों की जमा छुट्टी के सम्बन्ध में समवायों के दायित्व की ही बात है ।

श्री हेडा : माननीय मंत्री ने कहा है कि एक ही मामले में २० से २५ लाख रुपये तक की राशि लगी हुई है । वायु-मार्गों का राष्ट्रीयकरण किये लगभग दो वर्ष बीत चुके हैं और अभी तक उन रशियों का भुगतान नहीं किया गया है जिनपर सहमति दी गई थी, इसके क्या कारण हैं ?

श्री जगजीवन राम : माननीय सदस्य माननीय उपमंत्री द्वारा दिये गये उत्तर को नहीं समझे स्वीकृत राशि का भुगतान दो प्रकार किया जायेगा । कुछ भाग नकद दिया जायेगा और शेष बांडस् के रूप में चुकाया जायेगा । ५ समवायों के नकद भाग का भुगतान किया जा चुका है और बांड भी शीघ्र ही जारी किए जाने की सम्भावना है ।

शेष समवायों के बारे में कछ समायोजन किया जा रहा है और उनका निश्चय हो जाने पर नकद भुगतान कर दिया जायेगा ।

होमियोपैथी

*७४. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने होमियोपैथिक पद्धति के विकास तथा अन्वेषण की कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो वह योजना क्या है और अब तक कार्यान्वित की जायेगी ।

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) तथा (ख). कोई ख़ास योजना तो नहीं बनाई गई है लेकिन एक मंत्रणा समिति स्थापित की गई थी, जिस ने कुछ तजवीज़ें पेश की हैं । इन पर प्रांतीय सरकारों के साथ सोच विचार हो रहा है ।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार को ज्ञात है कि हिन्दुस्तान की गरीब जनता एलोपैथिक दवाइयों के लिए पैसा नहीं दे पाती और उसके लिए एक मात्र होमियोपैथिक दवाइयां ही हैं और इस लिए क्या सरकार इस बारे में कोई अविलम्ब कार्यवाही करेगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : सोच विचार हो रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका सम्बन्ध वाणिज्य से नहीं स्वास्थ्य से है ।

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): बात यह है कि गरीब आदमियों को सिर्फ सस्ती चीज़ ही देनी चाहिए, इस बात से मैं बिल्कुल मुत्तिफिक नहीं हूं । गरीबों को सब से अच्छी चीज देनी चाहिए, लेकिन जहां तक होमियोपैथी का सम्बन्ध है, वहां हम लोग देख रहे हैं कि.....

श्री कामत : सुनाई नहीं दे रहा है ।

राजकुमारी अमृत कौर : आप बातें करते रहते हैं, सुनाई कैसे देगा । मैं ने कहा है कि गरीबों को सस्ती चीज़ देना कोई ठीक बात नहीं है और मैं उससे मुत्तिफिक नहीं हूं । गरीबों को अच्छी से अच्छी दवाइयां देनी चाहिए । जहां तक होमियोपैथी का सवाल है, जैसा कि कहा गया है, एक इंस्टीट्यूशन बंगाल में और एक बम्बई में है । उनको अपग्रेड किया जायगा और जितना रुपया उन पर खर्च आयगा, उसके बारे में प्रान्तीय सरकारों के साथ सोच विचार हो रहा है ।

श्री विभूति मिश्र : क्या बंगाल और बम्बई में ही ऐसी संस्थायें खोली गयी हैं या और कहीं भी सरकार खोलना चाहती है ?

राजकुमारी अमृत कौर : देखिये यह नामुमकिन है, कारण ऐसी संस्थायें और जगहों में हैं ही नहीं ।

श्री कामत : क्या मंत्राणी जी अच्छी और सस्ती औषधियों का समन्वय कर सकती हैं या नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को मंत्राणी जी को नहीं अध्यक्ष को सम्बोधित करना चाहिये ।

श्री कामत : मैं ने मंत्राणी जी को सम्बोधित नहीं किया । जिस तरह कि 'मंत्री महोदय' कहा जाता है उसी तरह मैं 'मंत्राणी जी' कहता हूं ।

क्या मंत्राणी जी अच्छी और सस्ती औषधियों का समन्वय कर सकती हैं या नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या अच्छी और सस्ती सामग्री का समन्वय नहीं हो सकता ?

राजकुमारी अमृत कौर : यह तो साइंटिफिक प्रूफ पर निर्भर करता है ।

श्री धुलेकर : यह किसने तै किया है कि होमियोपैथी खराब है और ऐलोपैथी अच्छी है ? मंत्राणी जी ने कहा कि सस्ती दवा देना ठीक हो सकता है लेकिन वह अच्छी होनी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि यह किसने तै किया है कि होमियोपैथी खराब है और ऐलोपैथी अच्छीह ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । माननीय सदस्य ने प्रश्न और उत्तर ठीक प्रकार नहीं समझे । यह प्रश्न किया गया था कि यदि होमियोपैथी का उपचार सस्ता है तो उसे क्यों नहीं अपनाया जाता ? माननीय मंत्री ने यह उत्तर दिया कि जहां तक निर्धन लोगों का सम्बन्ध है उपचार का सस्ता होना ही बड़ी बात नहीं है उसकी गुणप्रकार का भी महत्व है । अतः यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री धुलेकर : मेरे मित्र ने यह सवाल किया था कि ऐलोपैथी चूंकि महंगी है इसलिए होमियोपैथी क्यों नहीं दी जाती मंत्राणी जी ने यह उत्तर दिया कि हम सस्ती की तरफ़ नहीं देखते हम तो अच्छी की तरफ देखते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि यह सवाल किसने तै कर दिया है कि ऐलोपैथी से होमियोपैथी खराब है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह था कि क्योंकि होमियोपथी ऐलोपैथी से सस्ती है इसलिये आप होमियोपैथी क्यों नहीं अपनाते ? माननीय मंत्री ने यह उत्तर दिया था कि हम केवल इस आधार पर कोई वस्तु अपनाने को तैयार नहीं कि वह सस्ती है। प्रश्न यह है कि वह अच्छी हो। इसका यह अभिप्राय नहीं कि होमियोपैथी अच्छी या बुरी है अथवा इसके द्वारा हम यह निर्णय नहीं कर रहे हैं कि होमियोपैथी ऐलोपैथी से बुरी है।

श्रीमती सुषमा सेन : क्या गरीब रोगियों के लिये बिहार में ऐसा कोई अस्पताल खोलने के बारें में विचार किया जा रहा है ? माननीय मंत्री ने कहा है कि ऐसे अस्पताल मद्रास और बम्बई में ही खोले जायेंगे। क्या कारण है कि बिहार और बंगाल को ऐसी सुबिधायें न दी जायें ?

राजकुमारी अमृत कौर: इसका साधारण उत्तर यह है कि बिहार में ऐसी कोई संस्था नहीं जिसे ऊंचे स्तर पर लाया जा सके। एक संस्था जिसका स्तर ऊंचा किया जा सकता है कलकत्ता में है और एक बम्बई में भी है।

श्री रघुनाथ सिंह: रामकृष्ण मिशन में एसा एक इंस्टीट्यूशन है। उसके बारे में आपकी क्या राय है।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

दुर्घटना समितियां

*७५. **श्री ए० के० गोपालन**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे के इंजिन और रेलवे कारखानों में कुछ "दुर्घटना समितियां" काम कर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो यह समितियां कब और किस प्रकार स्थापित की गईं ; और

(ग) उनके कृत्य क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) दक्षिण रेलवे में कोई "दुर्घटना समितियां" काम नहीं कर रही हैं बल्कि दक्षिण रेलवे के

कारखानों में "पहले सुरक्षा समितियां" काम कर रही हैं।

(ख) दक्षिण रेलवे के कुछ कारखानों में कई बर्ष से "सुरक्षा समितियां" विद्यमान हैं और वे कारखाना प्रबन्धकों द्वारा बनाई गई हैं।

(ग) "सुरक्षा समितियों" के कृत्य सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दिये गये हैं। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २०]**

श्री ए० के० गोपालन : क्या इन समितियों ने किन्हीं दुर्घटनाओं की सूचना दी है और क्या किसी को प्रतिकर दिया गया है ?

श्री शाहनवाज़ खां : साधारणतया कारखानों में होने वाली सब दुर्घटनाओं की सूचना कारखाना प्रबन्धकों को भेजी जाती है और यदि घटनायें वास्तव में गम्भीर हों तो उनकी सूचना सम्बन्धित सामान्य प्रबन्धकों को भेजी जाती है। यदि माननीय सदस्य एक अलग प्रश्न पूछें तो मैं विस्तार में उसका उत्तर दूंगा।

श्री पुन्नूस : क्या सुरक्षा समिति को भी किन्ही दुर्घटनाओं की सुचना भेजी जाती है और क्या उन्होंने किसी मामले का परीक्षण करके प्रतिकर का निर्णय किया है ?

श्री शाहनवाज़ खां : मुझे इसके लिए पूर्व सूचना चाहिये।

श्री कामत : क्या सब रेलों पर ऐसी दुर्घटना समितियां बनाई गई हैं, यदि नहीं, तो ऐसी समितियां बनाने का सरकार का कब तक विचार है ?

श्री शाहनवाज़ खां : कारखानों में ऐसी समितियां स्थापित करने के लिये रेलों को अनुदेश जारी किए जा चुके हैं।

श्री पुन्नूस : यह समितियां कौन नियुक्त कर रहा है और व्यक्तियों का चुनाव कौन कर रहा है ?

श्री शाहनवाज़ खां : इन समितियों का नाम सुरक्षा समितियां हैं न कि दुर्घटना समितियां, कारखाना प्रबन्धक उन्हें नियुक्त करता है, वरिष्ट फोरमैन, चिकित्सा पदाधिकारी और संघों के प्रतिनिधि इन समितियों के सदस्य होते हैं।

करनूल तथा अदोनी रेलवे स्टेशन

*७८. **श्री गाडिलिंगन गौड़ :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करनूल और अदोनी रेलवे स्टशनों को फिर से बनाने का कोई विचार है; और

(ख) क्या कुरनूल में विश्रामगृह बनाने के लिये कोई व्यवस्था की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) करनूल रेलवे स्टेशन को फिर से बनाने की योजना को स्वीकृति दे दी गई है। अदोनी रेलवे स्टेशन में सुधार करने का अभी कोई कार्य-क्रम नहीं बनाया गया है।

(ख) हां, श्रीमान्।

श्री गाडिलिंगन गौड़ : गत वर्ष मुझे बताया गया था कि अदोनी रेलवे स्टेशन के बारे में प्रस्ताव रखे गये थे परन्तु दूसरे स्टेशनों पर मरम्मत के कम के कारण उन पर कार्यवाही नहीं की जा सकी। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस वर्ष भी कोई व्यवस्था क्यों नहीं की।

श्री शाहनवाज़ खां : सब रेलों में सुविधा समितियां हैं और इन समितियों के परामर्श से स्टेशनों में सुधार किये जाते है। स्पष्ट है कि सुविधा समिति में अदोनी स्टेशन में किसी सुधार की सिफारिश नहीं की ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : करनूल स्टेशन पर किये जा रहे सुधार कब पूरे होंगे ?

श्री शाहनवाज़ खां : आशा है कि चालू वर्ष में पूरे हो जायेंगे ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : करनूल स्टेशन के पुनर्निर्माण के लिये कितनी राशि स्वीकार की गई है ?

श्री शाहनवाज़ खां : २,००,००० रुपये ।

शिव राव समिति

*८०. **श्री भक्त दर्शन** क्या श्रम मंत्री ३ मार्च, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ४५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काम दिलाऊ दफ्तरों के सम्बन्ध में शिव राव समिति द्वारा की गई सिफारिशों के बारे में राज्य सरकारों से मंत्रणा निर्णय समाप्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम क्या हुआ ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :

(क) नहीं; इस विषय में अभी राज्य सरकारों से पत्र व्यवहार चल रहा है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मंत्री महोदय को याद है कि पिछली बार इसी सम्बन्ध में उत्तर देते हुए उन्होंने फरमाया था कि ३१ अगस्त तक वर्तमान एम्पलायमेंट एक्सचेंजों की अवधि रखी गयी है। क्या वे आशा करते हैं कि एक महीने के अन्दर अन्तिम निर्णय हो जायेगा ?

श्री आबिद अली : जी नहीं। एक महीने में तो नहीं होगा । कुछ ज्यादा वक्त लग जायेगा। सैंक्शन बढ़ा दी जायेगी।

श्री भक्त दर्शन : क्या इसका यह अर्थ है कि इस वक्त जैसी व्यवस्था एम्पलायमेंट एक्सचेंजों में है वही मार्च १९५६ तक चलने दी जायेगी, या इस बीच में अन्तिम निर्णय कर दिया जायेगा ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : शिव राव समिति के प्रतिवेदन के अनुसार प्रशिक्षण केन्द्रों और श्रमिक योजनालयों का राज्यों को हस्तान्तरण किया जाना है। कुछ प्रारम्भिक प्रबन्ध किये जाने हैं। श्रम मंत्रियों का एक सम्मेलन किया जा चुका है जहां इस प्रश्न पर विचार किया गया था । हमने इन योजनालयों के हस्तान्तरण के तरीके के बारे में व्यौरा उन्हें भेज दिया है। जब तक वे इन योजनालयों को लेना स्वीकार नहीं करते तब तक इन्हें वर्तमान ढंग से चलाया जायेगा ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या यह सच है कि शिव राव कमेटी की रिपोर्ट पर मध्यप्रदेश में जो सैंट्रल ट्रेनिंग सैंटर है उसको मध्यप्रदेश सरकार की सलाह से हटाने की कार्यवाई शुरू की गई है ?

श्री खंडूभाई देसाई : हम मध्यप्रदेश सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं और जो कोई निश्चय होगा उस सरकार की सलाह से होगा ।

श्री पी० सी० बोस : क्या राज्यों को इन योजनालयों का हस्तान्तरण करने के परिणामस्वरूप किसी प्रकार कर्मचारी वृन्द की सेवा की शर्तों पर कोई प्रभाव पड़ेगा ?

श्री खंडूभाई देसाई : राज्य सरकारें इस मूल प्रश्न पर विचार कर रही हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राष्ट्रीय कृषक सम्मेलन

*५४. **श्री राधा रमण** : क्या खाद्य और कृषि मंत्री २८ अप्रैल, १९५५ को तारांकित प्रश्न संख्या २६७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अप्रैल १९५५ में नई दिल्ली में हुए राष्ट्रीय कृषक सम्मेलन में पारित किये गये संकल्पों पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में क्या निर्णय किये गये हैं ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) तथा (ख) । किसानों का संघ (फार्मर्ज़ फोरम) जिसने राष्ट्रीय कृषक सम्मेलन आयोजित किया था, एक गैर-सरकारी संगठन है । सम्मेलन में पारित संकल्पों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जा चुकी है किसानों के इस संघ से संकल्पों पर आवश्यक कार्यवाही करने की आशा की जाती है । इस मामले से भारत सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

गैर-सरकारी बन

*५७. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सरकार ने भारत सरकार से राज्य के कतिपय गर-सरकारी बनों को अधिग्रहण करने की सिफ़ारिश की है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) कितने वन अधिग्रहण करने का प्रस्ताव किया गया है और उनका क्षेत्र क्या है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

खाद्य तथा जल का अभाव

*६९. **श्री इब्राहीम** : क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन राज्यों ने वहां खाद्य तथा जल का अभाव होने की सूचना दी है और उनमें से प्रत्येक राज्य में कितना क्षेत्र प्रभावित हुआ है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी ने उन क्षेत्रों का निरीक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है; और

(घ) लोगों को सहायता देने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) से (घ). एक विस्तृत विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २१]

विलिंगडन अस्पताल

*७१. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या विलिंगडन अस्पताल में बहिर्वासी रोगियों के विभाग, प्रयोगशाला एक्सरे विभागों का विस्तार कार्य तथा वहां अधिक रुग्न-शैय्याओं का उपबन्ध करने का कार्य पूरा हो चुका है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): प्रयोगशाला और एक्सरे विभागों का विस्तार

कार्य पूरा हो चुका है। वहिर्वासी विभाग में अभी कुछ वृद्धि करनी शेष है। अस्पताल में अधिक रुग्न शैय्याओं का उपबन्ध करने के लिये नवीन वार्ड निर्माणाधीन हैं।

केन्द्रीय कृषि कालिज

*७६. **श्री के० पी० सिन्हा:** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री १० दिसम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगें कि केन्द्रीय कृषि कालिज को बन्द करने के बारे में क्या अन्तिम निर्णय किया गया है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : यह मामला अभी विचाराधीन है।

चीनी के कारखाने

*७७. **श्री भागवत झा आज़ाद :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी विदेशी फ़र्म को पंजाब में चीनी के कारखाने लगाने के लिए लाइसेन्स दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण; और

(ग) क्या कोई भारतीय फर्म ये कारखान लगाने के लिए तैयार नहीं थी ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी नहीं। किन्तु मैसर्ज जनता कोआपरेटिव शूगर मिल्ज़ लि०, जालन्धर और मैसर्ज हरयाना कोआपरेटिव शूगर मिल्ज़ लि०, रोहतक ने जिन्हें चीनी के कारखाने स्थापित करने के लिए लाइसेन्स दिये गये हैं अपने संयंत्र और मशीनरी के लिए एक विदेशी फर्म को आर्डर दिये हैं।

(ख) और (ग). यद्यपि कुछ भारतीय फर्मों ने आयात संयंत्रों और मशीनरी के प्रदाय के लिए टेंडर दिये थे, तथापि मूल्य, माल देने की अवधि मशीनरी की किस्म आदि को ध्यान में रखने के बाद, विदेशी फर्म का प्रस्ताव सब से अधिक लाभदायक पाया गया था।

वैज बैंक

*७९. **श्री वी० पी० नायर :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री २७ अगस्त, १९५४ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अधीन त्रावनकोर कोचीन राज्य के तट पर उस मीन क्षेत्र का जिसे वैज बैंक कहा जाता है वाणिज्यिक रूप से उपयोग करने के लिए कोई योजनाएं बनाई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि अलग रखने का विचार है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी नहीं। भारत सरकार ने निजी उद्यम के लाभ के लिए, न कि सरकार द्वारा वाणिज्यिक रूप से उपयोग के लिए, भारत के दक्षिण पश्चिम तट में मीन क्षेत्रों में जिन में वैज बैंक भी सम्मिलित है, परीक्षात्मक मत्स्य-ग्रहण और मीन क्षेत्रों के नक्शे बनाने के लिए योजनाए बनाई हैं।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

स्वयं चालित टेलीफोन प्रणाली

*८१. **पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या **संचार** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना में स्वयं चालित टेलीफोन प्रणाली कब जारी करने का विचार हैं ; और

(ख) बिहार के अन्य जिलों में यह प्रणाली कब शुरु होगी ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) १९५७/१९५८ में।

(ख) मुज़फ़्फ़रपुर एक्सचेंज को १९५८ तक स्वयंचालित बना देने का विचार है, अन्य जिलों में एक्सचेंजों को स्वयं चालित बनाने के मामलों पर परिस्थितियों के अनुसार विचार किया जायेगा।

विद्युत् परिपथ

*८२. **श्री टी० बी० विट्ठलराव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने स्टेशनों पर विद्युत परिपथ का सामान है; और

(ख) उन स्टेशनों के नाम क्या हैं जिन में इस प्रकार का सामान चालू वर्ष में लगाये जाने की संभावना है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख). जानकारी का एक विवरण पटल पर रखा जाता है, **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २२]**

कांडला पत्तन

*८३. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कांडला परियोजना पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : जून १९५५ के अन्त तक ५३२·२९ लाख रुपये।

संसद् सदस्यों के लिए चिकित्सा सुविधाएं

*८४. **श्री पी० एन० राजभोज** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि विलिंगडन अस्पताल प्राधिकारी अब संसद् सदस्यों की देखभाल नहीं करेंगे; और

(ख) क्या सरकार का सत्र के दिनों में संसद भवन में एक पूरे समय का औषधालय खोलने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत-कौर) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

स्काईमास्टर विमान

*८५. **श्री आर० के चौधरी** : क्या **संचार मंत्री** १० मार्च, १९५५ को पूछे गये तरांकित प्रश्न संख्या ६८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रात्रि डाक सेवा में अब जो डकोटा विमान प्रयोग किये जा रहे हैं, उनके स्थान पर शीघ्र "स्काई-मास्टर" विमान रखे जायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो किस तिथि से और क्या किरायों की वर्तमान दरें जारी रखी जायेंगी ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन अतिरिक्त स्काईमास्टर विमानों के क्रय के लिए बातचीत कर रही है। यदि ये उपलब्ध हो जायें, तो रात्रि हवाई डाक सेवाओं में डकोटों के स्थान पर स्काईमास्टर रख दिये जायेंगे।

(ख) तिथि स्काईमास्टर विमानों के उपलब्ध होने पर निर्भर है और किरायों में संशोधन वास्तविक संचालन अनुभव और इन विमानों के भार उठाने की क्षमता पर निर्भर है।

पशु-चिकित्सा अन्वेषण संस्थाएं

*८६. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इज्जतनगर और मुक्तेश्वर की पशु-चिकित्सा गवेषणा संस्थाओं को

व्यापारिक संस्थायें कब घोषित किया गया था;

(ख) किस आधार पर इनको व्यापारिक संस्थाएं घोषित किया गया था;

(ग) इन दोनों संस्थाओं के लेख अब तक क्यों नहीं तैयार किये गये ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) ये संस्थायें खुद व्यापारिक संस्थायें घोषित नहीं की गई हैं । लेकिन उनके कुछ विभाग व्यापारिक या अर्ध व्यापारिक किस्म के काम कर रहे हैं ।

(ख) इसके आधार जनरल फिनैन्शियल रूल्स भाग १ के ३२४ पैरा में दिये गये हैं ।

(ग) व्यापारिक संस्थाएं दो हैं :

(१) सजीव कार्य विभाग और

(२) पशु तथा दूध विभाग ।

इनमें सजीव कार्य विभाग तो पहले से ही निर्धारित किये हुए रूप से लेखे का हिसाब किताब रख रहा है। पर पशु तथा दूध विभाग अब तक यों नहीं कर सका। क्योंकि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा हाल ही में एक उम्मीदवार चुना गया है जिसकी लेखा अफसर पद पर नियुक्ति अब बाकी है ।

इंजिन

*८७. **श्री एस० वी० रामस्वामी** : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि हाल ही में डब्ल्यू० जी इंजिनों में प्रयोग के हेतु इंजिन के निचले ढांचों के लिए अमेरिका को और ढले इस्पात के सिलिंडरों के लिए आस्ट्रिया को आर्डर दिए गए हैं;

(ख) यदि ऐसा है तो जिन वस्तुओं के लिए आर्डर दिए गए हैं उनमें से प्रत्येक की कितनी संख्या मंगवाई गई है ;

(ग) प्रत्येक का मूल्य; तथा

(घ) ऐसी प्रत्येक वस्तु का उन आयातित वस्तुओं के योग से क्या अनुपात है जिन से डब्ल्यू० जी० इंजिन बनता है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां ।

(ख) १० इंजिनों के निचले ढांचे, अभिन्न सिलिंडरों सहित और ढले इस्पात के सिलिंडरों के १०४ सैट ।

(ग) इंजिनों के निचले ढांचे लगभग १,१३,००० रुपया, नौतल पर्यन्त निःशुल्क प्रति ढांचा की दर से और ढले इस्पात के सिलिंडर लगभग २२,००० रुपया, नौतल पर्यन्त निःशुल्क, प्रति सैट, जिसमें एक सिलिंडर दाएं हाथ का और एक बाएं हाथ का होगा ।

(घ) उस आयातित सामान की औसत लागत की तुलना में, जो उस इंजिन पर प्रयुक्त होता है जिस पर यह वस्तुएं फिट की जाती हैं, एक निचले ढांचे की लागत लगभग ६६ प्रतिशत होगी और सिलिंडरों के एक सैट की लागत लगभग १२ प्रतिशत होगी ।

इन्दौर-दोहद-रेलवे

*८८. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **रेलवे मंत्री** २३ फरवरी, १९५५ को दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या २३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसके बाद दोहद से इन्दौर तक रेल लाइन बनाने के बारे में कोई निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कार्य कब आरम्भ होगा; और

(ग) उस पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) अभी तक नहीं ।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठता ।

पर्यटक यातायात

*८९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बतने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम जनवरी से ३० जून १९५५ तक कितने पर्यटक भारत में आये; और

(ख) उक्त अवधि में इन से कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) प्रथम जनवरी से ३० अप्रैल १९५५ तक १२९६२ पर्यटक भारत में आये थे । मई और जून के मासों के लिए आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) अर्जित विदेशी मुद्रा के आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं ।

केन्द्रीय चावल गवेषणा संस्था, कटक

*९०. **श्री संगण्णा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री ४ अप्रैल १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १८७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस समिति की जो केन्द्रीय चावल गवेषणा संस्था, कटक की स्थापना और सामान की पर्याप्तता या अपर्याप्तता की जांच करने के लिये नियुक्त की गई थी; किन्हीं सिफ़ारिशों को स्वीकार और क्रियान्वित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उनमें से किन को ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) और (ख). यह मामला अभी विचाराधीन है ।

रेलों का पुनर्वर्गीकरण

*९१. **श्रीमती इला पाल चौधरी :**
श्री एच० एन० मुकर्जी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलों का नया पुनर्वर्गीकरण सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) भारतीय रेलों का नये सिरे से पुनर्वर्गीकरण करने का कोई विचार नहीं है, सिवाय इसके कि पूर्वी रेलवे को दो खंडों में बांटा गया है और इसके बारे में आम घोषणा की जा चुकी है । ये खण्ड १ अगस्त १९५५ से बन जायेंगे ।

(ख) इस आम घोषणा की एक प्रति जिसमें पूर्वी रेलवे के विभाजन के कारण दिये गए हैं, पटल पर रखी जाती है । [**देखिये परिशिष्ट १ अनुबन्ध संख्या २३**]

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन प्रशिक्षण योजना

*९२. **श्री राम शंकर लाल** . क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन प्रशिक्षण योजना के अधीन प्रशिक्षण लेने के लिए शिक्षा मंत्रालय के मनोनीत व्यक्तियों के लिए कोई कोटा निर्धारित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें क्या सुविधायें दी गई हैं ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) शिक्षा मंत्रालय ने केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन में एक वर्ष के लिए यांत्रिक इंजीनियरिंग का प्रशिक्षण पाने के लिये १६ डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों का कोटा निर्धारित किया है ।

(ख) शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक वर्ष के लिए प्रत्येक व्यक्ति को ७५ रूपये की मासिक छात्रवृत्ति दी जाती है । संगठन द्वारा बैरागढ़ और यूनिटों में स्थान दिया जाता है ।

खाद्य का उत्पादन

*९३. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५३-५४ की तुलना में १९५४-५५ में खाद्यान्नों की उपज कम हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कमी कितनी है; और

(ग) इसके कारण क्या हैं ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) से (ग). अब तक जो जानकारी उपलब्ध है, उसका विवरण पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २४]** १९५४-५५ में खरीफ़ अनाज की उपज ३१ लाख टन कम हुई है, जिसका मुख्य कारण यह है कि प्रतिकूल मौसम के कारण बिहार और पश्चिमी बंगाल में चावल की उपज कम हुई है । तथापि जवार की फ़सल पिछले साल की फसल की तुलना में १५ प्रतिशत और गैहूं की १२ १/२ प्रतिशत अधिक थी ।

बिना अनुज्ञप्ति रेडियो का प्रयोग

*९४. **श्री एन० एम० लिंगम** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा बिना अनुज्ञप्ति रेडियो के प्रयोग को रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ; और

(ख) देश में बिना अनुज्ञप्ति के रीसीविंग सेट्स की अनुमानित संख्या क्या है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) बिना अनुज्ञप्ति रेडियो के प्रयोग को रोकने के लिये, डाक और तार विभाग में, विभिन्न सर्कल कार्यालयों से संलग्न वायरलैस लाइसेंसिंग और वायरलैस इन्वेस्टीगेटिंग निरीक्षक होते हैं, जो बिना अनुज्ञप्ति के रेडियो सेटों का पता लगाने के लिये कार्यवाही करते हैं और जिन सेटों की अनुज्ञप्तियों का नवीकरण नहीं कराया गया, उन की जांच करते हैं ।

(ख) अपेक्षित जानकारी देना सम्भव नहीं है । तथापि यह बताया जा सकता है कि १-४-५४ से ३१-३-५५ तक की अवधि में बिना अनुज्ञप्ति के १९२५३ रेडियो सेटों का पता लगाया गया था इन में से कुछ ऐसे थे, जिन की अनुज्ञप्तियों का नवीकरण नहीं कराया गया था ।

रेलवे वर्कशाप

*९५. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने रेल-इंजिन तथा मालगाड़ी के डिब्बों की मरम्मत करने के लिये उत्तरी बिहार में एक वर्कशाप की स्थापना करने के लिये उत्तर-पूर्वी रेलवे का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो यह कारखाना किस स्थान पर खुलेगा तथा इसका निर्माण कार्य कब से आरम्भ होगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

सरकारी कर्मचारियों के लिए 'पहाड़ भत्ता'

*९६. **श्री बोगावत :**
श्री कानावडे पाटिल :
श्री हेम राज :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों को जो ५०० रुपया प्रति मास से कम वेतन प्राप्त करते हैं 'पहाड़ भत्ता' प्रदान करने के बारे में कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि बनाई है तो वह योजना क्या है; तथा

(ग) इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत-कौर) : (क) तथा (ख). केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये अवकाश तथा स्वास्थ्यलाभ गृहों की व्यवस्था करने की एक योजना भारत सरकार के विचाराधीन है । इस योजना के विस्तृत पहलुओं के बारे में अभी निश्चय नहीं हो पाया है ।

(ग) इस प्रकम पर होने वाले व्यय का ठीक अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

मैसूर चीनी कारखाना

*९७. **श्री एन० राचय्या** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि जून १९५५ के उनके मैसूर के दौरे के समय गन्ना-उत्पादकों द्वारा उन्हें एक अभ्यावेदन इस आशय का दिया गया था कि मैसूर के चीनी के कारखाने का विस्तार किया जाय; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो सरकार द्वारा किस प्रकार की और कितनी वित्तीय सहायता दिये जाने का विचार है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) तथा (ख). कुछ व्यक्तियों ने जो अपने आप को मांडिया के आस पास के गन्ना-उत्पादकों के प्रतिनिधि बतलाते थे खाद्य और कृषि मंत्री से भेंट की थी और वर्तमान फैक्टरी के विस्तार के बारे में सामान्य चर्चा की थी । कोई औपचारिक प्रस्थापना नहीं रखी गई थी और कोई विस्तृत चर्चा नहीं हुई थी ।

गोदाम

*९८. **श्री बर्मन** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ सरकार द्वारा निर्मित अन्न भंडारों में कितना खाद्यान्न एकत्र किया जा सकता है;

(ख) एकत्र अन्न की गुणवृद्धि के हेतु अपनाये गये वैज्ञानिक अथवा प्राविधिक ढंग क्या हैं; और

(ग) इन गोदामों में इस समय एकत्र खाद्यान्नों का परिमाण क्या है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) २ ३३ लाख टन ।

(ख) परिनाशन और सुवासित, धुंआ देना ।

(ग) २.०२ लाख टन ।

गहरे समुद्र में मत्स्य-ग्रहण

*९९. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ भारतीय मछुआे गहरे समुद्र में मत्स्य-

ग्रहण के प्रशिक्षण के लिये नार्वे जायेंगे;

(ख) यदि हाँ, वे किस के अधीक्षत में जा रहे हैं और कितने समय के लिये जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने भारत में ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के प्रस्तावों को अन्तिम रुप दिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो ये कब और कहाँ खुलेंगे?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) और (घ). गहरे समुद्र में मत्स्य ग्रहण का केन्द्रीय स्टेशन बम्बई तथा पश्चिमी बंगाल सरकार के कलकत्ता स्थित जहाजों में गहरे समुद्र में मत्स्य ग्रहण प्रशिक्षण सुविधायें पहले ही विद्यमान हैं और उन में अधिक वृद्धि की जायगी यंत्रीकृत मत्स्य ग्रहण प्रशिक्षण केन्द्र शतपति (बम्बई), टूटीकोरीन (मद्रास) और कोचीन (ट्रावनकोर-कोचीन) में खोले जा रहे हैं शतपति केन्द्र १-८-१९५५ से कार्यारम्भ करेगा और अन्य दो केन्द्र १९५६ के प्रारम्भ में चालू होंगे।

नार्वे का सहायता कार्यक्रम

*१००. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **खाद्य और कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में नार्वे के सहायता-कार्य-क्रम के अन्तर्गत प्रारम्भ किये जाने वाले निर्माण-कार्यों के नाम क्या हैं; और

(ख) इस के लिये कितनी रकम आवंटित की गई है?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) विवरण पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या २५**]

(ख) लगभग ४,४५,००० रुपये।

अखिल भारतीय आम्र प्रदर्शनी

*१०१. **श्री एस० एस० दास** :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् द्वारा मई १९५५ में बम्बई में एक अखिल भारतीय आम्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था;

(ख) प्रदर्शनी की मुख्य बातें क्या थीं;

(ग) प्रदर्शनी में इस फल के गैर-सरकारी उत्पादकों ने किस प्रकार और किस अंश में भाग लिया, और

(घ) सर्व श्रेष्ट प्रदर्शित फल के लिय कितने पुरस्कार दिये गये?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २६**]

(घ) २०० रुपये के मूल्य की एक चांदी की ट्राफी प्रदर्शनी के सर्वश्रेष्ठ फल के लिये पुरस्कार में दी गई।

कोलार की सोने की खदानें

*१०२. **श्री नवल प्रभाकर** :
श्री पी० सी० बोस :
श्री रघुनाथ सिंह :
डा० रामा राव :
चौधरी मुहम्मद शफी :
श्री वीरस्वामी :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोलार की सोने की खदानों में स्थित चेम्पियन रीफ

सोने की खदान में हाल ही में दुर्घटना होने से कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो हताहतों की संख्या कितनी थी; और

(ग) दुर्घटना के समय वहां कितने व्यक्ति काम कर रहे थे ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : (क) जी हां, २७ मई १९५५ को ।

(ख) दस व्यक्ति मर गये और आठ को सख्त चोट लगी ।

(ग) खान में सुबह की पारी के कामगरों की औसत संख्या १७९० थी ।

घी का आयात

*१०३. **श्री सी० आर० चौधरी :**
श्री झूलन सिंह :
श्री कामत :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री १४ मार्च, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राज्य अमरीका से अभी तक कितना घी आयात किया गया है;

(ख) जिन पार्टियों ने इसका आयात किया, उनके नाम क्या हैं; और

(ग) आयात से पूर्व क्या घी के गुणों तथा उसके खाने योग्य तत्वों की जांच की जाती है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) कुछ भी नहीं

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी हां ।

संयुक्त राज्य अमरीका से घी आयात करने का मूल प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं था । यदि नये प्रस्ताव आयें तो उनके गुणावगुणों पर विचार किया जायेगा ।

युनीसेफ (संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि)

*१०४. **श्री इब्राहीम** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) १९५४ में संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से भारत को कितनी सहायता मिली; और

(ख) युनीसेफ ने १९५४ में भारत में बच्चों को खिलाने के लिये दुग्धचूण पर कुल कितनी रकम खर्च की ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) १९,६६,००० डालर के मूल्य का सामान तथा अन्य संभरण ।

(ख) लगभग २५०,००० डालर ।

पर्यटक यातायात

*१०५. **श्री विश्व नाथ राय** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने पर्यटन विकास योजना के अन्तर्गत काशिया, लुम्बिनी, सारनाथ, आदि बौद्ध तीर्थों के विकास के लिये कोई योजना बनाई है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : हां, श्रीमान् । मुख्य बौद्ध तीर्थों के विकास की योजना का विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २७**]

पर्यटक यातायात

*१०६. **श्री नानादास** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने देश के अल्प आय वर्ग के लोगों के लिय पर्यटन सुविधाओं के रूप में कुछ रियायतें देने के प्रश्न पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस का विवरण क्या है ; और

(ग) क्या प्रमुख नगरों तथा पर्यटन केन्द्रों में सस्ते पर्यटन-होटल, कैफटेरिया आदि बनवाने का कोई प्रस्ताव है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). द्वितीय पंच वर्षीय योजना के बनाने में इन बातों पर ध्यान दिया जा रहा है ।

प्रसूति तथा शिशु कल्याण केन्द्र

*१०७. { **श्री के० पी० सिन्हा** :
सेठ गोविन्द दास :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में ग्राम क्षेत्रों में खोले गये प्रसूति तथा शिशु कल्याण केन्द्रों की संख्या कितनी है; और

(ख) इस पर केन्द्रीय सरकार का कुल कितना व्यय हुआ ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) ३२;

(ख) इस प्रयोजन के लिये १९५४-५५ में केन्द्रीय सरकार द्वारा ५·६९ लाख रुपये राज्य सरकारों को दिये गये।

तुंगभद्रा पुल

*१०८. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **परिवहन** मंत्री १० दिसम्बर १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०४७ उत्तर में पटल पर रखे गये विवरण के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि करनूल के पास तुंगभद्रा नदी पर सड़क का पुल बनाने में कितनी प्रगति हुई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : राज-पथ विभाग आंध्र से पुल के निर्माण के लिए योजनायें तथा प्राक्कलन १५ जुलाई, १९५५ को प्राप्त हुए और उनकी जांच की जा रही है आशा की जाती है कि शीघ्र ही इस निर्माण-कार्य की मंजुरी मिलेगी ।

स्थानीय स्वायत्त शासन

*१०९. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १० मार्च, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ७०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या स्थानीय स्वायत्त शासन में विशेष शिक्षा प्राप्त करने के लिये भारतीयों को विदेश भेजने की योजना पर तब से कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने भारतीय किन किन देशों को भेजे गये हैं ; और

(ग) उनका चुनाव किस प्रकार और किस आधार पर किया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में विदेश भेजे जाने वाले उम्मीदवारों का अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

रेलवे की ओर आने वाली सड़कें

*११०. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे स्टेशनों की ओर आने वाली सड़कों की देखभाल सीधे रेलवे प्राधिकारियों द्वारा की जाती है या स्थानीय बोर्डों द्वारा या सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा ;

(ख) क्या उन्हें ठीक रखने और मरम्मत कराने के लिये कोई आर्थिक

सहायता या अनुदान दिया जाता है ; और

(ग) सड़क के किनारों के मकानों से प्राप्त आमदनी किस पक्ष को मिलती है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) उत्तर-पूर्वी तथा दक्षिण रेलवे के कुछ स्टेशनों को छोड़कर शेष समस्त स्टेशनों पर रेलवे क्षेत्र के भीतर की सड़कों का प्रबन्ध रेलवे द्वारा किया जाता है ।

(ख) ऊपर भाग (क) में कथित उत्तर-पूर्वी तथा दक्षिण रेलवे के कुछ स्टेशनों को छोड़कर यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) केवल उत्तर-पूर्वी तथा दक्षिण रेलवे के कुछ स्टेशनों को छोड़कर जहां सड़क के किनारे के मकानों और उनकी आमदनी का प्रबन्ध दूसरी संस्थायें करती हैं, सड़क के किनारे के शेष सभी मकानों की आमदनी रेलवे को मिलती है ।

रेलवे साईडिंग

*१११. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या रलवे मंत्री २८ अप्रैल, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २६९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से सिंगरेनी की कोयले की खानों में साईडिंग के मूल्य का पुनरीक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो अभी इसकी क्या दर है ; और

(ग) इस पुनरीक्षण की दर को कब से व्यवहार में लाया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

पाक जल डमरू मध्य

*११२. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भारत और लंका के बीच पाक जल डमरू मध्य में समुद्र को गहरा करने के लिए एक योजना बनाना चाहती है जिससे समुद्री जहाज अरब सागर से बंगाल की खाड़ी में जा सकें;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना को कार्यान्वित करने के मूल्य का अनुमान लगाया गया है;

(ग) इसका अनुमानित व्यय कितना होगा; और

(घ) क्या इस योजनानुसार प्रारम्भिक सर्वेक्षण तथा अनुसन्धान कार्य किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) . अभी कोई नियमित प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया है, किन्तु ३ करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है ।

(घ) अनुसंधान के लिए तथा योजना की प्राविधिक एवं अन्य बातों पर प्रतिवेदन देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव है

रतलाम-गोधरा रेलवे

*११३. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पश्चिम रेलवे के रतलाम और गोधरा

स्टेशनों के बीच रेलवे की लाइन को दुहरा करने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस लाइन पर काम कब आरम्भ किया जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) अभी तक नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

नल-कूप

*११४. **श्री राम शंकर लाल** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत अमरीकी प्राविधिक सहकारिता कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक कितने नल-कूप निर्मित हो चुके हैं ; और

(ख) उन पर कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) ३० जून, १९५५ तक २१७७ नल-कूपों का निर्माण हो चुका है ।

(ख) जून १९५५ के अन्त तक, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को कुल ९४१.४५ लाख रुपयों का ऋण दिया गया ।

सी० टी० ओ० प्रशिक्षण योजना

*११५. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सी० टी० ओ० प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत दिल्ली और बैरागढ़ (भूपाल) में कितने प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : जून १९५५ के अन्त तक सी० टी० ओ० की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दिल्ली, बैरागढ़ तथा कार्य-संचालन एककों में २३७ प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है ।

रेलवे कर्मचारियों में भ्रष्टाचार

*११६. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **रेलवे** मंत्री २२ मार्च, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व सौराष्ट्र रेलवे के चार गज़टेड पदाधिकारियों पर, १३ लाख के गबन के सम्बन्ध में चलाये गये अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामले की क्या स्थिति है; और

(ख) निलम्बन के समय उक्त पदाधिकारियों के हिसाब में कितनी भविष्य निधि थी ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) उक्त पदाधिकारियों को अन्तिम 'कारण बताओ आज्ञप्ति' ९-६-५५ को दी गई थी तथा उनके उत्तर २१-८-५५ तक या उससे पहिले आ जाने चाहिये ।

(ख) ब्याज सहित सरकारी अंशदान ८४,९१७ रुपये २ आनें ।

उर्वरक

*११७. **श्री राम शंकर लाल** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दिखाया गया हो कि विभिन्न राज्यों को, कृषकों के उपयोग के लिये, चालू वर्ष में अब तक कुल कितना एमोनियम सल्फेट आवंटित किया गया ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : १९५५ के पहिले नौ महीनों में विभिन्न राज्यों को आवंटित किये गये एमोनियम

सल्फेट की कुल मात्रा को दिखलाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २८]

तार के खम्भे

१५. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोडी केनाल हिल स्टेशन में मई १९५५ के तीसरे सप्ताह में भयंकर तूफान के कारण तार के खम्भे आदि उखड़ जाने से सरकार को कितनी हानि उठानी पड़ी ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : लाइनें फिर से चालू करने में लगभग २३५० रुपये खर्च हुए ।

बिजली लगाना

१६. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे के पटना-गया खंड में बिजली लगाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो योजना पर कुल कितना व्यय होगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

चीनी मिल

१७. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३० जून, १९५५ तक चालू वर्ष में देश में कितनी चीनी मिलें खोलने तथा पुरानी चीनी मिलों को गन्ना पेरने की शक्ति बढ़ाने की अनुज्ञा दी गई; और

(ख) बिहार राज्य की कितनी चीनी मिलों को गन्ना पेरने की शक्ति बढ़ाने की अनुज्ञा दी गई ।

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) क्रमानुसार दस तथा छः ।

(ख) दो ।

चित्तरन्जन इंजिन कारखाना

१८. **श्री बर्मन** : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) चित्तरन्जन के इंजिन के कारखाने में अब इंजिन के कौन कौन से भाग बनाये जाते हैं; और

(ख) कौन से भाग अब भी आयात किये जाते हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) चित्तरन्जन के इंजिन के कारखाने में बनने वाले 'डबल्यू-जी' वर्ग के इंजिन में कुल ५३३५ पुर्जे होते हैं, जिनमें से ४४७६ पुर्जे चित्तरन्जन इंजिन के कारखाने में बनते हैं । ७६९ (अधिकांशतः छोटे छोटे पुर्जे) स्वदेश में ही प्राप्त कर लिये जाते हैं, और शेष ९० पुर्जे इस समय आयात किये जाते हैं । चित्तरन्जन के इंजिन के कारखाने में बनाये जाने वाले सभी पुर्जों के नामों को दिखाने वाली सूची बहुत बड़ी होगी और प्राविधिक ढंग की होने के कारण वह सूची सामान्य रुचि की भी नहीं होगी । ऐसी सूची को संकलित करने का परिणाम भी उसमें लगाये गये श्रम के स्वरूपानुरूप नहीं होगा ।

(ख) आयात किये जाने वाले पुर्जों का ब्योरा देने वाला एक विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २९]

कुनीन

१९. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) मद्रास राज्य के अनामलाई के कुनीन के कारखाने का औसत वार्षिक उत्पादन क्या है; और

(ख) सारे देश में कुनीन का वार्षिक औसत उत्पादन क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) ६०,००० पौंड कुनीन सल्फेट तथा ३०,००० पौंड सिनकोना फैब्रीफ्यूज ।

(ख) १,४०,००० पौंड ।

काम दिलाऊ दफ्तर

२०. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पहिली फरवरी से जून १९५५ के अन्त तक काम दिलाऊ दफ्तरों में कितने मैट्रिक पास तथा कितने अवर-स्नातक पंजीयित हुए हैं; और

(ख) उक्त अवधि में काम दिलाऊ दफ्तरों को श्रेणीवार, कितने रिक्त स्थानों की सूचना दी गई ?

श्रम मंत्री (श्री खंडुभाई देसाई) : (क) मैट्रिक पास व्यक्तियों, अवर-स्नातकों तथा स्नातकों की पृथक् सांख्यकी तीन महीनों के समयान्तर में संग्रहीत की जाती हैं। अतः पूछी गई जानकारी, जनवरी से जून तक के महीनों के सम्बन्ध में है, जो इस प्रकार है :-

	पंजीयत संख्या
मैट्रिक पास	८३,१०२
अवर-स्नातक	१४,५५०

(ख) मोटे तौर पर व्यवसायिक क्रम से रिक्त स्थानों की जो संख्या बताई गई थी, वह यहां दी गई है :

श्रेणी	जनवरी से जून, १९५५ के दौरान, काम दिलाऊ दफ्तरों को बताये गये रिक्त स्थानों की संख्या
१. औद्योगिक अधीक्षण	४,१६९
२. प्रवीण तथा अर्द्ध प्रवीण	१९,९६२
३. लिपिक	२२,१४८
४. शिक्षा सम्बन्धी	११,६२५
५. घरेलू सेवा	११,५७४
६. अप्रवीण	५६,७४६
७. अन्य	१२,५४६
	१,३८,७७०

टेलीफोन तथा तारघर

२१. **डा० सत्यवादी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बूड़िया (जिला अम्बाला) पंजाब में टेलीफोन एक्सचेंज और तारघर खोलने का निश्चय किया गया है;

(ख) यदि हां तो इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) जगाधरी तहसील के लिए चालू वर्ष में कितने डाकखाने, तारघर तथा टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का विचार और किन-किन स्थानों पर ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). बूड़िया में एक तारघर व एक टेलीफोन पब्लिक कॉल आफिस

३ जून, १९५५ को खोले गये। उस जगह टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) डाकघर ३१ [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३०**]

तारघर १ (शहसादपुर)

टेलीफोन पब्लिक काल आफिस १ (शहसादपुर)

टेलीफोन एक्सचेंज कोई नहीं।

काम दिलाऊ दफ्तर

२२. **डा० सत्यवादी** : क्या **श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब, पैप्सू तथा हिमाचल प्रदेश के काम दिलाऊ दफ्तरों में ३१ मार्च १९५५ को अनुसूचित जातियों के कितने ग्रेजुएट, मैट्रिक, नान-मैट्रिक, प्रवीण और अप्रवीण उम्मेदवारों के नाम दर्ज थे : और

(ख) १९५४-५५ में इन केन्द्रों द्वारा उक्त हर श्रेणी के कितने उम्मेदवारों को नौकरियां दिलाई गईं ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) (क) और (ख). विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३१**]

रेलों में अपराध

२३. **श्री बाल्मीकी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उच्च श्रेणियों (प्रथम और द्वितीय श्रणियों) में पूर्वोत्तर रेलवे पर ३० जून, १९५५ को समाप्त होने वाले पिछले एक वर्ष में कितनी चोरी, लूट, कतल और डकैती की घटनायें हुई हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : चोरियां ९, कतल १, लूट-मार और डकैतियां कोई नहीं।

तारघर

२४. **श्री एस० एन० दास** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दरभंगा जिले के समस्तीपुर सब डिवीजन के अन्तर्गत कुशेश्वर स्थान में तारघर खोलने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में इस विषय पर विचार किये जाने की संभावना है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). यह प्रस्ताव जाँचा जा चुका है। क्योंकि इसमें हानि है, अतएव गारंटी दिये जाने पर फिर से जांचा जा सकता है।

केन्द्रीय गवेषणा संस्था, कसौली

२५. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय गवेषणा संस्था, कसौली में कुछ विदेशी प्रशिक्षण के लिये आये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) तथा (ख). जी, हां। विश्व-स्वास्थ्य संगठन ने १९५५ में अफ़गानिस्तान के पांच राष्ट्रीय-जनों के प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय अनुसन्धान संस्था, कसौली में आयोजन किया है। इनमें से दो व्यक्तियों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है और वे अफगानिस्तान लौट गये

रेलवे इंजिन, आदि

२६. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले चार वर्षों में संकरी लाइन (नैरो गेज) के लिये कितने इंजिन खरीदे गये हैं; और

(ख) वे किन किन देशों से खरीदे गये ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ५८।

(ख) जर्मनी और जापान ।

इंजिनों की मरम्मत

२७. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या रेलव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४ में कालका कारखाने में कितने रेलवे इंजिन मरम्मत के लिये आये ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : कालका शैड में छोटी लाइन के इंजिनों की मरम्मत की जाती है । १९५४-५५ में ६ इंजिन मरम्ममत के लिए आये ।

तम्बाकू

२८. **श्री सी० आर० चौधरी** : क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५४-५५ के दौरान सभी किस्मों के तम्बाकू का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितना औसत आन्तरिक उपयोग हुआ; और

(ग) कितनी मात्रा में तम्बाकू निर्यात किया ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) १९५४-५५ के लिए तम्बाकू का अखिल भारतीय तृतीय प्राक्कलन के अनुसार, जो इस समय नवीनतम प्राक्कलन उपलब्ध है, उक्त वर्ष में सभी किस्मों के तम्बाकू का कुल उत्पादन लगभग ५३३१·२ लाख पौंड था ।

(ख) अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) ७६३·६ लाख पौंड ।

टेलीफोन उपकरण

२९. **श्री इब्राहीम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९५४-५५ के दौरान टेलीफोन के पूर्ण उपकरण का आयात हुआ;

(ख) क्या उक्त अवधि में टेलीफोन के कुछ भागों का आयान किया गया; और

(ग) यदि हां, तो उनका कितना मूल्य था ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां, कुछ विशेष प्रकार के टेलीफोन उपकरण का आयात किया गया।

(ख) जी हां ।

(ग) (१) विशेष प्रकार के टेलीफोन उपकरण ७,७७,५४८ रुपये

(२) कुछ अतिरिक्त भाग और पुर्जे १,५३,४९१ रुपये

कुल योग ९,३१,०३९ रुपये

कपड़ा उद्योग में हड़ताल

३०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मार्च १९५५

से मई १९५५ के महीनों में कपड़े की मिलों में हुई हड़तालों में कितने श्रमिकों ने भाग लिया ?

श्रम मंत्री (श्री खंडुभाई देसाई) : केन्द्रीय सरकार के पास यह जानकारी नहीं है। इस विषय के लिए, जहां तक कपड़े के उद्योग का सम्बन्ध है, राज्य सरकारें जिम्मेवार हैं।

प्रतिकर दावे

३१. **श्री जेठा लाल जोशी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के पास प्रतिकर के ऐसे कितने दावे हैं जो कि पिछले तीन वर्षों से भी पहिले से अनिणीत पड़े हैं;

(ख) ऐसे दावों की कुल राशि क्या है ; और

(ग) ऐसे मामलों की संख्या जिन में सम्बन्धित दावा अधिकारियों ने भुगतान का आदेश दिया है किन्तु उनका निर्णय नहीं हुआ है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ३१-३-१९५५ को उक्त प्रकार के दावों की कुल संख्या ७०५ थी।

(ख) ३७८ मामलों में ४·४६ लाख रुपये की राशि है अवशेष ३२७ दावों की राशी दावेदारों ने उल्लिखित नहीं की है।

(ग) कुछ भी नहीं।

रेलवे दुर्घटना

३२. **श्री सुबोध हासदा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १८ अप्रैल १९५५ को लगभग ३ बजे रात को पूर्वी रेलवे के सुरडिया और कलाई-कुंडा स्टेशनों के बीच कुछ व्यक्तियों ने डाउन बम्बई हावड़ा मेल या माल गाड़ी को पटरी से उतारने की कोशिश की थी; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्य-वाही की है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १९-४-५५ को (१८-४-५५ को नहीं, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है) लगभग २ बज कर ४५ मिनट पर रात में पूर्वी रलवे के टाटा नगर—खड़गपुर खण्ड में सुरडिया और कलाईकुंडा स्टेशनों के बीच जब संख्या ५०२ डाऊन मालगाड़ी जा रही थी, तो वह पटरी के आर पार रखे हुये एक लाइन के टुकड़े से टकरा गयी और परिणाम स्वरूप इंजन के अगले दो पहिये लाइन से नीचे उतर गये।

(ख) इस मामले की सूचना पुलिस को दी गयी है। अन्य कार्यवाही में यह बातें भी हुई हैं :—

(१) पुलिस और रेलवे पदाधि-कारियों द्वारा रेलवे लाइन पर चलने वाले टेलों द्वारा या पैदल गश्त लगाना; आवश्यकता अनुसार स्थानीय ग्रामीण संगठनों की सहायता से सामूहिक गश्त।

(२) ऐसे कार्यों के लिए उत्तरदायी अपराधियों का पुलिस द्वारा पता लगाने और उनके साथ उचित कार्यवाही करने (अभियोग लगाने) के प्रयत्न।

कानपुर की हड़ताल

३३. { **श्री भागवत झा आज़ाद :**
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
सेठ गोविन्द दास :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर सूती मिलों में अभी हाल में जो मज़दूरों की हड़ताल हुई थी उसके परिणामस्वरूप काम के कुल कितने घण्टों की हानि हुई ? और

(ख) उत्पादन में अनुमानत: लगभग कितनी हानि हुई ?

श्रम मंत्री (श्री खण्डूभाई देसाई) : (क) १,०३,२३,६७२ जन-कार्य घण्टे ।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार की सूचना के अनुसार, उत्पादन में लगभग हानि इस प्रकार हुई :—

(१) सूत १,३१,७२,९२५ पौंड

(२) कपड़ा ४,५०,७४,८६६ गज़

(३) जूट ५८,१८,००० गज़

(उक्त आंकड़े ९-७-१९५५ की स्थिति का ज्ञान कराते हैं)

मेचदा संयुक्त डाक तथा तार घर

३४. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल में मिदनापुर ज़िले में किस दिन मेचदा संयुक्त डाक तथा तार घर खोला गया था ;

(ख) क्या उसे स्थायी बना दिया गया है ;

(ग) उससे कितनी वार्षिक आय होती है :

(घ) क्या इस संयुक्त डाक तथा तारघर का क्षेत्र बढ़ाने का विचार है ; और

(ङ) मिदनापुर जिले में मेचदा के बाद कितने संयुक्त डाक तथा तारघर खोले गये और प्रथम पंच वर्षीय योजना की शेष अवधि में कितने खोलने का विचार है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) २७ जुलाई १९५३

(ख) जी नहीं ।

(ग) १९५४–५५ में आय लगभग ११,४०० रुपये थी ।

(घ) इस समय ऐसा कोई विचार नहीं है ।

(ङ) क्रमशः ३ तथा १० ।

शेर

३५. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५ में कितने शेरों का शिकार किया गया ; और

(ख) इस समय भारत में लगभग कितने शेर हैं ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) तथा (ख). सभी राज्यों के बारे में जानकारी अभी मौजूद नहीं है और इकट्ठी की जा रही है। जानकारी आने पर सभा पटल पर रखी जायगी।

खराब हुये इंजिन

३६. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **रेलवे** मंत्री २ दिसम्बर, १९५४ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५१५ के

उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खराब हुये इंजिनों को मोगल-सराय रनिंग शैड में इकट्ठा करने का क्या प्रयोजन है;

(ख) क्या अन्य किसी जंक्शन पर ऐसे इंजिन पड़े हैं ; और

(ग) यदि हां, तो कितने ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नीलाम द्वारा अन्तिम उत्सर्जन के लिए ।

(ख) जी हां।

(ग) पूर्वी रेलवे में ७५ और सभी भारतीय रेलों में २९५ ।

महंगाई भत्ता

३७. **श्री टी० बी० विट्ठल राव:** क्या **रेलवे** मंत्री २८ फरवरी, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ३३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व निज़ाम राज्य रेलवे के कर्मचारियों, जिन्होंने सेवाओं की पूर्व-विलय शर्तों और निबन्धों का विकल्प किया हैं, वे महंगाई भत्ते के ५० प्रतिशत को महंगाई वेतन मानने के संबंध में क्या अभी तक कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं। निर्णय को १ अगस्त, १९५५ से लागू किया जायेगा ।

593 L.S.D.—4.

विस्तार तथा प्रशिक्षण विदेशालय

३८. **श्री पी० एन० राजभोज** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय विस्तार तथा प्रशिक्षण विदेशालय में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या क्या है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : लोक सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है **[देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३२]**

त्रिपुरा में अनन्नास

३९. **श्री बीरन दत्त** : क्या **खाद्य और कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४-५५ कि फसल में त्रिपुरा में कितनी मात्रा में अनन्नास का उत्पादन हुआ ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : ऐसा अनुमान है कि १९५४-५५ की फसल में त्रिपुरा में ६०,००,००० अनन्नास पैदा हुये ।

मुर्गी के बच्चों का आयात

४०. **श्री आई० ईयाचरण**: क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में मुर्गीपालन के लिए अब तक कितने प्रकार के और कितने मुर्गी के बच्चों का आयात किया गया है ;

(ख) किन देशों से इनका आयात किया गया है ;

(ग) प्रत्येक प्रकार के प्रति जोड़े का क्या मूल्य अदा किया गया हैं; और

(घ) किस आधार पर उनका बटवारा किया गया और कितने केन्द्रों को ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) एक भी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न पैदा नहीं होता।

कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

४१. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम रेलवे के रतलाम तथा दोहद स्टेशनों के बीच में रेलवे कर्मचारियों के लिये उन क्वार्टरों को बनाने का कार्य कब तक आरम्भ किये जाने की आशा है जिनके लिये १९५५-५६ के बजट में उपबन्ध किया गया था; और

(ख) अभी तक कार्य प्रारम्भ न करने का कारण क्या है?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) रतलाम और दोहद स्टेशनों के बीच उदयगढ़ स्टेशन पर कर्मचारियों के लिए मकान बनाने की व्यवस्था १९५५-५६ के बजट में की गई थी और काम शुरू हो गया है।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

नये विमान

४२. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) अब तक १९५५ में दो एअर कारपोरेशनों (विमान निगमों) के लिए आयात किये गये नये विमानों की सामर्थ्य उनके प्रकार और संख्या क्या है; और

(ख) इन वायुयानों का मूल्य क्या है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). मैं मांगी गयी जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३३**]

मेडिकल कालेज

४४. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २९ नवम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या ५०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) **वर्ष** १९५५-५६ में अब तक कितने नये मेडिकल कालेज खोले गये;

(ख) इन कालेजों में कितने छात्र शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे; और

(ग) इन मेडिकल कालेजों की सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ।

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) दो ।

(ख) मेडीकल कालेज, भोपाल ५०
मेडीकल कालेज, जामनगर ६०

११०

(ग) विद्यमान मेडिकल कालेजों की सामर्थ्य बढ़ाने और नये मेडिकल कालेजों के खोलने के प्रस्ताव द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिये गये हैं ।

बी० सी० जी० के टीके

४५. **श्री रामदास** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) १९५३-५४ और १९५५ में (मई तक) स्कूल जाने वाले बच्चों को कुल कितने बी० सी० जी० के टीके लगाये गये; और

(ख) उक्त अवधि में स्कूल जाने वाले बच्चों के अतिरिक्त सामान्य जनता को कुल कितने बी० सी० जी० के टीके लगाये गये ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) और (ख). सामान्य जनता और स्कूल जाने वाले बच्चों के सम्बन्ध में पृथक् पृथक् आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। १९५३ से १९५५ तक कुल जितने व्यक्तियों को टीके लगाये गये उनका विवरण इस प्रकार है :

१९५३	३,८५६,७७८
१९५४	६,५५५,४८१
१९५५ (मई तक)	३,६७१,६३१

GIPD—H—593 L.S.D.—13-3-56—240.

लोक-सभा

वाद - विवाद

मंगलवार,
२६ जुलाई, १९५५

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ५, १९५५

(२५ जुलाई से १३ अगस्त, १९५५)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

दशम सत्र, १९५५

(खंड [redacted] में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय सूची

अंक १—सोमवार, २५ जुलाई, १९५५	सतम्भ
स्थगन प्रस्ताव—	
उत्तर प्रदेश में बाढ़ें	१–३
श्री एन० एम० जोशी तथा श्री पतिराम राय का निधन .	३
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	३–४
सभा पटल पर रखे गये गये पत्र—	
भारतीय विमान अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना .	
केन्द्रीय रेशम बोर्ड नियम . .	४–५
नवम सत्र की समाप्ति पर प्रख्याप्ति अध्यादेश	५–६
सरकार द्वारा आश्वासनों, आदि पर की गई कार्यवाही के विवरण .	६–७
प्रथम साधारण निर्वाचन का प्रतिवेदन, खण्ड २ .	७
भारतीय आय कर अधिनियम के अन्तर्गत की गई कार्यवाही की प्रगति का विवरण	७
सोदपुर ग्लास वर्कस सम्बन्धी जांच समिति की सिफारिशों पर वित्त मंत्रालय का संकल्प	८
समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधि-सूचनायें .	८
केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें	९
पुनर्वास वित्त प्रशासन के विवरण और प्रतिवेदन .	९–१०
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	१०
गोआ की स्थिति	१०–२०
अष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	२०
अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	२०–२१
हिन्दु उत्तराधिकार विधेयक—संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव— संशोधित रूप में स्वीकृत . . .	२१–१०७
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१०७–१२८
अंक २—मंगलवार, २६ जुलाई, १९५५	
स्थगन प्रस्ताव—	
त्रावनकोर खनिज व्यापार-संस्था, चवारा में हड़ताल .	१२८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—	
प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन—	
(१) इस्पात का प्रतिधारण मूल्य निश्चित करने के लिये कोयला खान खण्ड मानने के सम्बन्ध में; . .	१२९–१३१

	स्तम्भ
(२) कैलशियम क्लोराइड उद्योग को संरक्षण चालू रखने के सम्बन्ध में;	१२९–१३१
(३) सोडा ऐश उद्योग को संरक्षण चालू रखने के सम्बन्ध में ;	१२९–१३१
(४) टिटेनियम डायक्साइड उद्योग को संरक्षण चालू रखने के सम्बन्ध में; और	१२९–१३१
(५) हाइड्रोकुनीन उद्योग को संरक्षण चालू रखने के सम्बन्ध में;	१२९–१३१
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—तीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . .	१३१
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि .	१३२
सदस्य द्वारा पदत्याग . .	१३२
समय के बंटवारे का आदेश–चर्चा असमाप्त	१३२–१३४
सभा का कार्य . . .	१३४–१३५
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधनों से सहमति	१३४–१४९
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—पारित.	
विचार करने का प्रस्ताव—	१४९–१७०
खण्ड २ और १,	१७०–१७१
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . .	१७१–१७३
औद्योगिक तथा राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक . विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	१७३–१७७
श्री ए० सी० गुह	१७३–१७७
गोआ की स्थिति के बारे में प्रस्ताव—समाप्त .	१७७–२३६
अंक ३—बुद्धवार, २७ जुलाई, १९५५	
सभा पटल पर रखे गये पत्र—	
परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश . संख्या २४ से २९ . .	२३७–२३८
खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें . .	२३८–२३९
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति— इकतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . .	२३९
औद्योगिक तथा राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक. विचार करने का प्रस्ताव–स्वीकृत	२४०–३२६
अंक ४—गुरुवार, २८ जुलाई, १९५५	
सभा–पटल पर रखे गये पत्र—	
प्रशुल्क रियायतों का विश्लेषण विवरण	३२७

	स्तम्भ
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	
दसवां प्रतिवेदन--उपस्थापित	३२७–३२८
स्थगन प्रस्ताव—	
महावीर जूट मिल्स लिमिटेड, गोरखपुर .	३२८–३२९
समय के बंटवारे का आदेश .	३२९–३४१
सभा का कार्य	३४२–३८१
औद्योगिक तथा राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक—	
खण्ड २ से ६	३४३
खण्ड ७	३४३–३५१
खण्ड ८ से १५	३५६–३५९
खण्ड १६	३५९–३६१, ३७०
खण्ड १७ से २३	३६२–३७०
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	३७०–३८१
भारतीय टंकन संशोधन विधेयक	३८१–४२०
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	३८१–३९४

अंक ५—शुक्रवार, २९ जुलाई, १९५५

सभा–पटल पर रखे गये पत्र—	
अनुदानों की मांगों (रेलवे) १९५५–५६, के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों के उत्तर . . .	४२१
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित	४२१–४२२
भारतीय टंक (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४२२–४३१
खण्ड २	४३१–४५०
खण्ड १	४५०–४५१
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव— स्वीकृत . .	४५१
भू–सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	४५१–४६५
खण्ड २ और १	४६५
पारित करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	४६५
मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . .	४६५–४६७
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
इकतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत .	४६८
केन्द्रीय कृषि वित्त निगम के बारे में संकल्प—	
वापस लिया गया	४६८–४९८

	स्तम्भ
वतन आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प--	
असमाप्त	४९८-५१०
अंक ६--सोमवार, १ अगस्त, १९५५	
सभा पटल पर रखे गये पत्र--	
१९५५-५६ के लिये एयर-इंडिया इंटरनेशनल कारपोरेशन के आय तथा व्यय के आयव्ययक प्राक्कलनों का सारांश	५११
बीमा अधिनियम, १९३८ के अन्तर्गत अधिसूचना .	५११-५१२
भारत का राज्य बैंक (संशोधन) आध्यादेश प्रख्यापित करने के कारणों का विवरण . .	५२४-५२५
अनुपस्थिति की अनुमति	५१२
समिति के लिये निर्वाचन--	
लोक लेखा समिति	५१२-५१३
मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक, १९५२--	
वापस लिया गया	५१३-५१४
मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक, १९५५-- पुरःस्थापित	
भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक-पुरःस्थापित . .	५१४
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक--राज्य-सभा को भेजने के बारे में अध्यक्ष महोदय का वक्तव्य . . .	५१५
मद्यसारिक उत्पाद (अंतर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) संशोधन विधेयक--	५१५-५७०
विचार करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	
खंड २ से १४ तथा १	५३९-५६९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	५७०
बन्दी (न्यायालयों में उपस्थिति) विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव--पारित	५७०-५९५
खंड २ से १० तथा १ . . .	५९२-५९९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव--	
स्वीकृत .	६००-६०२
अंक ७--मंगलवार, २ अगस्त, १९५५	
स्थगन प्रस्ताव--	
पुर्तगाली पुलिस द्वारा अमानुषिक अत्याचार . . .	६०३-६०४
संसद् भवन की सीमा में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग	६०४-६०६
एयर-इंडिया इंटरनेशनल विमान के दक्षिण चीन सागर में गिरने के बारे में वक्तव्य	६०६-६०९

स्तम्भ

उत्तर प्रदेश में बाढ़ों के बारे में वक्तव्य . . . ६०६–६१२

दिल्ली जल तथा नाली-व्यवस्था संयुक्त बोर्ड (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत ६१२–६१७

खण्ड २ से ६ और १ ६३७

संशोधित रूप में पारित . ६३७–६३८, ६६१

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त ६३८–६६१, ६६१–६८६

अंक ८—बुधवार, ३ अगस्त, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र—

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघटन के अभिसमय संख्या ५ के अनुसमर्थन के बारे में वक्तव्य ६८७

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

बत्तीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित ६८७

पुर्तगाली पुलिस द्वारा सत्याग्रहियों के साथ कथित दुर्व्यवहार के बारे में वक्तव्य ६८८–६८९

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . ६८९

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक

विधेयक—पुरःस्थापित . ६८९–६९०

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त ६९०–७६०

अंक ९—गुरुवार, ४ अगस्त, १९५५

गोआ की सीमा पर घटनाओं के बारे में वक्तव्य ७६१–७६३

औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) संशोधन विधेयक—

पुरःस्थापित ७६३

सभा-पटल पर रखा गया पत्र—

औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) संशोधन

अध्यादेश, १९५५ के प्रख्यापित करने

के कारणों का विवरण ७६३

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन)

विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपा गया ७६३–८१८

श्री पाटस्कर ७६३–८१७

दरगाह ख्वाजा साहब विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत ८१९–८५१

खण्ड २ से २२ और १ ८५१–८८१

	स्तम्भ
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	८८१–८८३
भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	८८४–८९६
अंक १०--शुक्रवार, ५ अगस्त, १९५५	
कार्य मंत्रणा समिति--	
बाईसवां प्रतिवेदन--उपस्थापित	८९७
विधि आयोग के बारे में वक्तव्य	८९७–९००
भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक—	
खण्ड २ से ६ और १	९००–९०१
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	९०१–९०५
नागरिकता विधेयक--	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—	
असमाप्त	९०५–९३६
तीसवां प्रतिवेदन--स्वीकृत	९३६–९४१
बत्तीसवां प्रतिवेदन--स्वीकृत	९४१
भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक	
(धारा ४२९ का संशोधन)--पुरःस्थापित	९४१–९४२
बाल विवाह रोक (संशोधन)	
विधेयक (धारा १२ का संशोधन)—पुरःस्थापित	९४२
कारखाना (संशोधन) विधेयक	
(धारा ५९ के स्थान पर नई धारा रखना)--पुरःस्थापित	९४२–९४३, ९५८–९५९
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक	
(धारा ४३५ का संशोधन)--	
विचार करने का प्रस्ताव--वाद-विवाद	
स्थगित	९४३–९४७
भारतीय पंजीयन (संशोधन) विधेयक (नई धारा २० क का रखा जाना)	
वापस लिया गया	९४७–९५८
कर्मकर प्रतिकर (संशोधन) विधेयक (नई धारा ३क का रखा जाना)	
पुरःस्थापित	९५९
बाल विवाह रोक (संशोधन) विधेयक—	
(धारा २ और ४ का संशोधन)--	
पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव--प्रस्तुत नहीं किया गया	९५९
बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक (धारा १७ का	

	स्तम्भ
संशोधन) विचार करने का प्रस्ताव--अस्वीकृत .	९६२–९७२
भारतीय वयस्कता (संशोधन) विधेयक (धारा ३ का संशोधन)--	
विचार करने का प्रस्ताव--वापिस लिया गया .	९७२–९७९
विदेशी राज्यों से उपाधि तथा उपहार (स्वीकृति पर दंड) विधेयक-.	
विचार करने का प्रस्ताव--असमाप्त	९८०
अंक ११--सोमवार, ८ अगस्त, १९५५	
सभा पटल पर रखा गया पत्र--	
रक्षित तथा सहायक वायु सेना	
अधिनियम के नियमों में संशोधन	९८१
कार्य मंत्रणा समिति-- . .	
बाईसवां प्रतिवेदन--स्वीकृत . .	९८१
नागरिकता विधेयक--	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--	
असमाप्त	९८२–१०४८
अंक १२--मंगलवार, ९ अगस्त, १९५५	
सभा पटल पर रखे गये पत्र--	
सान के पत्थर के उद्योग आदि को संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में	
प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन	१०४९–१०५०
आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण	१०५०–१०५१
नागरिकता विधेयक--	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--स्वीकृत . . .	१०५२–११००
औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) संशोधन विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव--स्वीकृत . . .	११००–११२९
खण्ड २ और ३ और १	११२९–११३०
विचार करने का प्रस्ताव--स्वीकृत . . .	११२९–११३२
समवाय विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव--असमाप्त .	११३२–११३४
अंक १३--बुधवार, १० अगस्त, १९५५	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र--	
नकली रेशम और सूत एवं नकली रेशम मिश्रित रेशा उद्योग आदि को	
संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन	११३५–११३६
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
तेतीसवां प्रतिवेदन---उपस्थापित . . .	११३६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
कलकत्ता पत्तन पर जहाजों से माल उतारने और माल लादने वाले मज-	
दूरों का 'धीरे काम करो' आन्दोलन	११३६–११३८
समवाय विधेयक--	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव--असमाप्त	११३८–१२१०

अंक १४—शुक्रवार, १२ अगस्त, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—

उत्तर प्रदेश में बाढ़ें १२११–१२१३

अपहृत व्यक्ति (पुनःप्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक—

पुरःस्थापित . . . १२१३

समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—

विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . १२१४–१२४४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—

तेतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . १२४४–१२४५

वेतन आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . १२४५–१२८६

वैदेशिक व्यापार पर राज्य एकाधिकार के बारे में संकल्प—असमाप्त १२८७–१२८८

अंक १५—शनिवार, १३ अगस्त, १९५५

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—

असमाप्त १२८९–१३४२

अनुक्रमणिका १–८

लोक-सभा

मंगलवार, २६ जुलाई, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

---

१२ बजे मध्यान्ह

स्थगन प्रस्ताव

त्रावनकोर खनिज व्यापार संस्था, चवारा में हड़ताल

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एन० श्रीकान्तन नायर से मुझे एक स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । नियम संख्या २१२ के अधीन उन्होंने एक अल्प कालीन चर्चा की भी पूर्वसूचना दी है । यह स्थगन प्रस्ताव त्रावनकोर खनिज संस्था, चवारा की ५४ दिन पुरानी हड़ताल के सम्बन्ध में है । यह मामला राज्य सरकार से सम्बन्धित है । भले ही यह महत्वपूर्ण हो किन्तु अविलम्बनीय नहीं । अत: मैं इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दूंगा ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

हाइड्रोकुनीन, टिटेनियम डायाक्साइड, सोडा ऐश और कैलशियम क्लोराइड उद्योगों को संरक्षण चालू रखने के बार में तथा इस्पात का प्रतिधारण मूल्य निश्चित करने के लिए कोयला खान खण्ड मानने के संबंध में शुल्क आयोग के प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६, उपधारा (२) के अन्तर्गत मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति पटल पर रखता हूं :—

(१) इस्पात का प्रतिधारण मूल्य निश्चित करने के लिये कोयला खान खण्ड के मानने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये** संख्या एस०-२११/५५]

(२) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय संकल्प संख्या एस-सी० (ए)/२ (१४१)/५५ दिनांक १३ मई, १९५५ । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये** संख्या एस०-२११/५५]

(३) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६(२) के उपबन्ध के अधीन (१) और (२) में उल्लिखित पत्रों की प्रतियां नियत समय में न रखे जा सकने के कारणों का विवरण । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिए** संख्या एस०-२११/५५]

(४) कैलशियम क्लोराइड उद्योग पर संरक्षण चालू रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५५ । [**पुस्तकालय में रखा गया । [देखिए** संख्या एस० २११/५५]

(५) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय संकल्प संख्या ३७(१) टी-बी०/५४ दिनांक ४ जून, १९५५ । [**पुस्तकालय में रखा गया । दखिए** संख्या एस०-२१२/५५]

(६) हाइड्रोकुनीन उद्योग को संरक्षण चालू रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिए** संख्या एस०-२१३/५५]

[श्री करमरकर]

(७) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय संकल्प संख्या ८ (२) टी०–बी०/५५, दिनांक ११ जून, १९५५ [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए** संख्या एस०–२१३/५५]

(८) सोडा ऐश उद्योग को संरक्षण चालू रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५५ । [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए** संख्या एस०–२१४/५५]

(९) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय संकल्प संख्या ८ (७) टी०–बी०/५४, दिनांक २५ जून, १९५५ [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिए** संख्या एस०–२१४/५५]

(१०) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की दो अधिसूचनायें संख्या ८(७) टी०–बी०/५४, दिनांक २५ जून, १९५५ । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिए** संख्या एस०–२१४/५५]

(११) टिटेनियम डायाक्साइड उद्योग को संरक्षण चालू रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५५ । [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए** संख्या एस०–२१५/५५]

(१२) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय संकल्प संख्या ८(१)टी०–बी०/५५, दिनांक २ जुलाई, १९५५। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए** संख्या एस०–२१५/५५]

(१३) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय अधिसूचना संख्या ८ (१) टी०–बी०/५५, दिनांक, २ जुलाई, १९५५। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये** संख्या एस०–२१५/५५]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति

तीसवें प्रतिवदन का उपस्थापन

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : मैं ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों से सम्बन्धित कुछ प्रस्थापनाओं के सम्बन्ध में गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति का तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : श्रीमान्, मैं लोक-सभा के बजट सत्र में २८ अप्रैल, १९५५ को श्री के० के० बसु द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २६८४ पर श्री एच० एन० मुकर्जी द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर को शुद्ध करना चाहता हूं जिस में मुझ से कुछ त्रुटि हो गई थी । उस में मैं ने कहा था कि जिस वायुयान से प्रधान मंत्री दिल्ली से बांडुंग गये उस में एक रेडियो अफसर भी था । वास्तव में बात यह है कि जाते समय नहीं बल्कि आते समय उस में एक रेडियो अफसर था । मैं यहां यह भी बता दूं कि एअर इण्डिया इंटरनेशनल को कुछ विशेष मार्गों की उन अनुसूचित सेवाओं में जहां वायुयान चालक द्वारा चालित रेडियो टेलीफोन द्वारा आकाश से पृथ्वी पर संचार पहुंचाया जा सकता है, एक रेडियो अफ़सर ले जाने की छूट दी गई है । मुझे खेद है कि उस समय मैं प्रश्न को ठीक प्रकार से नहीं समझ सका और स्थिति स्पष्ट नहीं कर सका जिसके लिये मैं क्षमा चाहता हूं ।

श्री कामत (होशंगाबाद) : क्या सभा में नित्य ही अशुद्ध उत्तर देकर बाद में शुद्ध किये जायेंगे ? कल भी ऐसा ही हुआ था ?

उपाध्यक्ष महोदय : कभी कभी त्रुटियों का हो जाना स्वाभाविक है ।

सदस्य द्वारा पदत्याग

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री दौलतमल भंडारी ने आज से सभा के अपन स्थान से पदत्याग कर दिया है ।

समय के बटवारे का आदेश

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचित करना है कि २५ जुलाई, १९५५ की बैठक में कार्यमंत्रणा समिति ने सरकारी विधान-सम्बन्धी तथा अन्य कार्य के सम्बन्ध में समय के बंटवारे से सहमति प्रगट की ।

इसके लिये मैं संसद्-कार्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह सभा की अनुमति प्राप्त करने के लिये उस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करें ।

संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिन्हा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सरकारी विधान कार्य और अन्य कार्य के सम्बन्ध में प्रस्थापित समय के बंटवारे से सहमत है, जिसकी घोषणा उपाध्यक्ष महोदय ने आज की है ।"

श्री कामत (होशंगाबाद) : इस प्रस्ताव की प्रति हमारे पास नहीं है ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : भविष्य में ऐसा किया जाना चाहिये कि सभा से अनुमोदन प्राप्त करने से पहले, इस की पूर्वसूचना दी जाये और उसे परिचालित किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है । मैं इसे कल तक के लिये स्थगित करता हूं । इस विषय में जिन सदस्यों को संशोधन देने हैं, वे आज शाम तक दें ।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : समवाय विधेयक की सामान्य चर्चा का समय तो निश्चित किया गया है, किन्तु उस पर अग्रेतर विचार करने के लिये कोई समय निश्चित नहीं किया गया है । ऐसा क्यों हुआ है ?

उपाध्यक्ष महोदय : उस में ९० घंटे लगेंगे । इस विधेयक में ६७० खंड है । इस कार्य में अनावश्यक शीघ्रता न की जाये, इसलिये अभी पूरे समय का ब्योरा नहीं दिया गया ।

श्री एस० एस० मोरे : कार्य मंत्रणा समिति ने समय तो निश्चित किया है किन्तु किस के बाद कौन सा विधेयक लिया जायेगा, इसका हमें पता नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : पूर्ववर्तिता क्रम को परिचालित किया जायेगा ।

श्री कामत : मेरा निवेदन यह है कि इस प्रस्ताव पर कल नहीं, परसों विचार किया जाये । संशोधनों की सूचना एक दिन पहले देनी पड़ती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा तो इस पर परसों विचार किया जायेगा । तब तक के लिये जैसा क्रम दिया गया है उसी के अनुसार सभा का कार्य चलेगा ।

सभा का कार्य

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट) : मैं जानना चाहती हूं कि गोआ पर कितने समय के लिये चर्चा होगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह ढाई बजे प्रारम्भ होगी ।

संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : प्रधान मंत्री पांच बजे उत्तर देंगे । तब तक माननीय सदस्य चर्चा चलायेंगे ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : कल हमें यह बताया गया था कि चर्चा साढ़े छः बजे तक चलेगी । आज कुछ और ही कहा जा रहा है ।

श्री सत्यनारायण सिंह : कल केवल एक अनौपचारिक चर्चा हुई थी । प्रधान मंत्री को और भी महत्वपूर्ण कार्य करने हैं । अध्यक्ष महोदय ने भी कहा था कि इस पर चर्चा के लिये ढाई घंटे यथेष्ट होंगे और सभा के नेता पांच बजे इस का उत्तर देंगे ।

श्री अशोक मेहता (भंडारा) : कल दो प्रस्ताव थे । एक तो यह था कि चर्चा आज होती रहे और प्रधान मंत्री कल उत्तर दें । दूसरा यह था कि चर्चा पांच छः बजे तक चलती रहे और प्रधान मंत्री फिर उत्तर दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : संसद्-कार्य मंत्री यहीं उपस्थित हैं । इस विषय में वह प्रधान

[उपाध्यक्ष महोदय]

मंत्री से परामर्श कर लेंगे । मेरे विचार से तो चार घंटे यथेष्ट हैं । तब तक के लिये हम अन्य कार्य प्रारम्भ करते हैं ।

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक——जारी

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम राज्य-सभा द्वारा पारित दंड प्रक्रिया संहिता पर खंडशः विचार करेंगे ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चितौड़) : औचित्य प्रश्न के हेतु मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी सामान्य चर्चा पूरी नहीं हुई है । उस में केवल पांच मिनट लगे थे ।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य अनुपस्थित थे । चर्चा पूरी हो चुकी है । यदि आप खंड २२ के विषय में कुछ और कहना चाहते हैं तो मैं अनुमति दे सकता हूं ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : खंड २२ में यह सुझाव दिया गया है कि "अभियुक्त द्वारा" शब्दों को निकाल दिया जाये किन्तु ऐसा करने से साक्ष्य अधिनियम तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १६२ में चक्कर पड़ जायगा ; जैसा कि वकीलों को विदित है किसी साक्षी को एक विशेष स्थिति में ही विरोधी घोषित किया जा सकता है । ऐसा नहीं है कि उस का साक्ष्य भी पूरा हो जाये, उस का प्रति-परीक्षण (जिरह) भी पूरी हो जाये और बाद में उसे विरोधी घोषित किया जाये । जब हम "अभियुक्त द्वारा" शब्द निकाल देते हैं तो उस के साक्ष्य के किसी भी अंश को केवल अभियोक्ता ही अपने काम नहीं ला सकता बल्कि अभियुक्त भी ला सकता है । इस विषय में माननीय उपमंत्री ने जो कुछ कहा है उस से यही अर्थ निकलता है कि साक्षी का प्रति-परीक्षण (जिरह) एक बार फिर होगा किन्तु साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्तुत खंड में "अभियुक्त द्वारा" शब्द इसलिये निकाले जा रहे हैं कि अभियुक्त भी साक्षी के उस साक्ष्य का उपयोग कर सके और न्यायालय की अनुमति से अभियोजक भी उस के किसी आशं का अभियुक्त के विरोध में उपयोग कर सकता है ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : किन्तु मैं आपका ध्यान पंक्ति ३९ की ओर आकर्षित करता हूं जिस के अनुसार केवल अभियोक्ता ही उस साक्ष्य का उपयोग कर सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या यह अभियुक्त के हित में नहीं है ?

श्री यू० एम० त्रिवेदी: जी नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय: जो खंड इस सभा के द्वारा पारित हुआ है उस के अनुसार उस साक्ष्य के जिस अंश का अभियुक्त प्रयोग करता है उस का प्रयोग अभियोक्ता भी कर सकता है । इससे कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : संक्षेप में स्थिति यह है कि साक्षी अभियोक्ता पक्ष का है । उसके परीक्षण और पुनः परीक्षण का अधिकार अभियोक्ता को है अभियुक्त को नहीं । जब वह साक्षी अभियोक्ता का विरोधी हो जाता है तो अभियोक्ता उस का प्रतिपरीक्षण कर सकता है । किन्तु साक्षी के विरोधी हो जाने से अभियुक्त को यह अधिकार नहीं मिल जाता कि वह उसका पुनः परीक्षण करे ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : क्यों नहीं ? यही अधिकार तो उसे यहां दिया जा रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें हानि ही क्या है ?

श्री यू० एम० त्रिवेदी : यदि इन शब्दों को निकाल दिया जाये, तो अवसर अभियुक्त को नहीं, बल्कि अभियोक्तापक्ष को मिलेगा । पुनः परीक्षण और बात है किन्तु यदि प्रति-परीक्षण की अनुमति दी जाये, तो यह एक खतरनाक बात हो जाती है । मेरे विचार में अभियोक्तापक्ष को इस उपबन्ध के प्रयोग का अधिकार नहीं होना चाहिये । अभियुक्त को तो कोई लाभ नहीं पहुंचता, उसे पुनः परीक्षण का अधिकार नहीं है और उसके बयान के लिखे जाने का कोई प्रश्न नहीं है । अतः स्थिति यह है कि गवाह को प्रतिकूल घोषित कराके अभियोक्ता और आगे प्रति परीक्षण करने का अवसर ले सकेगा, जो कि साक्ष्य अधिनियम के उपबन्धों के विरुद्ध है । इस से देश भर में अनावश्यक गड़बड़ पैदा होगी ।

श्री एस० एस० मोरे : मैं एक ऐसे अवसर की कल्पना कर रहा हूं, जिस में अभियोक्तापक्ष इस उपबन्ध का प्रयोग अभियुक्त के अहित में करेगा । एक गवाह उपस्थित है । अभियोक्ता उस से प्रश्न पूछने लगा है । वह कोई ऐसी बात कह जाता है जो अभियोग के पक्ष में नहीं है । अभियोक्ता यह प्रार्थना करता है कि उसे प्रतिकूल गवाह समझा जाये और उस पर जिरह करन की अनुमति दी जाये । न्यायालय इस की अनुमति दे देता है । अभियोक्ता कुछ समय के लिये जिरह करता है । इसके बाद उस पर अभि-युक्त की ओर से जिरह की जाती है । हो सकता है कि इस जिरह के फलस्वरुप गवाह ने कुछ ऐसे उत्तर दिये हों, जो अभियोक्ता की जिरह के उत्तरों से भिन्न हों । इस पर अभियोक्ता उसका पुनः परीक्षण करेगा और उसके वक्तव्य का प्रयोग कर के सफ़ाई के वकील की जिरह के परिणामों का खंडन करेगा और उसके प्रभाव को मिटायेगा । स्थिति यह होगी कि अभियोक्तापक्ष को दो सुविधायें प्राप्त होंगी । वह गवाह के वक्तव्य को दो अवसरों पर प्रयोग कर सकेगा--पहले न्यायालय की अनुमति से जिरह के समय और फिर अपने गवाहों के पुनः परीक्षण के समय । मेरा निवेदन है कि यह अभियुक्त के प्रति अन्याय है ; इस पुनः परीक्षण के समय अभियोक्ता बयान का प्रयोग कर के किन्हीं ऐसे निष्कर्षों का खंडन कर सकता है जो कि सफाई के वकील ने अपनी जिरह के समय निकाले हों ।

मेरा निवेदन है कि अभियुक्त के हितों का भी कुछ ख्याल रखना चाहिये और राज्य के ज़ोर के मुकाबले में उसकी भी कुछ सहायता करनी चाहिये ताकि ऐसा न हो कि अभियोक्ता कोई अनुचित लाभ उठाये ।

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : विचार का विषय यह है कि 'अभियुक्त द्वारा' ये शब्द निकाल देने से अभियुक्त को कोई हानि पहुंचेगी ? आप देखेंगे कि ये शब्द मूल अधिनियम में बिल्कुल नहीं थे । ये असावधानी के कारण रख दिये गये थे और वास्तव में इन की कोई आवश्यकता नहीं थी । मैं सदन के सामने स्पष्ट करना चाहूंगा कि इन शब्दों के रखने से अभियुक्त को कितनी कठिनाई होगी, क्योंकि उस अवस्था में उस के लिये पुनः परीक्षण का अवसर प्राप्त करना बहुत कठिन होगा । जहां तक पुनः परीक्षण का सम्बन्ध है, इस का निर्देश न केवल पक्ष की ओर है, बल्कि जिरह की ओर भी है । साधारण मामलों में गवाह पर जिरह विपक्ष की ओर से की जाती है, जिस ने गवाह को नहीं बुलाया होता । किन्तु जहां तक इस जिरह का सम्बन्ध है गवाह बुलाने वाला पक्ष पुनः-परीक्षण कर सकता है । प्रविधिक रूप

[श्री दातार]

श्री मोरे का कहना कुछ हद तक ठीक है किन्तु यहां पुनः परीक्षण का अधिकार अभियुक्त को दे दिया गया है क्योंकि अभियोक्ता उस पर जिरह कर रहा है । हमारा उद्देश्य यह है कि जब गवाह पर अभियोक्तापक्ष के अभियोक्ता द्वारा जिरह हो चुकी हो, तो अभियुक्त को संदिग्धता को दूर करने और उस गवाह से कुछ स्पष्टीकरण कराने का अधिकार होना चाहिये । जब कोई गवाह अभियोग के प्रतिकूल हो जाये, तो वह अभियोक्ता पक्ष का गवाह नहीं रहता, वह सफ़ाई का गवाह बन जाता है । हम अभियुक्त के रास्ते में कोई रुकावटें नहीं रखना चाहते । अन्यथा उसके लिये पुनः परीक्षण सम्भव ही नहीं होगा । यदि ये शब्द वैसे ही रखे जायें, तो इस का अर्थ यह होगा कि सब मामलों में केवल अभियोक्ता पक्ष को ही पुनः परीक्षण का अधिकार होगा । मेरे मित्र पंडित भार्गव ने बिल्कुल ठीक कहा है कि यदि ये शब्द हटा दिये जायें, तो जहां तक अभियोक्ता पक्ष के गवाह की जिरह का सम्बन्ध है, इस से अभियुक्त को स्पष्टीकरण कराने का लाभ प्राप्त होगा । मेरा निवेदन है कि ये शब्द हटा देने चाहियें, क्योंकि इस से यदि किसी को लाभ होता है, तो वह अभियुक्त को होता है और अभियोक्ता को नहीं ।

श्री टेक चन्द (अम्बाला—शिमला) : वर्तमान उपबन्ध की बड़ी सावधानी से जांच करने की आवश्यकता है । जब कोई गवाह जिसका बयान लिखा जा चुका है अभियोक्ता पक्ष के गवाह के रूप में गवाही देने आता है, तो हो सकता है कि वह कोई चीज़ कहना भूल जाता है और इस से अभियोक्तापक्ष को हानि पहुंचती है । यदि ऐसा हो जाये, तो इस संशोधित उपबन्ध के अनुसार, अभियोक्ता-पक्ष न्यायालय की अनुमति से उस पर जिरह कर सकेगा । जब अभियोक्ता उस गवाह को प्रतिकूल गवाह घोषित करते हुये उस पर जिरह समाप्त कर लेता है, तो उस गवाह के पुनः परीक्षण या तीसरी बार परीक्षण का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । यह तर्क संगत नहीं है । वर्तमान उपबन्ध जैसा कि यह अब है ठीक है । जब अभियोक्तापक्ष गवाह को प्रतिकूल घोषित करना चाहता है तो उसके पुनः परीक्षण का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । अभियुक्त द्वारा जिरह किये जाने के बाद यदि कोई अस्पष्टता हो, तो उसे पुनः परीक्षण द्वारा दूर करवाया जा सकता है । अन्यथा 'अभियुक्त द्वारा' ये शब्द हटा देने से सारा मामला निरर्थक हो जाता है ।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता—दक्षिण-पूर्व) : यहां प्रश्न पुनः परीक्षण का है और हम जानते हैं कि पुनः परीक्षण का अर्थ क्या है । हम पुनः परीक्षण का अधिकार दे रहे हैं, किन्तु किस को ? अभियुक्त को नहीं बल्कि अभियोक्ता को । इस बात को ध्यान में रखते हुये, प्रस्तावित संशोधन का क्या फल निकलेगा ? "अभियुक्त द्वारा" शब्द निकाल दिये जाने हैं । अतः वाक्य इस प्रकार रह जाता है "बयान के इस प्रकार प्रयुक्त होने के पश्चात् इसका प्रयोग पुनःपरीक्षण द्वारा स्पष्टीकरण के हेतु किया जा सकता है ।"

'इस प्रकार प्रयुक्त' शब्दों का क्या महत्व है ?

श्री एस० एस० मोरे : किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त ।

श्री साधन गुप्त : 'इस प्रकार प्रयुक्त' का अभिप्राय है अभियोक्ता पक्ष द्वारा या अभियुक्त द्वारा प्रयुक्त, यदि अभियोक्ता पक्ष किसी साक्षी को प्रतिकूल साक्षी घोषित करवा सके और उसका प्रति-परीक्षण कर सके । फिर अभियुक्त उस का पुनः परीक्षण करेगा और यदि अभियोक्ता पक्ष ऐसा समझे

कि उनके द्वारा किये गये प्रति-परीक्षण में कोई बात संदिग्ध रह गई है तो 'अभियुक्त द्वारा' शब्दों के गिरा दिये जाने से उन्हें उसके पुनः परीक्षण का अवसर मिल सकेगा। इस प्रकार वे किसी अस्पष्ट रह गई बात को स्पष्ट कर सकेंगे। इस से अभियुक्त को कुछ भी लाभ नहीं होगा। मैं अभियुक्त को उसके किसी अधिकार से वंचित करना नहीं चाहता। अभियुक्त को तो पहले से ही प्रति-परीक्षण का अधिकार प्राप्त है, अतः उसे किसी पुनः परीक्षण के अधिकार की आवश्यकता नहीं है। इन शब्दों के हटाये जाने का केवल यही परिणाम होगा कि अभियोक्ता पक्ष को तीन अधिकार प्राप्त हो जायेंगे, अर्थात् मुख्य परीक्षण, प्रति-परीक्षण और पुनः परीक्षण। उन्हें यह सभी अधिकार देना अनुचित होगा। अतः मैं गृह-कार्य उपमंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस विषय पर ध्यान पूर्वक विचार करें और इन शब्दों का हटाया जाना स्वीकार न करें। यदि वे अभियुक्त को कोई अधिकार देना चाहते हैं तो वर्तमान उपबन्ध ही उपयुक्त उपबन्ध है, अतः इस संशोधन को स्वीकृत नहीं करना चाहिये।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : सारी कठिनाई इस बात से उत्पन्न हुई है कि सरकार धारा १६२ के अन्तर्गत हुये बयान का उपयोग करने का अधिकार अभियोक्ता पक्ष को भी देना चाहती है। यह बयान अभी तक तो अभियुक्त द्वारा ही प्रयुक्त हो सकता था। इस विषय में सम्बद्ध सिद्धान्त के बारे में तो पहले से ही इस सभा द्वारा निश्चय हो चुका है अतः उस विषय को फिर से उठाना उचित नहीं होगा। मेरा अपना मत तो यह है कि उस बयान के भाग विशेष का प्रयोग अभियुक्त और अभियोक्ता दोनों द्वारा हो सकता है, अतः 'अभियुक्त द्वारा' शब्दों के रखे जाने से झगड़ा ही होगा।

प्रश्न उठता है कि 'पुनः परीक्षण' और 'प्रति परीक्षण' शब्दों का यहां क्या अभिप्राय है। मेरे विचार में यह अधिकार इस धारा द्वारा प्राप्त नहीं होते अपितु साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त होते हैं। यह प्रश्न बहुत कुछ न्यायालय के निर्णय पर निर्भर होगा। अतः मैं समझता हूं कि 'अभियुक्त द्वारा' शब्दों को निकाल देना ही ठीक होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत कुछ कहा जा चुका है.....।

पंडित ठाकुर दास भार्गव उठे—

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जो कहना चाहते थे, वह श्री राघवाचारी ने कह दिया है। हम इस पर ४५ मिनट ले चुके हैं और समय नहीं है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं केवल दो मिनट लूंगा। जो व्यक्ति इस संशोधन के पक्ष में नहीं हैं उन्होंने इस बात पर विचार नहीं किया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा १५४ में न्यायालय द्वारा जिरह की अनुमति दिये जाने का कोई विशेष समय नहीं दिया हुआ है। मेरे मित्र यह समझ रहे हैं कि सब से पहले तो सम्बन्धित पक्ष न्यायालय से अनुमति लेगा, फिर जिरह होगी, फिर अभियुक्त को जिरह करने का अधिकार होगा और उसके बाद पुनः बयान लिया जायेगा। धारा १५४ स्पष्ट नहीं है। जिरह अन्त में भी हो सकती है। पुनः बयान देने में भी कोई व्यक्ति ऐसी बात कहे जो अभियोक्ता के लिये अपमानजनक हो तो वह यह कह सकता है कि उसे अन्त प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाये।

मेरा निवेदन है कि ऐसी स्थिति में वे सारे तर्क जो कि दिये गये हैं, निरर्थक हो जायेंगे। धारा १३८ में कहा गया है कि पुनः बयान लेने का उद्देश्य उन मामलों की व्याख्या करना है जो जिन की चर्चा जिरह में की गयी हो। धारा १३८ धारा १५४ का लागू होना नहीं रोकती। परन्तु कई बार धारा १६२

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

के अधीन दिये गये बयान में कुछ ऐसी बात होती है जिस से जिरह में कही गयी बातें निरर्थक हो कर रह जाती हैं । यदि आप पुनः बयान लिये जाने की अनुमति नहीं देते.....

श्री एस० एस० मोरे : कैसे ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : दिक्कत यह है कि मेरे मित्र इस बात को नहीं भुला सकते कि पुनः बयान साक्षी को बुलाने वाला व्यक्ति या पक्ष ही दिलवा सकता है । पुनः बयान दिलवाने का उद्देश्य जिरह में कही गयी बातों की व्याख्या है । यद्यपि हम "यदि साक्षी को बुलाने वाला पक्ष चाहे"--इन शब्दों के विरुद्ध जा रहे हैं परन्तु हम ठीक सिद्धान्त का पालन कर रहे हैं । पुनः बयान दिलान का उद्देश्य यही है और यदि अभियुक्त का मामला अभियोक्ता की जिरह के परिणाम स्वरूप बिगड़ा हुआ हो तो उसे यह अधिकार मिलना चाहिये कि वह उसी प्रलेख से सारी बातें स्पष्ट कर सके जो अभियोक्ता ने तैयार किया हो । इस की अनुमति होनी चाहिये नहीं तो अभियुक्त पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ ५, पंक्ति ४१ में से "by the accused" ["अभियुक्त द्वारा"] शब्द हटा दिये जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २५

श्री एस० एस० मोरे : यह खण्ड दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा २५० जैसा है । मेरी समझ में यह नहीं आता कि ये दो खण्ड -९ क और ९ ख--क्यों होने चाहियें । ९ क के सम्बन्ध में मैं यह तो मान सकता हूं कि उस आदमी को अपील का अधिकार होना चाहिये परन्तु खण्ड ९ ख का तात्पर्य मेरी समझ में नहीं आता । अपील में वह व्यक्ति न्यायालय से प्रार्थना कर सकता है कि रोक आज्ञा जारी की जाये ; परन्तु जैसा कि आप जानते हैं, कई हालतों में, जब क्षतिपूर्ति न्यायालय में जमा करवा दी जाती है, यह दूसरे पक्ष को प्रतिभूति देने पर भी दी जा सकती है । न्यायालय को तो यह देखना है कि एक बार दिया गया धन वापस लेना कठिन बन जाये । यदि प्रतिभूति मांगी जाये और दूसरा पक्ष देने को तैयार हो तो पैसा जमा कराने वाले के हित की पूरी रक्षा हो जाती है । यह उप-बन्ध क्यों हो कि अपील का निर्णय होने तक क्षतिपूर्ति न दी जाये । सरकारी कर्मचारी के प्रति पक्षपात का यह एक और उदाहरण है । मेरे विचार में उस की भी स्थिति आम लोगों जैसी रहनी चाहिये ।

श्री दातार : मैं एक ही बात कहना चाहता हूं । यह धारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा २५० के अनुरूप है, धारा ९ क संहिता की धारा २५०(३) के अनुरूप है और ९ ख संहिता की धारा २५०(४) के ।

श्री राघवाचारी : मैं एक बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि खण्ड ९ ख में ये शब्द प्रयोग किये गये हैं--"अपील का निर्णय होने"("the appeal has been decided") मैं समझता हूं कि "निर्णय" ("decided") के स्थान में "निबटारा" ("disposed off") शब्द होने चाहियें क्योंकि हो सकता है कि अपील गृहीत ही न हो ।

उपाध्यक्ष महोदय : धारा ११ के अधीन "पूर्व निर्णीत" होने का निर्णय भी निर्णय ही माना जायगा । अन्तिम रूप से अपील का निबट जाना भी निर्णय है, बल्कि एकपक्षीय निर्णय भी निर्णय ही है । इस लिये "निर्णय"

शब्द में धारा ४०३ के अधीन निर्णय भी आ जाता है ।

प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ ८ में, पंक्ति, ४ के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"(9A) The person who has been ordered under sub-section (7) to pay compensation may appeal from the order, in so far as the order relates to the payment of the compensation, as if he had been convicted in a trial held by the Court of Section.

(9B) When an order for payment of compensation to an accused person is made in case which is subject to appeal under [sub-section (9A) the compensation shall not be paid to him before the period allowed for the presentation of the appeal has elapsed, or, if an appeal is presented, before the appeal has been decided"]

["(९क) उपधारा (७) के के अधीन जिस व्यक्ति को क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया गया हो वह उस आदेश की, जहां तक कि उसका सम्बन्ध क्षतिपूर्ति के भुगतान से है, अपील कर सकता है मानो वह सत्र न्यायालय द्वारा मुकदमे में सिद्ध दोष ठहराया गया हो ।

(९ख) जब किसी मामले में, जो उपधारा (९क) के अन्तर्गत अपील के अधीन हो, अभियुक्त को क्षतिपूर्ति दिये जाने का आदेश दिया जाये, तो उसे क्षतिपूर्ति उस अवधि के समाप्त होने से पहले जो अपील करने के लिये अनुमत हो, या यदि अपील की गयी हो, उस का निर्णय होने से पहले नहीं दी जायगी ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पृष्ठ ८ पर, पंक्ति ८ से ९ के स्थान पर, निम्नलिखित रख दिया जाये, अर्थात् :

"(11) The provisions of this section shall be in addition to and no in derogation of, those of section 198"

["(११) इस धारा के उपबन्ध, धारा १९८ के उपबन्धों के अतिरिक्त, होंगे न कि उन का अल्पीकरण करने वाले ।")

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ एक, पंक्ति ४ में, अंक "1954" ["१९५४"] के स्थान पर अंक "1955" ["१९५५"] रख दिया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ १, पंक्ति ६ में, "Government may" ["सरकार करे"] शब्दों के बाद "by notification in the official gazette" [सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा"] शब्द रख दिये जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पृष्ठ १, पंक्ति १ में, "fifth year" ["पांचवें वर्ष"] शब्दों के स्थान पर " sixth year " ["छठे वर्ष"] शब्द रख दिये जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २९

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ ९, पंक्ति २४ में, "accused" ["अभियुक्त"] शब्द के बाद जहां वह पहली बार आता हो निम्नलिखित अंश रख दिया जाये अर्थात् :—

"for the purpose of enabling him to explain any circumstances appearing in the evidence against him."

["उसे इस योग्य बनाने के लिये कि वह साक्ष्य में अपने विरुद्ध आई किन्हीं परिस्थितियों की व्याख्या कर सके" ।]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड ३१

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ ११ पर वर्तमान खण्ड ३१ को हटा दिया जाये ; . .

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ५२

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ १५, पंक्ति, ३३ में " thereof " ["उसके"] शब्द के बाद "signed by the judge" ["न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित"] शब्द रख दिये जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ६३

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ १७, पंक्ति ४४-४५ में "or the recording of their statement" [" या उन के बयानों का लिखा जाना"] शब्द हटा दिये जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ १७, पंक्ति ४७–४८ में "or as the case may be, their statement have been recorded" ["या जैसी भी स्थिति हो, उन के बयान लिख लिये गये हैं"] शब्द हटा दिये जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

कि पृष्ठ १८, पंक्ति ७ में, "or recording their statements" ["या उन के बयानों का लिखा जाना"] शब्द हटा दिये जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १११

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ ३०, पंक्ति ११ में, "substiuted" ["आदिष्ट"] शब्द के स्थान में "inserted" ["निविष्ट"] शब्द रख दिया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ११२

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ ३०, पंक्ति २५ में, "with the previous sanction of the State Government" ["राज्य

सरकार की पूर्व मंजूरी से"] शब्दों के स्थान पर "with the previous approval of the State Government" ["राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से"] शब्द रख दिये जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस विधेयक में कुछ उद्योगों के संरक्षण के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग की सिफ़ारिशों पर सरकार के निर्णयों को प्रभावी बनाने के लिये उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में कुछ परिवर्तन करके भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ में संशोधन करने वाला अपेक्षा है। जैसा कि सभा ने विधेयक में संलग्न उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में देखा होगा, आयोग की सिफ़ारिशों कास्टिक सोडा और ब्लीचिंग पाउडर, रंगाई का सामान, मोटर के स्पार्किंग प्लगों और हाथ से हवा भरने वाले बोटर पम्पों के निर्माण में लगे हुए उद्योगों को पहली बार संरक्षण देने (स्टीयरिक) और औलिक अम्लों, आयल प्रेशर लैम्पों और सूती वस्त्र मशीनरी उद्योगों का संरक्षण जारी रखने और टीन के रोलरों को सूती वस्त्र मशीनरी की संरक्षित श्रेणियों में से निकाल देने के सम्बन्ध में है।

इन सब उद्योगों पर प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन और सरकार के संकल्पों की प्रतिलिपियां सभा पटल पर पहले ही रखी जा चुकी । माननीय सदस्यों ने उन सभी दस्तावेज़ों को अवश्य पढ़ा होगा। इस कारण मुझे उनके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं, वरन् मैं इन उद्योगों के कुछ आवश्यक पहलुओं का सरकारी तौर पर उल्लेख करना चाहता हूं।

मैं पहले उन उद्योगों को लूंगा जिन्हें प्रथम बार संरक्षण दिया जा रहा है। इस श्रेणी में आने वाले चार उद्योगों में कास्टिक सोडा और रंगाई का सामान के उद्योग ऐसे हैं जो देश की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अत्यधिक महत्व के मूलभूत उद्योग हैं। पहले रंगाई सामान के उद्योग को लीजिये। आयोग ने इसके विषय में यह विचार प्रकट किया है कि राष्ट्रीय हित की दृष्टि से देश में इस उद्योग की स्थापना की जानी चाहिये और इसका भली भांति विकास होना चाहिये तथा इसको दिया जाने वाला संरक्षण अथवा सहायता का समायोजन इस प्रकार किया जाना चाहिये कि उपभोक्ता पर इसका उतना ही भार पड़े जितना रंगों के निर्माण की उन्नति और विकास के लिये अत्यन्त आवश्यक हो। आयोग ने बताया है कि उद्योग एक केन्द्र बन जाता है जिसके चारों ओर कार्बनिक रस द्रव्य उद्योग के विकास की आशा की जा सकती है और इसकी उन्नति अन्य आवश्यक रस द्रव्य उद्योगों, जैसे एक ओर तो भारी अकार्बानिक रस द्रव्य उद्योग और तारकोल उद्योग तथा दूसरी ओर सूक्ष्म रस द्रव्य तथा भेषजीय उद्योग, विस्फोटक, संश्लेषित प्लास्टिकों तथा द्योलक उद्योग, के विकास से सम्बन्धित है। इस उद्योग के उत्पादों से शान्ति काल में देश की अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सहायता मिलेगी और आपात काल में उद्योग को रक्षात्मक सामान का उत्पादन करने के लिये तत्काल ही परिवर्तित किया जा सकता है।

अब मैं कास्टिक सोडा उद्योग (जिसमें ब्लीचिंग पाउडर और ब्लीचिंग पेस्ट सम्मि-

[श्री करमरकर]

लित हैं) को लेता हूं जो लवण पर आधारित भारी रस द्रव्य उद्योगों की एक महत्वपूर्ण शाखा है । देश में कास्टिक सोडा का प्रमुख उपयोग साबुन, वस्त्र, काग़ज़, तैल को साफ़ करने, वनस्पति, विस्फोटकों तथा अन्य रस द्रव्यों में किया जाता है । इसका उपयोग रेयन उद्योग में भी होता है जिसमें एक विशेष ग्रेड की शुद्धता की आवश्यकता होती है । ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में तथा कार्बानिक और अकार्बानिक क्लोरीन मिश्रणों के उत्पादन में किया जाता है । प्रशुल्क आयोग की उन सिफारिशों का कि सोडा पर विद्यमान राजस्व शुल्कों को संरक्षणात्मक शुल्क में बदल दिया जाये, इस देश के उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा । ब्लीचिंग पाउडर और ब्लीचिंग पेस्ट पर १५ प्रतिशत मूल्यत: संरक्षणात्मक शुल्क लगाने के प्रस्ताव के पक्ष में आयोग ने मुख्य कारण यह बताया है कि उनके कारण क्लोरीन की निकासी होती रहती है । जो कि कास्टिक सोडा के निर्माण की विद्युदंशिक प्रक्रिया में उपोत्पादन के रूप में प्राप्त होगी है और यह कि विद्युदंशिक कास्टिक सोडा उद्योग की उन्नति के लिये यह आवश्यक है कि क्लोरीन का प्रयोग करने वाले सभी उद्योगों को सम्भव प्रोत्साहन दिया जाये ।

अब हम मोटर स्पार्किंग प्लग और हाथ से हवा भरने वाले मोटर के पम्पों के उद्योगों को लेते हैं । स्पार्किंग प्लग, जैसा कि सर्व विदित है, मोटर के इंजन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है । इसका कार्य इंजन में दाहक क्रिया को प्रारम्भ करना है । प्रशुल्क आयोग ने १४ एम० एम० और १८ एम० एम० के सब प्रकार के स्पार्किंग प्लगों के सम्बन्ध में जिनमें 'रेज़िस्टर टाइप' सम्मिलित थे किन्तु 'स्क्रीन्ड टाइप' को छोड़ दिया गया था, जांच की थी । इंगलिस्तान के बने हुये स्पार्किंग प्लगों के न्यूनतम तटागत मूल्य की देशी प्लगों के कारख़ाने के मूल्य से तुलना करके आयोग ने अधिक संरक्षणात्मक शुल्क अर्थात् ९२॥ प्रतिशत मूल्यत: लगाने की सिफ़ारिश की है । आयोग द्वारा व्यक्त किये गये विचार से सरकार सहमत हो गई है और इस शुल्क के बढ़ जाने से न तो मोटर के विक्रय मूल्य में कोई वृद्धि होगी और न ही मोटर चलाने के व्यय में कोई अधिक वृद्धि होगी ।

देश में स्पार्किंग प्लग उद्योग की स्थापना करने में काफ़ी उन्नति हुई है और मोटर इन्डस्ट्रीज़ कं० लिमिटेड का निर्माण कार्यक्रम प्रविधिक रूप से व्यवस्थित जान पड़ता है तथा इसके कार्यान्वित हो जाने से १९५७ के अन्त तक स्पार्किंग प्लगों का पूरा निर्माण होने लगेगा । आयोग ने उन बाधाओं पर ज़ोर दिया है जो देश के शिशु उद्योग को विख्यात विदेशी नमूने उत्पादकों की प्रतिस्पर्द्धा में अपना माल चलाने में आती हैं । आयोग ने इस बात पर भी ज़ोर किया है कि जब तक इस शिशु उद्योग के लिये संरक्षण की व्यवस्था नहीं होगी तब तक उसे अपने निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम को पूर्णरूपेण कार्यान्वित करने के लिये और अग्रेतर आवश्यक विनियोग करने के लिये प्रोत्साहन नहीं मिलेगा । क्योंकि इस समय उत्पादन अत्यन्त कम होने के कारण यह निर्धारण करना कठिन है कि उद्योग को कितना संरक्षण दिया जाये, आयोग ने यह सुझाव रखा है कि फिलहाल संरक्षण केवल ३१ दिसम्बर, १९५५ तक दिया जाये और उस काल से पूर्व मामले की अग्रेतर पुनरीक्षण की जाये । आयोग की सिफ़ारिश सरकार ने स्वीकार कर ली है ।

हाथ के हवा भरने के पम्पों के उद्योग के सम्बन्ध में आयोग ने बताया है कि यह उद्योग

मोटर गाड़ी के एक महत्वपूर्ण अंग की पूर्ति करता है और यदि पर्याप्त संरक्षण दिया जाये तो वह अपनी स्थिति सुदृढ़ बना सकेगा और उत्पादन में वृद्धि हो जाने से लागत में कमी हो जायेगी । उसका मत यह भी है कि देश में इतनी आन्तरिक प्रतिद्वन्दिता है कि लागत में कमी का लाभ अन्ततोगत्वा उपभोक्ता को ही होता है ।

अब मैं विधेयक के द्वितीय भाग पर आता हूं जो स्टीयरिंग और ओलिक अम्लों, आयल प्रेशरों लैम्पों और सूती वस्त्र मशीनरी जैसे तीन उद्योगों को आगे तीन वर्षों तक--अर्थात् ३१ दिसम्बर, १९५७ तक--संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में है ।

संरक्षण काल में वृद्धि करने के अलावा ८ आना प्रति पौंड का वैकल्पिक विशिष्ट शुल्क स्टीयरिंग और ओलिक अम्लों पर लगाया जा रहा है । ३१।। प्रतिशत शुल्क में पर्याप्त संरक्षण नहीं मिलता क्योंकि विदेशी संभरण कर्ता मूल्य में रद्दोबदल करके संरक्षण का प्रभाव ख़त्म कर देते हैं स्टीयरिंग और ओलिक अम्लों से व्युत्पन्न पदार्थ संरक्षण योजना में इसलिये सम्मिलित रहे आयेंगे कि देश में इन पदार्थों के उत्पादन से स्टीयरिक और ओलिक अम्लों की मांग बढ़ेगी ।

आयल प्रेशर लैम्पों के मामले में संरक्षण का क्षेत्र जो अभी तक १०० से ४०० कैंडिल शक्ति वाले (सभी प्रकार के) लैम्पों तक सीमित था, अब आयल प्रेशर लैम्पों, हरीकेन लटकने वाले लैम्पों में भी चाहे वे कितनी ही कैंडल शक्ति के हों, लागू होगा । इस के दो कारण हैं : प्रथम यदि कुछ प्रोत्साहन दिया जाये तो देश के निर्माणकर्ता अधिक शक्ति वाले प्रेशर लैम्प भी बना सकेंगे और दूसरे कि कैंडिल शक्ति के सीमित कर देने से प्रशासन सम्बन्धी कठिनाइयों में काफी वृद्धि हो गई थी ।

सूती वस्त्र मशीनरी के सम्बन्ध में न केवल सूती वस्त्र कताई रिंग फ्रेमों में काम आने वाले फ्लूटेड रोलरों को ही वरन् सभी प्रकार के फ्लूटेड रोलरों के लिये भी संरक्षण देने का विचार है। इसी प्रकार १०$^1/_2$ प्रतिशत मूल्यतः संरक्षणात्मक शुल्क की दर सभी प्रकार के--सूती कपड़े, रेशम, रेयन आदि के--करघों पर लागू की जा रही है क्योंकि वे एक दूसरे से कुछ ही भिन्न होते हैं ।

अन्त में मुझे यह कहने में हर्ष होता है कि सूती वस्त्र मशीनरी के एक अंग टीन रोलर को अब प्रशुल्क संरक्षणकी आवश्यक ता नहीं रह गई । देशी रोलर विदेशी टीन रोलरों से सस्ते होते हैं और इन रोलरों का निर्माण करने वाला विभाग प्रशुल्क संरक्षण दिये बिना ही विदेशी माल से प्रतिद्वन्दिता कर सकता सकता है । १९४९ की संरक्षण योजना में रोलरों को सम्मिलित किया गया था, इसी लिये छः वर्षों तक उसे संरक्षण मिलता रहा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री कासलीवाल (कोटा--झालावाड़): मेरे पूर्ववक्ता ने बताया कि इस विधेयक के दो भाग हैं। एक भाग का सम्बन्ध कुछ उद्योगों को नये रूप से संरक्षण दिये जाने से है और दूसरा भाग कुछ अन्य उद्योगों को पहले से प्राप्त संरक्षण के जारी रखे जाने से सम्बन्ध रखता है ।

मैं स्पार्किंग प्लग तथा हवा भरने के पम्प उद्योगों को संरक्षण दिये जाने का स्वागत करता हूं ।

जहां तक कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर तथा ब्लीचिंग पेस्ट उद्योग को संरक्षण

[श्री कासलीवाल]

दिये जाने का प्रश्न है, मैं इसका भी स्वागत करता हूं । इस उद्योग में विकास की अभी अत्यधिक गुंजाइश है । यदि प्रयत्न किया जाये तो यह उद्योग देश की सारी मांग पूरी कर सकता है ।

हां, इस उद्योग के सम्बन्ध में मैं दो विशिष्ट बातों की ओर माननीय मंत्री का ध्यान दिलाऊंगा—एक तो है परिवहन सुविधाओं का अभाव और दूसरी कास्टिक सोडा की उच्च उत्पादन लागत । उच्च उत्पादन लागत का मुख्य कारण है देश में छोटे छोटे कारखानों का होना । यदि देश में कुछ बड़े कारखाने स्थापित हो जायें तो उत्पादन लागत में पर्याप्त कमी आ जायेगी और देश की मांग उचित रूप से पूरी हो सकेगी ।

अब मैं ओलिक अम्ल तथा स्टीयरिक अम्ल उद्योग के विषय में कुछ कहुंगा जिसको संरक्षण दिया जाना जारी रखा गया है इस उद्योग को पहली बार संरक्षण १९४७ में दिया गया था । तब से इसे समय समय पर संरक्षण दिया जाता रहा है । यद्यपि प्रशुल्क आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि देश में इन चीज़ों को बनाने वाले ५ कारखाने हैं, तथ्य यह है कि इस समय केवल एक ही कारखाना ऐसा है जो पूर्णतः इन चीज़ों के उत्पादन में लगा हुआ है—शेष तीन-चार कारखाने तो इन चीज़ों के साथ साथ और वस्तुओं का उत्पादन भी कर रहे हैं । इसका अर्थ यह हुआ कि केवल एक कारखाने को संरक्षण दिया जा रहा है । मैं ने एक संशोधन रखा है जिसका आशय यह है कि संरक्षण की अवधि एक वर्ष कम कर दी जाये । मेरा अभिप्राय देशी उद्योग को हानि पहुंचाना नहीं है, वरन् उद्योग का ध्यान इस ओर दिलाना है कि जिस ढंग से वह काम कर रहा है वह उद्योग के या उपभोक्ताओं के हित में नहीं है । मुझे यक़ीन है कि माननीय मंत्री इस संशोधन को स्वीकार करेंगे ।

जहां तक रंग उद्योग का सम्बन्ध है, मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि इसे संरक्षण सन् १९६४ तक के लिये दिया गया है । कुछ भी हो, मुझे आशा है कि यह मामला समय समय पर प्रशुल्क आयोग के सामने विचारार्थ आता रहेगा ।

बस, मैं एक बात और कहना चाहता हूं । प्रशुल्क आयोग बराबर यह सिफारिश करता रहा है कि इन सब उद्योगों को भारतीय प्रमाप संस्था की सेवाओं का लाभ उठाना चाहिये । मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि इन सब उद्योगों द्वारा तैयार की जाने वाली वस्तुओं के प्रमापीकरण के सम्बन्ध में भारतीय प्रमाप संस्था से किस प्रकार की सहायता ली जा रही है और भविष्य में ली जायेगी । मैं नहीं जानता कि इस विषय में वास्तविक स्थिति क्या है ।

बस, मुझे इतना ही कहना है । अन्त में मैं एक बार फिर प्रार्थना करूंगा कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाये ।

श्री बंसल (झज्जर—रिवाड़ी) : सर्व-प्रथम मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं प्रशुल्क आयोग के सभापति के पद के दो मास से रिक्त होने पर भी अभी तक नियुक्ति क्यों नहीं की गई ? क्या इसका कारण यह है कि सरकार प्रशुल्क आयोग के कार्य को इतना महत्वपूर्ण नहीं समझती । इस समय उक्त आयोग के सारे सदस्य भी अपने अपने पद पर काम नहीं कर रहे हैं । मैं चाहता हूं कि ऐसे विधेयकों के प्रस्तुत करते समय प्रशुल्क आयोग के कार्यसम्पादन सम्बन्धी एक संक्षिप्त प्रतिवेदन भी संसद् में प्रस्तुत

किया जाये जिससे यह पता चल सके कि आयोग के कितने मामलों में जांच की है तथा इसके सदस्यों आदि की संख्या कितनी है ।

मेरे इस सुझाव का कारण यह है कि प्रशुल्क आयोग के कुछ प्रतिवेदनों के अध्ययन से ऐसा पता चलता है कि कई मामलों में उसने छः मास से अधिक समय ले लिया है । यदि इसमें वह समय भी मिला लिया जाये जो किसी उद्योग विशेष के इस आयोग के निर्दिष्ट होने के बाद प्रश्नावली आदि के भेजने में लग जाता है तो औसत से इस आयोग के प्रतिवेदन को पूरा वर्ष के लगभग लग जाता है । इसके बाद सरकार को अपने निष्कर्षों पर पहुंचने में चार पांच मास और लग जाते हैं । इससे मुझे आश्चर्य होता है कि एक विशेषज्ञ समिति द्वारा किसी विषय की विस्तृत जांच के बाद भी सरकार को अपने निष्कर्षों पर पहुंचने के लिये और चार पांच मास के समय की आवश्यकता हो ।

यदि वाणिज्य मंत्रालय का यह विचार है कि वर्तमान परिवर्तित राजकोषीय नीति के कारण, प्रशुल्क आयोग इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा तो उन्हें सभा को ऐसा बता देना चाहिये । परन्तु मेरे विचार से प्रशुल्क आयोग का कार्य महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि वही एक विशेषज्ञ के रूप में हमें बता सकता है कि किस उद्योग को संरक्षण दिया जाना चाहिये । जैसे जैसे समय बीतेगा नई समस्यायें हमारे सम्मुख आयेंगी । आप रंग उद्योग को ले लीजिये । यह बड़ा ही महत्वपूर्ण उद्योग है । प्रतिवेदन को पढ़ने के पश्चात् मुझे ज्ञात हुआ कि रंग बनाने के लिये लगभग ३१ पदार्थों की आवश्यकता होती है । इनमें से केवल कुछ का उत्पादन देश में होता है । मैं यह जानना चाहता हूं कि देश में शेष पदार्थों का उत्पादन करने के सम्बन्ध में, सरकार क्या कार्यवाही कर रही है । यह बड़ा ही महत्वपूर्ण उद्योग है तथा सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये कि कब तक इन पदार्थों का उत्पादन स्वयं देश में प्रारम्भ हो जायेगा । हमारे देश में इस उद्योग की गम्भीरता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तथा इसी कारण एक विदेशी विशेषज्ञ की सेवायें, इस उद्योग के विकास कार्यक्रम का ढांचा बनाने के लिये प्राप्त की जाने वाली थीं । मैं वाणिज्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या इस विदेशी विशेषज्ञ को नियुक्त किया जा चुका है तथा यदि हां, तो कितने समय में यह महोदय अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देंगे ।

म देखता हूं कि इस उद्योग को १२ प्रतिशत संरक्षण शुल्क दिया गया है हो सकता है कि प्रशुल्क आयोग ने संरक्षण शुल्क को किसी खास कारण से ही इतना कम निश्चित किया है । परन्तु मेरे विचार से संरक्षण को तटीय परिव्यय तथा उत्पादन परिव्यय के परस्पर अन्तर के बराबर अथवा कुछ अधिक देने से रंग उद्योग की गुत्थी नहीं सुलझेगी । मैं वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इतने संरक्षण से वह सन्तुष्ट हैं ।

प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन में रंग बनाने के कुछ पदार्थों के मूल्य दिये गये हैं । भारत में सल्फरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के मूल्य क्रमशः २१० रुपये, १४०० पये तथा ७०० रुपये प्रति टन है जब कि ब्रिटेन में ये मूल्य क्रमशः १३४ रुपये, ४८० रुपये तथा ३६० रुपये और अमरीका में क्रमशः ७६ रुपये, ५१५ रुपये तथा ३८८ रुपये, प्रति टन है । देश में इन पदार्थों का निर्माण कुछ समय पहले ही प्रारम्भ किया गया है तथा इनका उत्पादन

[श्री बंसल]

इतना अधिक नहीं है जिससे देश में इनके मूल्य कम हो सकें ।

प्रशुल्क आयोग की संरक्षण के सम्बन्ध में मुख्य सिफ़ारिशों में साथ साथ प्रायः कुछ सहायक सिफारिशें भी दी जाती हैं । अन्य मैं ने इन्हीं गौण सिफ़ारिशों की कार्यवाही के सम्बन्ध में सभा में कई बार कहा है परन्तु माननीय मंत्री ने अभी तक कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया । मुझे आशा है इस अवसर पर माननीय मंत्री महोदय मुझे बतायेंगे कि सरकार ने अभी तक की गई इन गौण अथवा सहायक सिफारिशों के बारे में क्या कार्यवाही की है ।

इन्हीं गौण सिफ़ारिशों में यह बताया गया है कि इस उद्योग के लिये एक विदेशी विशेषज्ञ नियुक्त किया जाना चाहिये । परन्तु सरकारी संकल्प में इस सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया गया । मोटरों के स्पार्किंग प्लग के सम्बन्ध में निर्माताओं को आयतित माल पर वसूल किये गये शुल्क के पूर्णतः लौटाये जाने की गौण सिफ़ारिश की गई थी । इस सम्बन्ध में भी मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस सिफ़ारिश पर भी कोई विचार किया है ? इसी प्रकार कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर तथा सोडा ऐश आदि के सम्बन्ध में भी गौण सिफ़ारिशें थीं । मैं चाहता हूं कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री इस सिफारिशों पर भी पूर्णतया विचार करें ।

रंग उद्योग के सम्बन्ध में, भारत सरकार ने व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य क़रार संस्था के सत्र में वायदा किया था कि इस उद्योग पर शुल्क नहीं बढ़ाया जायेगा परन्तु बाद में यह निश्चित हुआ था कि हम २० प्रतिशत शुल्क बढ़ा सकते हैं । प्रशुल्क आयोग ने यह सिफीरिश की है कि हम इस वायदे से पूर्ण छुटकारा दे दिया जाये । मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रशुल्क आयोग एक बहुत महत्वपूर्ण निकाय है । इस आयोग का संक्षिप्त प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जाना चाहिये । मैं माननीय वाणिज्य मंत्री से यह भी कहना चाहता हूं कि उन्हें आयोग के सदस्यों तथा सभापति की नियुक्ति शीघ्र कर देनी चाहिये । मेरा अनुभव है कि आयोग के कुछ सदस्यों को इतना काम रहता है कि वे इन समास्याओं को जितना समय देना चाहते हैं नहीं दे पा रहे हैं ।

श्री नानादास (ओंगोल—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : उद्योगों को संरक्षण इस लिये दिया जाता है कि विदेशी संस्थाओं से प्रतियोगिता की जा सके । परन्तु हमारे सामने प्रश्न यह है कि हमारे उद्योग, जो प्रारम्भिक अवस्था में हैं । इसका लाभ किस प्रकार उठाते हैं । उदाहरण के तौर पर, रंग उद्योग को ले लीजिये । 'अतुल प्रोडक्ट्स, ने एक अमरीकी समवाय से समझौता कर लिया है, कस्तूरभाई, दलभाई ने अपना सम्बन्ध आई० सी० आई० से जोड़ लिया है । इस प्रकार जो रक्षण विदेशियों की प्रतियोगिता के लिये दिया उसका उपयोग विदेशी ही कर रहे हैं ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

कपड़ा मशीन निर्माण उद्योग को ले लीजिये । "नैशनल मशीन मैन्युफैक्चरिंग इन्डस्ट्री कम्पनी" के अंशधारी २६ प्रतिशत अंश एक ब्रिटिश समवाय ने ले रखे हैं । यह समवाय केवल आयात किये हुये पुर्जों को जोड़ता ही है । इस प्रकार से संरक्षण का लाभ केवल विदेशी समवायों को ही पहुंच रहा है ।

रंग पदार्थों के सम्बन्ध में औषधि निर्माण जांच समिति ने अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि जिन समवायों ने विदेशी समवायों से समझौते किये हैं वे समवाय विदेशों से उस कच्चे माल का भी आयात करते हैं जो हमारे देश में प्राप्य हैं । मैं चाहता हूं कि सरकार को रंग पदार्थों के निर्माण में देश में उपलब्ध कच्चे माल का प्रयोग किया जाय ।

नैशनल मशीन मैनुफैक्चरिंग कंपनी, थाना, कपड़े मशीन के रिंग फ्रेमों का निर्माण करती है तथा कलकत्ते की टैक्सटाइल मशीन मैनुफैक्चरिंग कम्पनी 'कार्डिन्ग इंजनों' का निर्माण करती है । परन्तु अब सरकार ने नेशनल मशीन मैनुफैक्चरिंग कम्पनी थाना को भी कार्डिंग इंजन बनाने का अधिकार दे दिया है । इस प्रकार आपस में बड़ी प्रतियोगिता हो गई है । इस लिये सरकार को एक पुर्जे के निर्माण का विकास एक ही स्थान पर करना चाहिये ।

'विशेष व्यवहार' का कई बार विरोध किया जा चुका है । परन्तु फिर भी ब्रिटिश निर्माताओं के साथ 'विशेष व्यवहार' किया जाता ही है । अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि जो लाभ हम अपने प्रारम्भिक उद्योगों को देते हैं, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि उन लाभों का सदुपयोग किया जा रहा है अथवा नहीं ।

श्री वी० बी० गांधी (बम्बई नगर—उत्तर) : मैं श्री नानादास के बताये इस सिद्धान्त से सहमत हूं कि विदेशी हितों को संरक्षण का लाभ उठाने का अवसर नहीं देना चाहिये, परन्तु उनके द्वारा दिये गये उदाहरण ठीक नहीं हैं । इन दोनों उद्योगों में बड़ी प्राविधिक जानकारी की आवश्यकता है । मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि हमारा आयात व्यापार नियंत्रण इस बारे में बड़ा सतर्क है कि जब देश में किसी विशेष प्रकार की कच्ची सामग्री उपलब्ध है तो उसे विदेशों से आयात न किया जा सके ।

इसके पश्चात् मैं श्री बंसल के इस प्रस्ताव से सहमत हूं कि प्रशुल्क बोर्ड के कर्मचारियों आदि की संख्या पूरी रहे जिससे कार्य शीघ्रता पूर्वक हो सके । उनका कार्य ही इस प्रकार का है जिसमें देर हो सकती है परन्तु हमें भी उनकी सहायता को सदैव तत्पर रहना चाहिये । इसके अतिरिक्त मैं श्री बंसल के इस सुझाव से भी सहमत हूं कि प्रशुल्क आयोग की संक्षिप्त सिफारिशों को, सदस्यों में परिचालित करना चाहिये जिससे हमें कठिनाई न उठानी पड़े ।

श्री करमरकर : मैं सभा तथा चर्चा में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं कि इतने थोड़े समय में उन्होंने इस विधेयक के विभिन्न प्रश्नों को इतनी बुद्धिमत्ता से तथा इतने संक्षेप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया ।

कुछेक उद्योगों को दिये जा रहे संरक्षण का स्वागत करते हुये, श्री कासलीवाल ने कुछ विचार प्रकट किये हैं । उन्होंने परिवहन सुविधाओं के अपर्याप्त होने के सम्बन्ध में कहा है । सभा को विदित है कि हमारा परिवहन विभाग कितनी कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रहा है । कई बार बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है । सभा को विदित है कि रेलवे तथा परिवहन मंत्रालय यथासम्भव कार्य कर रहा है । जहां तक उद्योगों का सम्बन्ध है, यह शिकायत उचित नहीं है कि कच्चे माल को अथवा बनी वस्तुओं को प्राथमिकता दी गई ।

श्री कासलीवाल ने उत्पादन की अधिक लागत के सम्बन्ध में कहा । स्टीरिक एसिड का उत्पादन व्यय इसलिये अधिक है क्योंकि कच्चे माल का मूल्य अधिक है । कई एक

[श्री करमरकर]

और बातें भी हैं जिन पर नियंत्रण नहीं है । जैसा कि मेरे एक मित्र ने बताया है हमें उद्योग की प्रारम्भिक अवस्थायें प्रविधि के जानने की आवश्यकता है । हमें उत्पादन बढ़ाने के क्षमतापूर्ण तरीक़ों के जानने की ज़रूरत है । जैसा कि मेरे मित्र जानते हैं संरक्षण देने का तात्पर्य यह है कि नवीन उद्योग को पनपने के लिये समय चाहिये । प्रारम्भिक समय तथा विकास का इतना समय उस उद्योग को मिलना ही चाहिये जिससे वह इतना पनप जाये कि विदेशी उत्पादनों से प्रतियोगिता कर सके । इस ओर भी उनके इस मत से सभी सहमत हैं कि उत्पादन व्यय कम होना चाहिये । सत्य तो यह है कि संरक्षण देने का उद्देश्य यह है कि उद्योग कुछ समय पर आत्म निर्भर हो जाये तथा उत्तम तरीक़ों से अपना उत्पादन व्यय कम कर सके ।

श्री कासलीवाल : यह मैंने केवल कास्टिक सोडे के सम्बन्ध में कहा था ।

श्री करमरकर : किन्तु मैं उस विषय में एक सामान्य-अनुमान करना चाहता हूं । आशा है कि मेरे मित्र को इस विषय में कोई आपत्ति न होगी । मेरे विचार से उस प्रकार उनके वर्णन में एक और बात सम्मिलित हो जायेगी ।

आगे उन्हें यह शिकायत थी कि ओलेइक और स्टीअराइस एसिड् के उद्योग के सम्बन्ध में केवल एक ही बड़ा व्यवसाय था । मैं चाहता हूं कि हम ऐसी दुनिया में रहते जहां हम अपनी पसन्द के अनुसार सारी चीज करा लेते और जहां हमारे पास अमुक अमुक आकार प्रमाण की अनेक व्यवसाय आदि होते । तब संरक्षण के सम्बन्ध में इस सभा को तक़लीफ़ देने का अवसर न आता । सभा को पहले ही विदित है कि स्वतन्त्रता के बाद गत कुछ वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र में जो कुछ प्रगति हुई है वह किसी भी प्रमाण से उत्साह-जनक है । वास्तव में यह स्वीकार करने में कोई हानि नहीं है कि छोटी और बड़ी इकाइयों के बीच उद्योगों की जो प्रगति हो रही है, उसकी कल्पना १९४७ और १९४८ के वर्षों में सम्भव नहीं थी । जहां मैं अधिक बड़ी इकाइयों का, जिनके पास अधिक पूंजी और अधिक प्रविधिक कर्मचारी हों, स्वागत करता हूं वहां हमें यह भी देखना है कि छोटी इकाइयों को भी प्रोत्साहन मिले । इस सम्बन्ध में मैं केवल यह प्रार्थना ही कर सकता हूं कि हमारे देश में धीरे धीरे ऐसी दशायें हों जिससे कि अधिक बड़ी और समर्थ इकाइयां उत्पादन आरम्भ करे । मैं तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन के पृष्ठ ७ और ८ की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करता हूं । उन्हें प्रतीत होगा कि वहां पांच और भी इकाइयां अर्थात् व्यवसाय हैं कलकत्ता केमिकल कम्पनी, लिमिटेड, मोती वनस्पति मैनुफैक्चरिंग कम्पनी, गोदरेज सोप्स, लिमिटेड, अमत आयल मिल्स, लिमिटेड, और स्वस्तिक मिल्स, लिमिटेड । मुझे पूरा विश्वास है कि किसी विशिष्ट इकाई की ओर सभा का ध्यान आकृष्ट करने का उनका आशय निश्चय ही नहीं था ।

श्री कासलीवाल : वे केवल सहायक हैं उनका मुख्य उत्पाद कुछ और ही है ।

श्री करमरकर : मैं उसका और अधिक विवेचन नहीं कर सकता । सहायक समवाय का कोई घाटा सहने के लिये कुछ और भी उत्पादन करना बहुत अच्छा ही होगा । कदाचित उनकी यह शिकायत है कि ये इकाइयां उत्पादन के एक प्रकार के प्रति उतनी वफादार नहीं है । मेरे विचार से तो यह एकांगी और अनकांगी इकाइयों का प्रश्न है । वे अपनी सुविधाओं के अनुसार आगे बढ़ती हैं । मुझे पूरा विश्वास है कि यह कोई बहुत

गम्भीर बात नहीं है और मैं उनके इस सुझाव से सहमत हूं कि हमारे पास ठोस हालत वाले समवाय होने चाहियें ।

मेरे विचार से श्री कासलीवाल ने ही प्रमापीकरण के बारे में भी उल्लेख किया था । देश की विद्यमान परिस्थितियों में हम प्रमापी करण का प्रश्न उत्पादकों पर छोड़ सकते हैं । भारतीय प्रमाप संस्था एक बहुत कार्यक्षम संस्था है । उद्योग ने यह व्यक्त किया है कि उसका कार्य बहुत अच्छी तरह चल रहा है । हम पर्याप्त रूप में उसे वित्त दे रहे हैं तथा वह अपना कार्य अच्छी प्रकार से कर रहे हैं । केवल इतना ही नहीं वह भारतीय दशाओं में भारत के लिये प्रमाण भी निर्धारित करती है और इस प्रकार उद्योगों की मांग पूरी करती है । मुझे यह कहने में हर्ष है और सभा को भी यह जानकर हर्ष होगा कि निर्यात और साथ ही साथ आन्तरिक उपभोग दोनों के लिये प्रमापीकरण अधिकाधिक रूप में इस प्रकार स्वीकार किया जा रहा है जैसे वह कोई अत्यधिक वांछनीय वस्तु हो ।

मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि उद्योगों की सभी इकाइयां अपने मामले में ये प्रमाप स्वीकार नहीं करते । कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति दूसरों के मामले में उसे अधिक अच्छा समझता है किन्तु अपने स्वतः के मामले में वैसा नहीं समझता । यही बात आज भी हो रही है । कुछ उद्योगों को सहूलियत के कारणों से प्रमाप स्वीकार करने में संकोच होता है किन्तु हम आशा करते हैं कि अधिकाधिक औद्योगिक इकाइयां, अपने स्वतः के हित में, बढ़ते हुये प्रमापीकरण का महत्व समझगी ।

जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हमने खरीद करने वाले सभी संगठनों को निदेश जारी कर दिया है कि वे इस बात पर ज़ोर दें कि भारतीय मानक संस्था द्वारा निर्धारित प्रमापों के अनुसार संभरण किया जाये । जहां तक यह एक प्रेरणा है, वहां तक यह प्रभावकारी सिद्ध हो रहा है ।

मेरे मित्र श्री बंसल ने सभापति की नियुक्ति के बारे में उल्लेख किया था । मुझे खेद है कि मैं वांछित जानकारी देने की स्थिति में नहीं हूं । ऐसा इस लिये कि इस बारे में कोई जानकारी है ही नहीं ।

माननीय सदस्य यह बात मानते हैं कि प्रशुल्क आयोग का सभापति एक अत्यन्त ही सक्षम व्यक्ति होना चाहिये, ऐसे व्यक्ति सदैव तत्काल ही नहीं मिल जाते । प्रशुल्क आयोग के लिये हमें अर्थ शास्त्र के ही बारे में टैकनीकल बुद्धि वाले व्यक्ति नहीं चाहिये, बल्कि हम चाहते हैं कि इसमें सर्वतोगामी बुद्धि वाले व्यक्ति हों । यह बात मैं प्रशुल्क आयोग और स्वभावतः सभापति के बारे में कह रहा हूं । हमें इसके बारे में यथासंभव पूरी-पूरी सावधानी रखनी होती है । मैं समझता हूं कि एक सभापति चुनने के लिये दो महीने का समय बहुत अधिक समय नहीं है । वास्तव में हमें पता था कि श्री भट्ट एक न एक दिन निवृत्ति प्राप्त करेंगे ही । निःसन्देह प्रत्येक मामले में यह पता होता है कि कोई पदाधिकारी कब निवृत्ति प्राप्त करेगा, परन्तु माननीय सदस्य शायद यह भी जानते हैं कि प्रशुल्क आयोग एक ऐसी संस्था है, जिसे हम बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं । यह केवल सक्षमता का ही प्रश्न नहीं है । और भी बहुत सी बातें हैं---प्रशुल्क आयोग के प्रत्येक सभापति में कुछ गुण होने आवश्यक हैं, और हम अब तक नियुक्ति नहीं कर सके, इसका कारण यह नहीं है कि हम इसके बारे में चुपचाप बैठे रहे । हम इस बारे में सक्रिय हैं और हमें आशा है कि हम उचित प्रकार के व्यक्ति की नियुक्ति कर सकेंगे । मैं एक निश्चित तारीख़ तो नहीं दे सकता,

[श्री करमरकर]

पर मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि हम इस बात पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं और नियुक्ति में हम विशेष समय न लगायेंगे ।

रिपोर्टों के बारे में जो समय लगता है, उसके बारे में माननीय सदस्य श्री बंसल ने कुछ कहा है, तथा उन्हें यह सब कहने के लिये साधिकार है । जैसा कि मेरे माननीय मित्र को निःसन्देह पता होगा, सरकारी निर्णयों के बारे में एक प्रकार की समय-सीमा रहती है । भारतीय प्रशुल्क अधिनियम की धारा १६ में बताया गया है कि समिति के प्रतिवेदन के बारे में हमें क्या करना चाहिये । सामान्यतः हम से आशा की जाती है कि हमें भेजे गये किसी भी प्रतिवेदन के बारे में कार्य-वाही करने में हम तीन महीने से अधिक समय न लगायेंगे । मुझे आशा है कि उन्हें इस बात की शिक़ायत नहीं हो सकती कि हमने आवश्यकता से अधिक समय लगाया है । जब हमने यह उपबन्ध इस अधिनियम में रखा था, तब इस बारे में चर्चा हुई थी । हमने इस पर ख़ूब अच्छी तरह से विचार किया, और उद्योगों के विषय में इतने भारी महत्व वाले इस मामले में अनुचित शीघ्रता में कोई निर्णय न किया जाये । ऐसा सरकार का और मेरा विचार है । यदि आयोग ने इस बारे में विशद जांच करने में समय लगाया है और यदि विभिन्न प्रकार के विचार व्यक्त किये गये हैं और आयोग एक सहायक सिफ़ारिश करता है, तो सरकार को सारी बातों पर विचार करने के लिये समय चाहिये ही । फिर उस धारा में यह भी बताया गया है कि यदि तीन महीने में प्रतिवेदन को सभा पटल पर नहीं रखा जा सकता, तो उन कारणों को बताने वाला एक विवरण को सभा-पटल पर रख दिया जाना चाहिये । अतः इस बारे में सरकार को देर करने से रोकने के लिये उसमें एक अत्यन्त महत्वपूर्ण उपबन्ध है ।

जहां तक विशिष्ट बातों का सम्बन्ध है मुझे आशा है कि मेरे मित्र को कोई विशेष शिक़ायत नहीं है । पर यदि वह समझते हैं कि किसी विशिष्ट मामले में अनुचित देर हुई है, तो हम उस विशिष्ट शिकायत पर विचार करने में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे ।

एक और महत्वपूर्ण बात भी थी । मैं श्री बंसल को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सभा का ध्यान इस ओर आकर्षित किया । व्यापार और प्रशुल्क के सामान्य समझौते (गैट) के साथ उनका अनुभव मेरी अपेक्षा अधिक रहा है । उन्हें पता है कि व्यापार और प्रशुल्क के सामान्य समझौते (गैट) के साथ होने वाली चर्चा में हमने ऐसे रूप में भाग लिया है, जिससे उन उद्योगों के लिये हम पूरी स्वतन्त्रता सुरक्षित रख सकें, जिन्हें हम संरक्षण देना चाहते हैं । वस्तुतः कुछ परिबद्ध मदों के बारे में, जैसा कि रंग-उद्योग के बारे में किया गया है, उनको मुक्त (रिलीज़) कराना होता है । जब कोई मद परिबद्ध होती है, हमें वह मुक्त करानी होती है और हमें अन्य सम्बन्धित देशों से बातचीत चलानी पड़ती है । मैं सभा को यह विश्वास दिला सकता हूं कि रंगों के बारे में हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं और जहां तक परिबद्ध मदों का सम्बन्ध है, हमें सफलता की और मुक्ति के बारे में आवश्यक सहायता प्राप्त करने की पूरी-पूरी आशा है ।

श्री बंसल यह जानना चाहते थे कि सहायक सिफारिशों सम्बन्धी विशिष्ट मदों के बारे में क्या किया जा रहा है । विशिष्ट सहायक कार्यवाहियों के सारे विवरणों की चर्चा से मैं अभी बचना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने जो प्रश्न पूछे हैं, उनका उत्तर देने के लिये मैं तैयार नहीं हूं । पर बहुत सम्भव है कि उन्हें पता हो कि इन सभी सहायक सिफ़ा-

रिशों पर विचार हो रहा है । उदारहणत: आयात नियंत्रण, कच्चे माल पर शुल्क की वापसी आदि के बारे में सहायक सिफारिशें हैं ।

श्रीमान् यह सभी जानते हैं कि हम उन सिफ़ारिशों पर बहुत गम्भीरता से विचार करते हैं । कभी कभी हम प्रशुल्क-आयोग की सिफ़ारिशों को स्वीकार नहीं कर सके हैं और हम ने यह बता दिया है ।

मेरे मित्र श्री नानादास विदेशी व्यवसायों का ज़िक्र किये बिना नहीं रह सके । विधेयक में तो इसके बारे में कोई विशेष बात नहीं है और यदि मैं गलत कह रहा हूं ,तो यह बात सुधारी जा सकती है । साथ ही मैं जानता हूं कि उन्हें किसी विशेष प्रश्न को पूछना नहीं है । उन्हें हमारी बात का पता है और हमें उनकी बात का, पर मेरी समझ से हम में से किसी के लिये भी विदेशी व्यवसायों को लेने सहभागिता का वर्णन करना बुद्धिमानी न होगी । पर मुझे आशा है कि कम से कम एक बात पर हम दोनों का एकमत है, और वह यह कि हम किसी भी दशा में राष्ट्रीय हितों से विमुख न होंगे । इसमें कोई भी सन्देह नहीं है । पर हमें याद रखना चाहिये कि प्रत्येक उद्योग का आधारभूत स्थान किसी को लेना ही होगा, कोई भी उद्योग आसमान में नहीं चलाया जा सकता ; मेरे मित्र श्री नानादास की विदेशी उपक्रमों में रुचि के बारे में.....

एक माननीय सदस्य : उनका आई० सी० आई० में हित है ।

श्री करमरकर : मेरा अभिप्राय उन पर आक्षेप करने का नहीं है । मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि हमसे प्रत्येक की विदेशी समवायों में, जहां तक हम उन पर इस सभा में विचार करते हैं, अभिरुचि है । जहां तक मैं देखता हूं सभा में इन्हीं बातों का उल्लेख किया गया है । जिस गम्भीरता से सभा ने इस विधेयक पर विचार किया है, मैं उस के लिये बड़ा आभारी हूं । यह विधेयक के उद्देश्य से सहमत है । इस सभा में माननीय सदस्यों ने जो विचार प्रकट किये हैं उनके बारे में मुझे केवल इतना ही कहना है ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २--(१९३४ के बत्तीसवें अधिनियम की प्रथम अनुसूची का संशोधन)

श्री कासलीवाल : यदि माननीय मंत्री इस सभा को यह आश्वासन देने को तैयार हों कि वह उद्योग को चेतावनी देंगे, तो मैं सन्तुष्ट हूं ।

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति । मैं देखता हूं कि खंड २ सम्बन्धी किसी संशोधन को भी प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

श्री करमरकर : मेरे मित्र मुझ से कोई औपचारिक दृढ़ आश्वासन नहीं चाहते हैं, परन्तु मैं समझता हूं कि उनका अभिप्राय यह है कि जब भी आप किसी उद्योग को संरक्षण देते हैं तभी उस उद्योग को ऐसा अनुचित कार्य करना पड़ता है । इसमें कोई सन्देह नहीं है । मैं उन्हें यह बता दूं, अर्थात्, यदि अन्त में उद्योग संरक्षण का पात्र नहीं रहता है, तो सरकार और संसद् इस पर विचार करेगी । अगर सरकार चुप भी रहे तो भी संरक्षण के रूप में श्री कासलीवाल तो मौजूद ही हैं । जितना मैं उन्हें समझ सका हूं उनके कहने का अभिप्राय यह है कि इस उद्योग में और किसी भी अन्य उद्योग में, जब भी सरकार संरक्षण देती है, यह उपभोक्ता के मूल्य पर किया जाता है । अत: उपभोक्ता

[श्री करमरकर]

पर भार को कम करने के लिये संरक्षण यथा सम्भव थोड़े समय के लिये दिया जाना चाहिये क्योंकि वह सन्तुष्ट दिखाई पड़ते हैं अतः मेरा ख्याल है कि उनके कहने का यही अभिप्राय था ।

श्री कासलीवाल : मैं अपने संशोधन पर ज़ोर नहीं देता ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १—(संक्षिप्त नाम)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री करमरकर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

इस प्रक्रम में एक या दो बातें कहना चाहता हूं । श्री गांधी इस क्षण वह अपने बैठने के स्थान पर नहीं हैं—ने कहा था कि हमें प्रतिवेदनों का संक्षेप सदस्यों को देना चाहिये । साधारणतया हम इन प्रतिवेदनों के संक्षेप को परिचालित तो करते हैं, परन्तु इसमें एक खतरा यह है । सभा को प्रतिवेदनों का संक्षेप देने में एक बाधा है क्योंकि तटकर प्रतिवेदनों और अन्य बड़े प्रतिवदनों के बारे में, जो पर्याप्त विचार करने के बाद बनाये जाते हैं, कभी कभी यह उस बात की पूर्ण सूचना नहीं देता है जो प्रतिवेदन में होती है । हम उद्योगों के मामले में संक्षेप उस समय देते हैं जब कि संरक्षण को चालू रखने की प्रार्थना की जाती है । जहां हम चाहते हैं कि सभा समस्त निहित सम्भावनाओं पर विचार करे और यह निश्चय करे कि किसी उद्योग-विशेष को संरक्षण दिया जाये या नहीं, यह अधिक उत्तम है कि मूल प्रतिवेदन का अध्ययन किया जाये ।

द्वितीय, मेरा ख्याल है कि मैंने प्रशुल्क आयोग का उचित उल्लेख किया है । वास्तव में, तटकर आयोग पर एक बड़ा भारी भार है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभा इस बात से सहमत है कि प्रशुल्क आयोग, यद्यपि इसमें समय का लगना प्रतीत होता है, एक ऐसा यन्त्र है जिनसे हमें काफ़ी लाभ हुआ है । जब मैं अमरीका के एक विश्वविद्यालय में पढ़ा करता था तब की मुझे एक समय की बात अब भी याद है । एक बार मैं प्रशुल्क पर एक भाषण सुन रहा था.....

श्री नानादास : ऐसा प्रतीत होता है कि कलकत्ता और पूना के कपड़े बनाने की मशीनों के निर्माणकर्ताओं में पिंजन-इंजिनों के निर्माण में स्पर्धा है । मैं जानना चाहता हूं कि उस स्पर्धा को समाप्त करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री करमरकर : यह विधयक के तृतीय वाचन का प्रक्रम है और मैं सभा का और समय नहीं लूंगा । इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करने के लिय मैं सभा का आभारी हूं ।

श्री अशोक मेहता (भंडारा) : माननीय मंत्री एक भाषण का उल्लेख कर रहे थे ।

श्री करमरकर : प्रोफेसर ने मुझसे कहा क्या आप हमें अपने देश में प्रशुल्क आयोग के कार्य प्रणाली के बारे में बताने की कृपा करेंगे । मैं ने तीन आधारभूत बातें बताई

जिन पर तटकर आयोग कार्य करता है। प्रथम, संरक्षण के औचित्य को प्रमाणित करने के लिये पर्याप्त कच्ची सामग्री होनी चाहिये। द्वितीय, संरक्षण की मात्रा, अर्थात् उपभोक्ता पर भार केवल इतना ही हो कि उद्योग को संरक्षण भर ही मिले अधिक नहीं। तृतीय,—उन्हें यह बात रुचिकर थी—यह वह उद्योग हो, जो निश्चित काल में,—अति दीर्घ नहीं—खुले में आकर और अन्य विदेशी निर्माणकर्ताओं के साथ स्पर्धा करने की स्थिति में होकर दिये गये संरक्षण का औचित्य सिद्ध करने के योग्य होना चाहिये। यह कहने में मुझे बड़ा हर्ष है कि जिन मूल आधारों पर हमारा प्रशुल्क आयोग कार्य कर रहा है, प्रो० और विद्यार्थियों ने उनकी बड़ी सराहना की। विद्यार्थियों और उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छी प्रणाली है। क्योंकि मेरे माननीय मित्र श्री अशोक मेहता ने मुझे कहानी पूरी करने की अनुमति दी थी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह यह मानते हैं कि यद्यपि इसमें समय लगता है, इसके कार्य करने का ढंग बहुत अच्छा है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

औद्योगिक तथा राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि औद्योगिक वित्तीय निगम अधिनियम, १९४८, और राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, १९५१, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

पिछली बार नवम्बर, १९५२ में औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम में संशोधन किया गया था। संशोधन करने वाले उस विधेयक पर चर्चा के दौरान में औद्योगिक वित्तीय निगम के कार्य करने के बारे में कुछ विचार विनिमय हुआ था। औद्योगिक वित्तीय निगम के कार्य और अन्य सम्बद्ध मामलों की, जिनकी यहां चर्चा में उल्लेख किया गया था जांच करने के लिये सरकार ने एक जांच समिति नियुक्त की थी। समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और सरकार ने अधिकतर सिफ़ारिशों को स्वीकार कर लिया ह। हो सकता है एक या दो ऐसी सिफारिशें हो जो अभी तक स्वीकार नहीं की गई हैं। मैं स्वीकृत सिफ़ारिशों के बारे में कुछ बता सकता हूं : संख्या १, ४, ५, ६, ८, १०, ११, १३, १४, १५, १६, १८, १९, २१, २४, २६, २९, ३०, ३४, ३५ और ३६। सिद्धान्त रूप में स्वीकार की गईं परन्तु भिन्न रूप में सिफ़ारिशों की संख्या है २, २०, २२, (अंश) २५, २७, और ३८। कुछ अन्य सिफ़ारिशें स्वीकार की गई थीं परन्तु जिन पर की जाने वाली कार्यवाही का निश्चय विशेषताओं पर छोड़ दिया गया था : संख्या ३, ७, १२, १७, २३, ३१, ३३, ३७। अस्वीकृत सिफ़ारिशें। सिफ़ारिश संख्या ९ का अंश सिफ़ारिश संख्या २२, २८ और ३२ का अंश। सोडेपुर कारखाना के अतिरिक्त सिफ़ारिशों की कुल संख्या ३८ थी। चार के अतिरिक्त सारी उनमें से दो के अंश समूचीं अथवा सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर ली गई थीं। सोडेपुर शीशा कारखाना सम्बन्धी निश्चय में जटिल मामला होने के कारण इतना विलम्ब हुआ। कुछ निश्चय कर लिया गया है। सोडेपुर शीशा कारखाना सम्बन्धी जांच समिति की सिफ़ारिश पर सरकार ने जो निश्चय किया है उसे बताने के लिये मैं ने कुछ पत्र कल ही इस सभा के पटल पर रखे हैं।

[श्री ए० सी० गुह]

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक वित्तीय निगम अधिनियम में कुछ परिवर्तन करना है ताकि जांच समिति की सिफ़ारिशों को कार्यान्वित किया जा सके जो कि अधिनियम में संशोधन किये बिना नहीं हो सकता । उनमें से एक औद्योगिक वित्तीय निगम कार्यालय का ढांचा परिवर्तित करना है । अब तक, प्रबन्धक निदेशक वास्तव में प्रमुख कार्यपालिका का अधिकारी था, यद्यपि एक सभापति था जो केवल अवैतनिक व्यक्ति था । एक और विषमता थी । बोर्ड का सभापति कार्यपालिका समिति का सदस्य था, परन्तु प्रबन्धक निदेशक कार्यपालिका समिति का सभापति था । जांच समिति का विचार था कि यह प्रबन्ध सन्तोषजनक नहीं है । जांच समिति ने यह भी महसूस किया कि कार्यपालिका समिति जिस अधिकार का प्रयोग कर रही थी वह उससे कहीं अधिक था जो वास्तव में आवश्यक था या जो कार्यपालिका समिति के अधिकार होने चाहिये । जांच समिति की ये दो सिफ़ारिशें अधिनियम में संशोधन किये बिना कार्यान्वित नहीं की जा सकती ।

वर्तमान विधेयक का मुख्य उद्देश्य इन दो मामलों के सम्बन्ध में अधिनियम में संशोधन करना है । इसमें हमने उपबन्ध किया है कि सभापति बोर्ड का प्रमुख कार्यपालिका अधिकरी होगा । उसकी नियुक्ति बोर्ड के परामर्श से सरकार द्वारा की जायगी और एक महाप्रबन्धक होगा । प्रबन्धक निदेशक और उपप्रबन्धक निदेशक के दो पद समाप्त कर दिये जायेंगे । महा प्रबन्धक निगम का केवल एक कर्मचारी होगा । निगम के मुख्य कार्यपालिका कार्यों का अधिकार सभापति को होगा ।

द्वितीय सिफ़ारिश कार्यपालिका समिति के बारे में है । जांच समिति ने सुझाव दिया था कि कार्यपालिका समिति का नाम ऋण समिति होना चाहिये । परन्तु, सरकार का विचार था कि यह नाम उचित न होगा, या भ्रामक होगा क्योंकि बोर्ड को यह अधिकार है कि वह अपनी किसी भी समिति को कोई भी अधिकार दे । सम्भव है कि बोर्ड उस समिति को केवल ऋणों सम्बन्धी निश्चय करने का कार्य न दे । जांच समिति की सिफ़ारिश का मुख्य उद्देश्य यह था कि बोर्ड की कार्यपालिका या अन्य समिति, ऋणों और अन्य बातों के सम्बन्ध में प्रार्थनापत्रों पर निश्चय लेने का अन्तिम प्राधिकार नहीं होना चाहिये । समिति ने व्यक्त किया कि बोर्ड एसी परिस्थितियों में ऋण सम्बन्धी प्रार्थनापत्रों पर निश्चय करने वाला प्रभारी होना चाहिये । सरकार ने कार्यपालिका समिति का नाम और कृत्यों के बदलने का निश्चय कर लिया है । हमने अब इसका नाम केन्द्रीय समिति रखा है । इस विधेयक में उपबन्ध है कि कार्यपालिका समिति की बजाय, इस समिति का नाम केन्द्रीय समिति होना चाहिये, और यह ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेगी जिन्हें बोर्ड उचित समझे और उस समिति को दे । अपनी किसी भी समिति या उप-समिति को कोई भी अधिकार देने का अधिकार बोर्ड को होगा । यह विधेयक उस पर कोई विशिष्ट प्रतिबन्ध नहीं लगाता है । ऋण प्रार्थनापत्रों पर सिफारिश करने. ऋण सम्बन्धी प्रार्थनापत्रों के बारे में उचित जांच करने, आदि के लिये कुछ अन्य समितियों, स्थानीय, समितियों, विभिन्न श्रेणी के उद्योगों सम्बन्धी समितियों के लिये विधेयक में पहिले से ही उपबन्ध है । विभिन्न क्षेत्रों या विभिन्न श्रेणी के उद्योगों के लिये इन अन्य समितियों के अतिरिक्त, यह केन्द्रीय समिति निदेशकों के बोर्ड की मुख्य समिति होगी और यह ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेगी जो बोर्ड उसे दे ।

इस अवसर पर हम कुछ अन्य संशोधन, जिन्हें हम आवश्यक समझते हैं, करते हैं। वर्तमान अधिनियम में दी गई परिभाषा के अनुसार कोई भी समवाय, यदि पहिले कुछ समय तक उत्पादन न करता रहा हो, ऋण पाने का अधिकारी न होगा। कुछ नये समवायों को अपने कार्य के लिये अर्थ व्यवस्था करने में कठिनाई का सामना हुआ है। ऐसे समवायों से, जिन्होंने अभी कार्यारम्भ नहीं किया है या कुछ उत्पादन नहीं किया है, अनेकों प्रार्थनापत्र प्राप्त हुये हैं परन्तु हम महसूस करते हैं कि निगम से कुछ वित्तीय सहायता लेना उनके लिये आवश्यक है।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

श्री ए० सी० गुह: क्या मैं बोलता रहूं ?

अध्यक्ष महोदय: मेरा ख्याल है कि यदि बात सरल है तो वह वक्तव्य समाप्त कर सकते हैं, ताकि....

श्री ए० सी० गुह: यह लगभग एक स्थिति में है। मैं ने अभी एक नया विषय लिया है।

अध्यक्ष महोदय: तब वह भाषण बन्द करें।

गोआ की स्थिति

अध्यक्ष महोदय: अब हम गोआ सम्बन्धी वाद-विवाद को आरम्भ करेंगे। डा० लंका सुन्दरम।

श्री अशोक मेहता (भंडारा): आज प्रातःकाल जब उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन थे तो यह प्रश्न उठाया गया था कि यह वाद-विवाद कब तक चलेगा और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि इस विषय पर अभी विचार किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय; कल मैं ने कहा था कि यह चर्चा ढाई बजे आरम्भ होकर पांच बजे सायंकाल समाप्त हो जायेगी। श्री देशपांडे ने इच्छा प्रकट की थी कि चर्चा के लिये पांच घन्टे का समय दिया जाये। इस पर मैंने कहा था कि इतना समय तो नहीं दिया जा सकता है, यह हो सकता है कि आवश्यकता पड़ने पर आध घंटे का समय और दे दिया जाये। उस समय न किसी ने और कोई आपत्ति ही की थी और न कोई और सुझाव दिया था। इस के अतिरिक्त मेरा यह अनुमान है कि प्रधान मंत्री ने भी इस अनुमान के आधार पर महत्वपूर्ण कार्यक्रम निर्धारित कर रखा है कि यह चर्चा ५ बजे समाप्त हो जायेगी और इसलिये वह यह विचार कर रहे हैं कि उनको ५ बजे उत्तर देना होगा। इस लिये हम उसी विनिश्चय पर दृढ़ रहेंगे जो हम पहले ही कर चुके हैं।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि गोआ सम्बन्धी स्थिति पर विचार किया जाये।"

कल मैं ने सरकार की ओर से एक वक्तव्य सभा के सामने प्रस्तुत किया था। अब मैं जानना चाहता हूं कि इस सभा के माननीय सदस्यों को उस के सम्बन्ध में क्या कहना है। उन के विचारों तथा सुझावों को सुनने के बाद ही मैं कुछ कहने का साहस करूंगा।

डा० लंका सुन्दरम (विशाखपटनम): कल का प्रधान मंत्री का गोआ सम्बन्धी वक्तव्य गम्भीर राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का था। उस की सब से महत्वपूर्ण घोषणा नई दिल्ली स्थित पुर्तगाली राजदूतावास के आसन्न समापन के सम्बन्ध में थी। वास्तव में यह विनिश्चय दो वर्ष पहले

[डा० लंका सुन्दरम]

ही कर लिया जाना चाहिये था जब कि हमने लिस्बन से अपने मंत्री को वापस बुला लिया था। वास्तव में यह हमारे देश का और हमारी सरकार का धैर्य था जिसके कारण हम ने अब तक ऐसा नहीं किया था।

एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधान मंत्री ने यहां की पुर्तगाली राज्य क्षेत्रों के लिये संविधानिक, विधिक अथवा राजनैतिक दस्तावेज़ों में, पहले पहले शब्द "एन्क्लेव" (समावृत बस्तियों) का प्रयोग किया है। मेरा अनुमान है कि प्रधान मंत्री ने जानबूझ कर यह प्रकट करने के लिये इस शब्द का प्रयोग किया है कि यह बस्तियां किसी भी विदेशी शक्ति की बस्तियाँ नहीं हैं तथा गोआ और भारत एक ही हैं।

जहां तक इस वाद-विवाद का सम्बन्ध है सभा के सभी भागों में परस्पर पूर्ण सहयोग तथा मतैक्य रहा है। आज हम सब किसी दल या राजनीति का विचार किये बिना एक होकर अपने आप को गोआ के लिये निछावर करने जा रहे हैं तथा इस सम्बन्ध में सरकारी सदस्यों में तथा सभा के शेष दलों में कोई मतभेद नहीं है। इस लिये सारे संसार को ज्ञात होना चाहिये कि गोआ के प्रश्न को लेकर कोई विदेशी अभिकरण या शक्ति हमारे अन्दर फूट नहीं डाल सकती है। गत दो मास से सर्वदलीय राष्ट्रीय अभिसमय बनाने के जो प्रयत्न हमने बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा दिल्ली में लिये हैं वह इसी लिये किये हैं कि सभी दल इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये एक होकर एक मंच से काम करना चाहते हैं।

गोआ स्वातन्त्र्य आन्दोलन के अहिंसात्मक रूप के सम्बन्ध में बहुत सी भ्रान्तियां फैली हुई हैं परन्तु मैं हर्ष के साथ कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में निकट भविष्य में कोई परिवर्तन करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। आन्दोलन के वेग के बढ़ने के साथ साथ केवल इतना ही होना है कि आन्दोलनकारियों की संख्या में दिनों-दिन वृद्धि होती जायेगी परन्तु आन्दोलन का स्वरूप और ढांचा वैसा ही रहेगा। गोआ का अपना स्वातन्त्र्य आन्दोलन बहुत ही दृढ़ है और निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है। प्रधान मंत्री ने पहली बार इस तथ्य पर ज़ोर दिया है। गोआ डामन, ड्यू की ६,३८,००० जनता में से २,५०० गोआवासी पुर्तगाल के फासिस्ट प्राधिकारियों द्वारा कुचले जा चुके है। अंग्रज़ों के शासन काल में ३६ कड़ोड़ जनता में से जेल यात्रियों की संख्या को देखते हुए यह संख्या किसी प्रकार कम नहीं है। इसलिये अब समय आगया है कि भारत के अन्दर तथा बाहर इस बात को स्वीकार किया जाये। गोआ के भीतर गोआवासियों के प्रतिरोध का एक आन्दोलन चल रहा है हाल ही में भारतीय सत्याग्रहियों ने गोआ में प्रवेश करना आरम्भ किया है। इससे केवल एक ही बात प्रकट होती है कि जहां तक गोआ का सम्बन्ध है गोआवासियों और भारतवासियों में कोई अन्तर नहीं है। यदि एक बार इस बात को समझ लिया जाये तो डा० सालाजार का यह सारा प्रचार मिथ्या सिद्ध हो जायेगा कि भारत से गोआ पर आक्रमण किया जा रहा है।

कांग्रेस की कार्यकारिणी ने पहली बार इस उत्तरदायित्व को स्वीकार किया है कि गोआवासियों, भारतीयों तथा भारत सरकार पर इस स्वातन्त्र्य आन्दोलन को सफल बनाने का दायित्व है। दूसरे उसने कांग्रेस के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप में इस आन्दोलन में भाग लेने की छूट दे दी है। अब कांग्रेस के सदस्य भारी संख्या में गोआ में प्रवेश करेंगे। हमारे साथियों में से

श्री टी० के० चौधरी गोआ के अन्दर पुर्तगाली जेलों में बन्द हैं । हम में से कुछ कांग्रेस जन गोआ में प्रवेश करने का अपना निश्चय घोषित कर चुके हैं । कांग्रेस के कुछ महत्व-पूर्ण सदस्यों ने हमारे साथ गोआ में प्रवेश करने के लिये कहा है ।

यशस्वी कांग्रसमैन श्री के० एम० झैडे के सभापतित्व में एक सर्वदलीय विमोचन समिति बन चुकी है जो न केवल सत्याग्रहियों को गोआ में भेजने का प्रबन्ध करती है वरन् उन सत्याग्रहियों की देखभाल का भी प्रबन्ध कर रही है जो शारीरिक यातनायें पहुंचाये जाने के बाद हमारे राज्य क्षेत्र में छोड़ दिये जाते हैं । ऐसे सत्याग्रहियों के डाक्टरी उप-चार तथा अन्य सुविधाओं का प्रबन्ध करने के लिये अब हमारे देश को और अच्छा प्रबन्ध करना चाहिये ।

इस सम्बन्ध में मैं प्रधान मंत्री से दो तीन बातें कहना चाहता हूं । एक तो यह कि अब समय आ गया है कि हम पुर्तगाली बस्तियों तथा पुर्तगाल के साथ सारे व्यापारिक सम्बन्ध समाप्त कर दें । अंग्रजों के शासन काल में भी १२५ लाख रुपये के अनुकूल व्यापार अन्तर का कोई विचार किये बिना हम ने अपने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा करने के लिये दक्षिण अफ्रीका के साथ सारे व्यापारिक सम्बन्ध समाप्त कर दिये थे । अतः समस्त व्यापारिक सम्बन्ध समाप्त कर दिये जायें ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसा आपको सब को ज्ञात है, पुर्तगाल गोआ, डामन, ड्यू में सभी प्रकार के शस्त्र तथा युद्ध सामग्री जमा कर रहा है । ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक ही है कि सुरक्षा सेवा के लोग इन बातों पर निगाह रखेंगे । परन्तु हमारे पास इन सब बातों का ठीक ठीक पता लगाने का कोई साधन नहीं है, इस लिये हमारी नौ सेना को यह काम अपने हाथ में लेना चाहिये । हमारी नौ सेना सारे संसार में युद्धाभिनय के लिये जाती है । समुद्र के उपयोग का अधिकार हमें प्राप्त है । चूंकि हमें यह पता नहीं है कि वहां क्या हो रहा है इसलिये हमारी नौ सेना तीन मील और कुछ गज़ आगे के जल प्रांगण के बाहर रहते हुये इस बात का पता लगा सकती है । हमारे कुछ पड़ौसी देश गोआ को केवल रसद ही नहीं वरन् युद्ध-सामग्री भी भेज रहे हैं । यह बहुत ही गम्भीर चिन्ता का विषय है और मुझे विश्वास है कि प्रधान मंत्री अवश्य इस पर विचार करेंगे ।

भारत भी अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास का सदस्य है और पुर्तगाल भी है । इस लिये मैं प्रधान मंत्री से अपील करता हूं कि वह इस संस्था के द्वारा यह पता लगाने का प्रयत्न करे कि गोआ में जो हमारे बन्दी हैं उनकी हालत कैसी है । मैं यह जानना चाहता हूं कि गोआ में जो हमारे बन्दी हैं क्या प्रधान मंत्री उन के प्रति युद्धबन्दियों जैसा व्यवहार करा सकने की स्थिति में हैं । मुझे आशा है कि प्रधान मंत्री अवश्य ही इस प्रश्न पर भी विचार करेंगे और राजनैतिक स्तर पर इस प्रश्न पर वार्ता करेंगे ।

हाल ही में तत्र भगवान् पोप से हुई प्रधान मंत्री की भेंट से गोआ का धर्म सम्बन्धी प्रश्न सदा के लिये साफ हो गया है । मैं अब प्रधान मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि इंगलैंड के प्रधान मंत्री तथा नेटो समूह की अन्य शक्तियों के साथ उनकी जो वार्ता हुई है क्या उस के आधार पर यह आशा की जा सकती है कि मित्रता के भावना से प्रेरित यह शक्तियां गोआ को स्वतन्त्र कराने और भारत के साथ उस का संविलयन कराने में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करेंगी ।

श्री ए० के० गोपालन (कन्नूर) : कल हमने गोआ के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री

[श्री ए० के० गोपालन]

का वक्तव्य सुना। उसमें गोआ सम्बन्धी हमारी भावनायें कि गोआ भारत का एक अंग है, तथा यह कि गोआ की स्वतन्त्रता के लिये प्रयत्न करना, गोआ तथा भारत की जनता का तथा भारत सरकार का कर्तव्य है, भली प्रकार व्यक्त की गई थीं।

लगभग गत एक वर्ष से प्रत्येक जाति तथा विचार के लोगों में यह आन्दोलन ज़ोर पकड़ रहा है कि गोआ को स्वतन्त्र कराये बिना एक भी भारतीय चैन की सांस नहीं लेगा। गोआ में अधिकारियों के बढ़ते हुये अत्याचारों की तनिक भी चिन्ता किये बिना प्रति दिन ऐसे सैकड़ों स्त्री, पुरुषों के नाम आ रहे हैं जो स्वतन्त्र आन्दोलन में भाग लेना चाहतें हैं। लगभग एक वर्ष से पुर्तगालीयों के निर्दयतापूर्ण अत्याचारों के रोमांचकारी वर्णन सुन सुन कर इस देश में और संसद् में क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो रही है। सरकार की इतनी विनय तथा घोषणा करने पर भी पुर्तगाल ने वार्ता करने के स्थान पर वार्ता का द्वार ही बन्द कर दिया है। सरकार ने अन्तिम सीमा तक धैर्य से काम लिया है। ऐसी परिस्थिति में हम सरकार की इस घोषणा का पूर्णरूपेण समर्थन करते हैं कि पुर्तगाल की सरकार ८ अगस्त तक नई दिल्ली में स्थित अपना राजदूतावास बन्द कर दे। यह पुर्तगाल के लिये एक चेतावनी है और गोआ तथा भारत की जनता अब बड़ी व्यग्रता से इस बात की राह देख रही है कि सरकार का अगला क़दम क्या होता है। यह बात समझ में नहीं आती कि पुर्तगाल का साम्राज्यवाद आज क्यों इतनी उदण्डता का व्यवहार कर रहा है। क्या वह यह समझता है कि हम, जो अभी कुछ ही दिन पहले अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों से मोर्चा ले चुके हैं, आज इतने निर्बल हो गये हैं कि गोआ को स्वतन्त्र नहो करा सकते हैं? सत्याग्रहियों पर जैसे बरबर्तापूर्ण आक्रमण किये जा रहे हैं उन के विवरण सुन कर सारा सभ्य संसार चकित हो उठा है। सत्याग्रहियों के गिर पड़ने के बाद कीलदार जूते पहने हुये सैनिक उन पर कूद पड़ते हैं। सत्याग्रहियों के सर और भवें उस्तरे से साफ कर दी जाती हैं। इस पर भी वे कहते हैं कि हिंसा सत्याग्रहियों की ओर से की जाती है। आज जो कुछ गोआ में हो रहा है उसका उत्तरदायित्व पुर्तगाल की सरकार पर है और यदि सत्याग्रहियों पर ऐसे ही अत्याचार होते रहे तो बहुत कुछ हो सकता है और इस सब का उत्तरदायित्व पुर्तगाल की सरकार पर होगा।

स्वतन्त्रता के सेनानियों और जेल जाने वालों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुये हम सहृदयता के साथ उन सब कार्यों का समर्थन करते हैं जो सरकार द्वारा गोआ स्वातन्त्र्य आन्दोलन को दृढ़ बनाने के लिये किये जा रहे हैं। साथ ही हम सरकार से अपील करते हैं कि सरकार कोई ऐसा कार्य न करे जिस से कि स्वतन्त्रता के लिये आगे आने वाले और अपनी जान की बाज़ी लगाने वाले हज़ारों व्यक्तियों का उत्साह कम हो जाये या उन का मनोबल दुर्बल हो जाये सरकार का अभिप्राय चाहे जो भी हो पर यह निश्चित है कि स्वतन्त्रता के संग्राम में भाग लेना इस देश की जनता का अधिकार है और इस अधिकार पर यदि कोई नियंत्रण लगाया गया तो उस से हमारे आन्दोलन को धक्का पहुंचेगा और हमारे शत्रुओं को बल मिलेगा।

हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि वह आगे बढ़े और प्रभावपूर्ण कार्यवाही करे अर्थात् आर्थिक नाकावन्दी आदि करे। हम यह भी समझते हैं कि यदि ऐसी स्थिति आ जाये तो सरकार को पुलिस कार्यवाही

भी करनी होगी । मुझे विश्वास है कि गोआ और भारत की जनता तथा समस्त सभ्य राष्ट्र इस बात में भारत सरकार का समर्थन करेंगे। गोआ तथा भारत की जनता तथा भारत सरकार की संगठित कार्यवाही अधिक दृढ़ होती जायेगी और निकट भविष्य में ही गोआ की स्वतन्त्रता के लिये यह एक महान शक्ति होगी ।

आचार्य कृपालानी (भागलपुर व पूर्निया): कल प्रधान मंत्री ने अपने वक्तव्य में गोआ में हो रही घटनाओं का बहुत स्पष्ट वर्णन किया था, किन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि इस ममाले में सरकार क्या करना चाहती है अथवा लोगों से क्या करने की आशा रखती है ।

यह कई बार कहा गया है कि गोआ की स्वतन्त्रता का प्रश्न मुख्यतया केवल गोआ वासियों से ही सम्बन्धित है——यह बात उस समय तो सच मानी जा सकती थी जब कि गोआ वाले स्वयमेव पृथक रूप से अपनी आज़ादी की मांग करते, परन्तु वे तो भारत के साथ मिल जाना चाहते हैं । इस लिये मेरा यह कहना है कि गोआ की स्वतन्त्रता का संघर्ष एक राष्ट्रीय प्रश्न है और हम यह नहीं देख सकते कि हमारा कोई भी क्षेत्र विदेशी सत्ता के अधीन रहे ।

कोई भी व्यक्ति इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि भौगोलिक, राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से गोआ भारत का ही एक अंग है । गोआ निवासी स्वयं यह समझते हैं कि उन को भारत में मिलने पर उन्नति के अधिक अवसर प्राप्त होंगे । जहां तक कैथोलिक चर्च का सम्बन्ध है गोआ के चर्च में कोई भी गोआ निवासी उच्च पद पर नहीं है । भारत में २५ प्रतिशत विशप गोआ निवासी हैं तथा यहां के कार्डिनल भी एक गोआ निवासी हैं । यहां गोआ निवासी और अच्छे अच्छे पदों पर भी हैं ।

गोआ की तमाम आर्थिक व्यवस्था भारत से भेजे जाने वाले प्रेषणों पर निर्भर है । मेरे विचार से कई बार भारत सरकार भी यह बात स्वीकार कर चुकी है कि गोआ की आज़ादी का प्रश्न केवल गोआ वालों से ही सम्बन्धित नहीं है अपितु भारत सरकार और भारत की जनता से सम्बन्ध रखता है । हमारे प्रधान मंत्री ने अभी कुछ दिन हुये इसी बात को स्वीकार करते हुये एक प्रेस सम्मेलन में यह कहा था कि आज विश्व में पुर्तगालियों द्वारा गोआ पर अधिकार जमाये रखने से अधिक कोई और बात अत्यन्त अन्यायपूर्ण नहीं है । उन्होंने कहा था कि हम गोआ के सम्बन्ध में इन सब व्यर्थ की बातों को सहन नहीं कर सकेंगे । इससे हमें भारत सरकार के इरादे का पता चलता है । तब अड़चन किस बात की है ? अड़चन केवल यही है कि क्या राज्य की नीति को त्याग कर हिंसा का प्रयोग किया जाये तथा क्या जनता के हित के लिये युद्ध किया जाये ? जो द्विविधा भारत सरकार के समक्ष अब है वही शंका महाभारत शुरू होने से पूर्व अर्जुन के हृदय में थी । क्या वह न्याय के लिये अपने बन्धु बान्धवों तथा गुरुजनों के रक्त से हाथ रंगे ? शेक्स्पीयर के हैमलेट के समक्ष भी यह ही द्विविधा थी । यह प्रश्न तो उस समय तक रहेगा जब तक कि दुनिया रहेगी । और प्रश्न यह है कि क्या हम न्याय के लिये अन्यायियों के साथ युद्ध करें या नहीं ?

किन्तु हमें गीता का वह उपदेश स्मरण रखना चाहिये कि कर्तव्य पालन के लिये कठोर से कठोर कार्य भी करना ही पड़ेगा। मेरे विचार में गीता के उपदेश से बढ़ कर इस प्रश्न का और कोई हल नहीं है ।

क्या हम भारतीय केवल अहिंसा के लिये ही वाक्‌वद्ध हैं और क्या सरकार ने भी सरकार

[आचार्य कृपालानी]

के रूप में अहिंसा की शपथ ले रखी है ? जहां तक मुझे ज्ञात है भारत सरकार के पास एक महान् सेना है और आवश्यकता के समय हमने उसका काश्मीर तथा हैदराबाद में प्रयोग किया था । हम ने उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के झगड़े में भाग ले कर उत्तरी कोरिया को आक्रान्ता देश घोषित किया था । इस लिये अब हम यह नहीं कह सकते कि हमने अहिंसा की शपथ ले रखी है । हमारे प्रधान मंत्री ने यह कहा है कि युद्ध से किसी समस्या का समाधान नहीं होता है । राष्ट्रों का एकीकरण गृह-युद्धों से ही हुआ है और भारत के पहले स्वतन्त्रता आन्दोलन हिंसात्मक थे । इसलिये यह कहना कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं कर सकता है पूर्ण रूप से सत्य नहीं है । परन्तु युद्ध युद्ध में भी अन्तर होता है । उदाहरण के लिये एक निरामिषभोजी यह जानता है कि तरकारियों में जीवन है किन्तु वह मांस नहीं खाता है तथा एक आमिष भोजी मांस तो खाता है किन्तु नर मास नहीं । इस लिये युद्ध युद्ध में विभेद तो करना ही होगा ।

हम यहां विश्व युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं । केवल एक छोटे क्षेत्र की बात है और फिर यह युद्ध पुराने शस्त्रों से लड़ा जाना है । इसके विस्तृत हो जाने का भी कोई भय नहीं है ।

प्रधान मंत्री को इस बात का श्रेय मिलना चाहिये क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि यह युद्ध फल नहीं सकता है । पोप ने कह दिया है कि गोआ का प्रश्न कोई धार्मिक प्रश्न नहीं है । रूस तथा चीन ने भी भारत के पक्ष में घोषणायें कर दी हैं । अमेरिका तथा फ्रांस भी हमारा पक्ष ले रहे हैं । अब केवल पुर्तगाली रह गये या रह गये हमारे मित्र अंग्रेज । हम राष्ट्र मंडल के मदस्य हैं । और मुझे विश्वास है अंग्रेज गोआ के प्रश्न पर अपना माथा गरम नहीं करेंगे । अतः चिन्ता की कोई बात ही नहीं है ।

युद्ध के प्रश्न को तो एक ओर छोड़िये । अब पुरानी बातें नहीं रही हैं । ऐसी समस्या को तो महात्मा जी ने हल कर दिया था । उन्होंने हमें युद्ध के स्थान एक और मार्ग बताया था और वह था सत्याग्रह का मार्ग । गत वर्ष भी लोग सामुहिक सत्याग्रह करना चाहते थे किन्तु सरकार ने उन्हें रोक दिया था । अतः अब वह वैयक्तिक सत्याग्रह चल रहा है । मेरी प्रार्थना यह है कि इस सत्याग्रह की गति को बढ़ने दिया जाये । मेरा विचार है कि भारत सरकार की भी ऐसी ही इच्छा है । सत्याग्रह करने की केवल जनता को आज्ञा ही न दी जाये अपितु सरकारी नेता स्वयं इस आन्दोलन के नेता बनें । या तो हैदराबाद के ढंग की एक लड़ाई लड़ी जाये या इस प्रकार का महान् सत्याग्रह किया जाय---बस यही दो रास्ते हैं । गांधी जी ने कहा था कि चीन की जापान से तथा पौलैंड की जर्मनी से जो लड़ाई हुई थी वह सत्याग्रह के बहुत निकट थी । गांधी जी के अनुसार विधिवत सशस्त्र कार्यवाही सत्याग्रह ही होती है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को यह देखना चाहिये कि अन्य सदस्यों को भी बोलना है ।

आचार्य कृपालानी : सरकार ने स्वयं यही कहा था कि काश्मीर में लुटेरों को निकालने के लिये सेना भेजने की बात का गांधी जी ने समर्थन किया था । सालाजार सरकार के पदाधिकारी भी बहुत अत्याचार कर रहे हैं । अब गोआ के मामले में अधिक देर करने की आवश्यकता नहीं है । एक महान् सरकार के लिये अपने उत्तरदायित्व से जी चुराना उचित नहीं है । अन्यथा शान्ति स्थापन नहीं

हो सकेगी । यदि सरकार ने कोई कार्यवाही न की तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा ।

प्रधान मंत्री का यह विचार है कि भारत जसा एक महान् देश पुर्तगाली जैसी एक साधारण शक्ति से क्यों टक्कर ले, क्योंकि हमारे सामने वह एक मक्खी के बराबर है और ऐसा करना हमारी गौरव गरिमा के अनुकूल नहीं है । परन्तु हमें यह भी देखना चाहिये कि पुर्तगालियों ने क्या किया है । उन्होंने २५०० व्यक्तियों को क़ैद किया है ११० व्यक्तियों को दण्ड दिया गया है । लाठी चार्जों की कोई हद ही नहीं रही है । स्त्रियों तक से दुर्व्यवहार किया गया है । इसलिये सरकार को अवश्य कोई कार्यवाही करनी चाहिये । इसमें सारा देश सरकार का साथ देगा ।

श्री गाडगील (पूना मध्य) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक गोआ सम्बन्धी उद्देश्यों का प्रश्न है, सभी लोगों की एक ही राय है । मुझे आशा है कि इस समस्या को हल करने का कोई मार्ग निकल ही आयेगा । आचार्य कृपालानी जी ने हिंसा तथा अहिंसा के सम्बन्ध में कहा । इस सम्बन्ध में मैं बाद में कहूंगा । इस समय तो मैं यह कहना चाहता हूं कि डा० सालाज़ार ने नवम्बर में कहा था कि भारत को गोआ की कोई साम्राज्यिक रूप में आवश्यकता नहीं है केवल वैयक्तिक तथा दलीय दृष्टिकोण से भारत के प्रधान मंत्री इस प्रश्न में हस्तक्षेप कर रहे हैं । किन्तु हम सभी जानते हैं कि यह सब बातें ग़लत हैं और गोआ का प्रश्न एक ऐतिहासिक विकास का प्रश्न है । मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि शीघ्र ही गोआ का आन्दोलन सफल होगा । पुर्तगाल सरकार का रवैया ही अजीब है । डा० सालाजार ने कहा था कि गोआ के लोग जब तक अपने संगठित इरादों से पुर्तगाली सरकार को असफल नहीं बना देते तब तक कुछ नहीं हो सकता । वही हालत पैदा होती जा रही है । अतः यह कहना कि यह दलीय दृष्टिकोण का परिणाम है ठीक नहीं है । यह आन्दोलन स्वतः विकसित आन्दोलन है । प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य है कि वह गोआ की स्वतन्त्रता का समर्थन करे क्योंकि वह भारत का ही एक भाग है ।

अब प्रश्न यह है कि यह समस्या हल कैसे हो । इस बात को कि गोआ भारत का अंग है प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

डा० सालाज़ार ने कहा है कि गोआ की सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्नता के बदलने के प्रश्न पर कोई बातचीत नहीं हो सकती । मैं सरकार से कहूंगा कि वह इस बात को स्पष्ट कर दे कि सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्नता का प्रश्न तर्क का विषय नहीं है । बातचीत करने योग्य तो प्रश्न यह है कि इस प्रभुत्व को किस प्रकार, किन किन अवस्थाओं में बदला जाना है । मुझे याद है कि इसी प्रकार स्वर्गीय पंडित मोती लाल जी ने भी भारतीय स्वतन्त्रता के प्रश्न के बारे में कहा था । गोआ की सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्नता का प्रश्न उस क्षेत्र की जनता का ही प्रश्न है ।

इन परिस्थितियों में भारत सरकार किस प्रकार कार्य करेगी यह स्पष्ट ही है । संस्कृति, भाषा तथा धर्म सम्बन्धी अधिकारों की जो प्रतिमूर्ति भारत में स्थित फ्रांसीसी क्षेत्रों में निवास करने वाले नागरिकों को दी गई है वही गोआ वालों को भी दी जायेगी । इसलिये जब तक बातचीत आरम्भ न हो तब तक इस आन्दोलन को चलाने देना चाहिये और हमें तो अशान्तिमय नहीं होने देना चाहिये । सचाई हमारे साथ है ।

आचार्य कृपालानी ने कहा है कि यह बात ग़लत है कि युद्ध से कोई समस्या नहीं सुलझती

[श्री गाडगील]

है । मुझे यह सुनकर महान् आश्चर्य हुआ, क्योंकि आचार्य जी तो गांधीवाद के एक विख्यात ज्ञाता हैं । गांधी जी ने विश्व को यही बताया है कि सभी समस्यायें शान्ति से हल की जा सकती हैं । एक सप्ताह से ही विश्व में भारी परिवर्तन आ गया है । आज दुनिया में एक जागृति सी उत्पन्न होती जा रही है । इस लिये इन परिस्थितियों में हमारा हिंसात्मक कार्यवाही करना अनुचित होगा । मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि हमें इसी शान्तिपूर्ण मार्ग का अनुसरण करना चाहिये ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि आप थोड़ी देर सरकार की गतिविधि का निरीक्षण करें । विदुर नीति में पंडित का यह लक्षण बताया गया है :

पस्य कृत्यं न जानन्ति मंत्रं वा मंत्रितं परे ।
कृत मे वास्य जानन्ति सवै पंडित उच्यते ।।

जब यह सरकार एक 'पंडित' द्वारा चलाई जा रही है तो हमें उसके कार्य ही देखने चाहियें । पुर्तगाल के राजदूतावास को बन्द करने आदि कार्यवाहियों से आप समझ लें कि सरकार की नीति बदल रही है ।

मुख्य बात तो यहां मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें कोई गलत कार्यवाही नहीं करनी चाहिये । हमें अपनी नीति को उसी सिद्धान्त के अनुरूप रखना है जिसका हम प्रचार करते रहे हैं । यदि काफ़ी समय तक हमें सफलता प्राप्त न हो तो हमें यह नहीं समझना चाहिये कि हम सफल होंगे ही नहीं । यदि हम इसी प्रकार से संगठित रहे तो सफलता शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त होगी ।

श्री कामत (होशंगाबाद) परन्तु एकता कहां है ?

श्री गाडगील : अन्त, में यह भी बताना चाहता हूं कि कई अन्य शक्तियां इस परिस्थिति का अनुचित लाभ उठाना चाहती हैं ।

मैं उन व्यक्तियों को बता देना चाहता हूं कि यदि वे एक छोटे से अस्थायी लाभ के हेतु उस महान् और स्थायी लाभ को खो देंगे, तो यह उनका एक अत्यन्त संकुचित दृष्टिकोण होगा । हम संसार के मत को अपने पक्ष में ढालने का प्रयत्न करें ताकि यदि पर्याप्त समय तक शान्तिपूर्ण ढंग से बातचीत करने के उपरान्त भी वे न मानें और हमें अन्य उपायों की शरण लेनी पड़े, तो सारे संसार का मत हमारे पक्ष में हो । जब तक वह स्थिति नहीं आती तब तक तो हमें प्रतीक्षा करनी ही चाहिये । महाभारत का सुन्दरतम उदारहण हमारे सम्मुख है । यदि हम, 'सत्वमेव जयते' इस आदर्श वाक्य में विश्वास रखते हैं तो यह निश्चित है कि अन्त में विजय हमारी ही होगी ।

आचार्य कृपालानी : मैं ने यह कदापि नहीं कहा कि गोआ के विरुद्ध कोई हिंसात्मक कार्यवाही की जाये । मैं ने तो यही कहा था कि इसके दो ही उपाय हैं--हिंसात्मक कार्यवाही अथवा शान्तिपूर्ण सत्याग्रह, और यदि सत्याग्रह को अपनाना है, तो इस आन्दोलन का नेतृत्व सरकार स्वयं ही करे ।

श्री कौट्टुकप्पल्ली (मीनाचिल) : भारत में पुर्तगाली बस्तियों का भारतीय गण राज्य में विलीन होना गोआ की जनता--हिन्दुओं और ईसाइयों--दोनों के हित में होगा । उनको सरकारी नौकरियों तथा वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में अधिक उन्नति करने के अवसर प्राप्त हो सकेंगे ।

गोआ के तट कटे फटे होने तथा वहां पर लोहे और मेंगानीज़ के बहुमूल्य स्रोत होने के कारण गोआ इस्पात उद्योग का एक

महान् केन्द्र बन सकता है। वह मछली पकड़ने का भी एक बड़ा केन्द्र बन सकता है। गोआ में अन्न तथा खाद्य की कमी रही है और इस के लिये उसे तथा अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारत पर ही निर्भर रहना पड़ता है। भारत सरकार की सहायता से उसके कृषि उद्योग का विकास हो सकता है। बहुत से गोआ वासी भारत सरकार की सेवा में हैं। भारत और गोआ के सम्बन्ध विच्छेद होने के कारण गोआवासियों को भयंकर कष्टों का सामना करना पड़ेगा।

ब्रिटिश राज्य-काल में भी गोआ को कोई बिदेशी बस्ती नहीं समझा जाता था। उन्हें भारत में हर प्रकार की सुविधायें और अधिकार प्राप्त थे। उन्हें भारत में हर प्रकार की सरकारी नौकरियां प्राप्त थीं। भारत की रक्षा सेनाओं में आज भी अनेकों गोआ निवासी नियुक्त हैं और कई तो उच्च पदों पर हैं। गोआवासियों के विदेशी नागरिक होने का कभी प्रश्न ही नहीं उठा था। भौगोलिक, ऐतिहासिक तथा जातीय दृष्टिकोण से गोआ भारत का ही एक अंग है।

डा० सालाज़ार के इस तर्क का मैं निराकरण करता हूं कि गोआ अथवा भारत में ईसाई धर्म की रक्षा करने के लिये पुर्तगाली सेना की आवश्यकता है। ईसाई धर्म का प्रचार तो यहां पर पुर्तगालियों के आने से १५०० वर्ष पूर्व ही होने लगा था और सालाज़ार सरकार के समाप्त होने के उपरान्त भी कई शताब्दियों तक यह धर्म यहां पर स्थिर रहेगा।

यह तो महान् ईसा मसीह के धर्म का अपमान करना है कि उसकी रक्षा करने के लिये सेना की आवश्कता है। उनकी शिक्षा सेनाओं अथवा अस्त्र शस्त्रों पर आधारित नहीं थी। उन्होंने तो मानवता को शान्ति का सन्देश दिया था। ईसाई धर्म तलवार के बल पर नहीं अपितु प्रेम और शान्ति के बल पर ही फैला है।

मैं तो यह कहूंगा कि भारतीय गणराज्य में ईसाइयों की इतनी संख्या है जितनी कि यूरोपीय पुर्तगाल की कुल जन संख्या भी नहीं होगी। यदि भारत में बसे हुये ईसाई अपने सह-नागरिकों के साथ शान्ति और प्रेमपूर्वक रह सकते हैं तो पुर्तगालियों के चले जाने के बाद गोआ के थोड़े से ईसाई प्रेमपूर्वक क्यों नहीं रह सकेंगे।

एक समय था जब कि कोचीन, बम्बई तथा बसीन भी पुर्तगालियों के अधीन थे और फिर गोआ भी सदैव से पुर्तगालियों के अधीन नहीं रहा है। उसका आधिपत्य भी बहुत बार बदल चुका है।

मई, १९२८ में वेटीकन और पुर्तगाल में एक संधि हुई थी जिसके अनुसार कैथोलिक चर्च ने भारत में प्रचार करने का अधिकार पुर्तगाल से छीन लिया था। और पोप ने हमारे प्रधान मंत्री को भी यह बताया है कि गोआ के विलय का प्रश्न धार्मिक नहीं है अपितु पूर्णरूप से राजनैतिक है।

भारतीय ईसाई तथा कैथोलिक गोआ के ईसाइयों की इस कार्य में पूर्ण रूप से सहायता करने के लिये तैयार हैं, कि वे विदेशी राज्य से मुक्त हो जायें।

भारत में हालैंड, फ्रांस तथा ब्रिटेन सभी साम्राज्यों के आधिपत्य थे, परन्तु वे सभी भारत छोड़ गये हैं। हमें आशा है पुर्तगाली साम्राज्य की भी सद्बुद्धि प्राप्त होगी और वह ब्रिटेन और फ्रांस का अनुकरण करेगा।

मैं गोआ के ईसाइयों से यह प्रार्थना करता हूं कि वे इस भारतीय आन्दोलन की पूरी सहायता करें और स्वतन्त्रता के ध्वज को ऊंचा फहरायें।

श्री फ्रेंक एन्थनी (नाम निर्देशित—आंग्ल भारतीय) : डा० लंका सुन्दरम् ने

[श्री फ्रेंक एन्थनी]

इस बात की ओर निर्देश किया था कि गोआ के सम्बन्ध में एक सर्व दलीय सम्मेलन हुआ था जिसमें सर्व सम्मति से एक संकल्प पारित किया गया था। उस संकल्प में भारत सरकार से यह कहा गया था कि वह पुर्तगाली सरकार स शान्तिपूर्ण बातचीत करने का एक अन्तिम प्रयास करे और यदि इस प्रयास में सफल न हो तो भारत में पुर्तगाली उपनिवेशों की इतिश्री करने के लिये समुचित कार्यवाही की जाये। कुछ एक आलोचक भारत सरकार की निर्बल नीति से असन्तुष्ट हैं, अतः वे इस संकल्प से सहमत नहीं हैं। परन्तु ये सभी आलोचक इस समस्या को वास्तविक रूप में समझ नहीं सके हैं।

जैसे कि श्री गाडगील ने कहा है भारत अपनी शान्तिमय नीति के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय संसार में अपनी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाया है, और इसीलिये संसार के तनाव को कम करने का उत्तरदायित्व भारत को सौंपा गया है।

सम्भव है कि भारत की इस संयम की नीति को भ्रांतिवश निर्बलता की नीति समझ लिया जाये। मुझे इस बात का शोक है कि पुर्तगाली समाचार पत्र तथा कुछ विदेशी समाचार पत्र भी भारत के प्रधान मंत्री को गालियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वह भारत की जनता को भड़का रहे हैं। परन्तु वास्तव में हमारे प्रधान मंत्री ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि जनता को संयम और शान्ति का सन्देश दे कर इस जन प्रवाह को रोके हुये हैं; अन्यथा यह छोटी सी वस्ती इतने महान् देश के सामने क्या वस्तु है। गोआ स्वयं यह अनुभव करता है कि आज एशिया जाग रहा है, और वह उपनिवेशवाद को किसी प्रकार से भी सहन नहीं करेगा। अतः इसका सीधा सा उपाय यह है कि वह शान्तिपूर्ण ढंग से बातचीत करे और इस कार्य में सभी यूरोपीय देश पूरी पूरी सहायता करें।

पुर्तगालियों का यह कथन तो बड़ा ही विचित्र सा है कि वे गोआ के ईसाइयों की रक्षा करने के लिये ही वहां पर स्थित हैं। परन्तु वास्तव में वहां के ईसाइयों ने ही गोआ के भारत में विलीनीकरण की बात को सर्वप्रथम प्रारम्भ किया था।

पुर्तगाली प्रैस और कुछ एक यूरोपीय प्रैसों ने यह लिखा है कि गोआवासी भारत के विरोधी हैं। परन्तु वास्तव में यह कथन पूर्णतया असत्य है। वहां पर आतंक का राज्य स्थापित है। गोआवासियों को ही जेल में धकेला जा रहा है। वे सभी भारत से मिल जाने के लिये आकुल हैं। वे चाहते हैं कि गोआ भी शीघ्रातिशीघ्र भारत का अंग बने।

गोआ की अर्थ नीति अविकसित है। भारत के साथ मिलते ही वह विकसित हो जायेगी। हमारा संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को हर प्रकार की प्रत्याभूति देता है। भारत में मिलते ही गोआवासियों को भी यह प्रत्याभूतियां प्राप्त हो जायेंगी। मैं प्रधान मंत्री से यह प्रार्थना करूंगा कि वह गोआवासियों को इस बात की प्रत्याभूति दे कि गोआ को बम्बई अथवा महाराष्ट्र में विलीन नहीं किया जायेगा और न ही इस समय गोआ में प्रचलित अर्थनीति में कोई अधिक हेरफेर किया जायेगा यहां तक कि मद्य निषेध भी लागू नहीं किया जायेगा।

अपनी भावी नीति बनाते समय सरकार को इस बात को ध्यान में रखना होगा कि उनके साथ असभ्यता पूर्ण व्यवहार किया जाता रहा है। पुर्तगाल में एक व्यक्ति ने गोआ में सरकारी नीति पर अंगुली उठाई थी, उसे, उसकी धर्म पत्नी और उसके परिवार

को कारागार में धकेल दिया गया। हमें ऐसी सरकार से व्यवहार करना है जो जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। सत्याग्रहियों पर अवर्णनीय अत्याचार किये जा रहे हैं। अतः भारत सरकार यह स्पष्ट कर दे कि वह केवल किसी सीमा तक ही धैर्य रखेगी, और इन भयंकर अत्याचारों को कदापि सहन नहीं करेगी।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : गोआ के प्रश्न पर इस सदन में और बाहर जो एकवाक्यता आज दिखाई दे रही है, इसके लिये मैं सर्वदलों को बधाई देता हूं। गोआ भारत का एक अंग है, इस विषय पर आज किसी का मतभेद नहीं है। गोआ में जो आन्दोलन चल रहा है, जो संघर्ष चल रहा है, उसमें भी जिस प्रकार सर्वदल अपने मतभेद दूर कर भाग ले रहे हैं और एक ही उद्देश्य और एक ही भावना से प्रेरित हो कर, किसी भी प्रकार के भेद-भाव न रखते हुये काम कर रहे हैं, उसके लिये भी मैं उनको बधाई देता हूं। आज यह बात भी माननी पड़ेगी कि हमारी भारत सरकार आज जिस प्रकार से काम कर रही है, उसके कारण भारत की पूर्ण जनता का हृदय उसके साथ है। मैं यह भी कहूंगा कि आज भारत सरकार जो जो घोषणायें कर रही है, उनमें वह भारत की जनता का पूरा पूरा प्रतिनिधित्व करती है। यह ठीक है कि उसका वह प्रतिनिधित्व ज़रा संयत है---उसकी तरफ़ से भारत की जनता के हृदयों का प्रतिनिधित्व संयम के साथ हो रहा है। मैं यह नहीं समझता हूं कि सालाज़ार की तरफ़ से दुनिया में जो प्रचार चल रहा है, भारत सरकार की तरफ़ से उसका कोई उत्तर दिये जाने की आवश्यकता है। सालाज़ार के प्रचार में जिस प्रकार की उद्दंडता और मस्ती हमें दिखाई देती ह, उसका उत्तर हमारी सरकार बड़े गम्भीर और गौरवयुक्त शब्दों में देती है। इसके लिये भी कोई उसकी मुख़ालफ़त करेगा, मैं समझता हूं ऐसी बात नहीं है। वहां पर इस समय जो सत्याग्रह चल रहा है, उसके साथ भी सब की सहानुभूति है। यह सत्याग्रह पूर्णतया अहिंसात्मक मार्ग से चल रहा है। इसमें हिंसा की ज़रा भी बू न आये, इसकी भी चिन्ता सब कर रहे हैं। इसी प्रकार से भारत में सम्मिलित होने के पश्चात् वहां के अल्पसंख्यकों के साथ न केवल अन्याय नहीं किया जायेगा बल्कि उनके साथ उदारता का व्यवहार किया जायगा, इस विषय में भी भारतवर्ष में कोई मत-भेद नहीं देखता हूं। मैं समझता हूं कि यह भी बड़ी बधाई की बात है।

इसके पश्चात् मैं यहां यह बता देना भी अपना कर्तव्य समझता हूं कि आज गोआ में सत्याग्रह किस प्रकार से चल रहा है और जिन पांच उद्देश्यों को ले कर हमने यह सत्याग्रह प्रारम्भ किया था, उन में से कौन कौन से उद्देश्य सफल हुये हैं और आज हम अपनी सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं। यह सत्याग्रह करते समय हमारा पहला उद्देश्य यह था कि हम गोआ की छः लाख जनता को यह बतायें कि पुर्तगाल सरकार के ख़िलाफ़ आप जो संघर्ष कर रहे हैं, इसमें आप केवल छः लाख नहीं हैं, अपितु हिन्दुस्तान की पैंतीस करोड़ जनता आपके साथ है। यह बताने के लिये सत्याग्रही जत्थे भारत से वहां जा रहे थे। इस उद्देश्य में हम सफल हुये हैं। हिन्दुस्तान से लोग सत्याग्रह करने के लिये गोआ न जायें, इस उद्देश्य से सालाज़ार की सरकार ने किस प्रकार के अत्याचार किये, यह मैं आज अधिक शब्दों में बताना नहीं चाहता हूं। मैं स्वयं उनके अत्याचारों का शिकार हुआ हूं, परन्तु वह रोना यहां आपके सामने रोने में मुझे कोई अभिमान मालूम नहीं होता और मैं वहां से मार खा कर वापिस आ गया हूं, इस लिये मुझे बहुत बड़ा आदमी समझा जाये, यह अभिमान रखने की मेरी मनोवृत्ति नहीं है। हमने देखा

[श्री वी० जी० देशपांडे]

कि सालाज़ार की सरकार ने लोगों को डराने का पूरा यत्न किया, लेकिन उसका उल्टा ही असर हुआ और भारत के हज़ारों लोग वहां जाने के लिये कटिबद्ध हो गये हैं।

हमारा दूसरा उद्देश्य था भारत की जनता में गोआ के विषय में जागृति का निर्माण करना। आज हम देखते हैं कि देश के एक कोने से दूसरे कोने तक गोआ के बारे में जागृति का निर्माण हो गया है।

हमारा तीसरा उद्देश्य था भारत के बाहर सिविलाइज्ड पब्लिक ओपीनियन—संस्कृत जनमत—के हृदय में परिवर्तन करना। मैं समझता हूं कि हम इस उद्देश्य में पूरे सफल नहीं हुये और मैं बड़े अदब के साथ, बहुत नम्रतापूर्वक यह कहूंगा कि सरकार ने इस विषय में अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया है। यहां हिंसा अहिंसा का कोई वाद-विवाद नहीं है। हम देखते हैं कि पाश्चात्य वृत्तपत्रों में—अमरीकी और ब्रिटिश वृत्तपत्रों में—हिन्दुस्तान के खिलाफ़ प्रचार हो रहा है। हमारे प्रधान मंत्री दुनिया भर के देशों में हो आये। उनका बड़ा स्वागत हुआ। हमारा भी दिल यह देख कर बड़ा प्रसन्न हुआ। परन्तु हिन्दुस्तान के खिलाफ़ जो प्रचार चल रहा है, उसका प्रतिरोध करने के लिये कोई भी प्रभावशाली क़दम हमारी सरकार ने उठाया नहीं है। हमारी सरकार का प्रचारतंत्र असफल रहा है, यह आक्षेप मैं ज़रूर करूंगा। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह अपना प्रचारतंत्र ज्यादा तेज़ी से चलाये और साथ ही उस प्रचारतंत्र में परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

यह हमारा तीसरा उद्देश्य था, और चौथे उद्देश्य पर मैं आखिर में आऊंगा। पांचवां उद्देश्य यह था कि पुर्तगाल सरकार गोआ पर जो अत्याचार कर रही है, उनको रोकने के लिये उस पर दबाव डाला जाय। हृदय-परिवर्तन पर मेरा विश्वास नहीं है। सत्याग्रह और अहिंसात्मक सत्याग्रह पर मेरा विश्वास है, परन्तु किसी सरकार का भी हृदय होता है और उसका परिवर्तन होता है, विशेषतया किसी साम्राज्यवादी सरकार का भी हृदय-परिवर्तन होता है, यह मैं मानता नहीं हूं। अंग्रेज़ सरकार का दिल भी बदल गया था, यह मैं मानता नहीं हूं। हां, एक बात ठीक है कि अंग्रेज़ों का दिल नहीं था, लेकिन दिमाग़ था और उन्होंने समझ लिया कि हम हिन्दुस्तान पर अब राज्य नहीं कर सकते, इस लिये हिन्दुस्तान छोड़ कर चले गये। लेकिन सालाज़ार सरकार के पास न दिल है और न दिमाग़। इस लिये केवल आपके दुख-भोग से सालाज़ार सरकार हिन्दुस्तान छोड़ कर चली जायेगी, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। मैं नहीं चाहता कि लड़ाई हो। वी आर नाट वार-मांगर्ज़। लड़ाई ज़रूर होनी चाहिये और वह एक बहुत अच्छी बात है, यह मैं नहीं मनाता हूं। दुनिया में शान्ति होनी चाहिये और हमारी सरकार को भी शान्ति से कार्य करना चाहिये, यह भी मैं स्वीकार करता हूं। हमारे प्रधान मंत्री जिस प्रकार से नीति चला रहे हैं, उसमें दखल देने का मेरा उद्देश्य नहीं है। दुनिया के बड़े कामों में आप किस प्रकार से चल रहे हैं, उसमें भी कोई दखल देने का मेरा विचार नहीं है। परन्तु एक बात मैं बड़ी नम्रता के साथ आपसे ज़रूर निवेदन करना चाहता हूं। आचार्य कृपालानी जी हिंसा, अहिंसा, नीति अनीति, सत्य और असत्य, इस पर अधिकार-युक्त वाणी से बात कर सकते हैं। लेकिन मैं इतने बड़े अधिकार से बात नहीं करूंगा। परन्तु इतिहास पढ़ने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि पद दलित राष्ट्रों का साम्राज्य

वाद के खिलाफ़ लड़ाई करने का जन्म सिद्ध अधिकार है । मेरा इस पर विश्वास है। इसी कारण मैं गोआ के लोगों का वहां की सरकार से लड़ाई करना या हमारी सरकार का लड़ाई करना वैसा नहीं समझता जैसा कि अमरीका या रूस से लड़ाई करना या सीलोन या पाकिस्तान से लड़ाई करना । मैं इन दोनों की तुलना नहीं कर सकता । पहले पहल हमने ही सत्याग्रह किया । मुझे अभिमान है कि हमारे लोगों ने अंग्रेज़ी सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह करके देश को आज़ाद कराया । उसके मतभेद में मैं आज नहीं जाऊंगा । परन्तु हमने इस देश में एक सार्वभौम सरकार की इसलिये स्थापना की है कि इस देश के आन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न सरकारी स्तर पर हल किये जायें । आज हम यह देखते हैं कि हमारे देश की जनता की यह भावना है कि गोआ की मुक्ति के लिये वह जो कुछ करेगी वह इस सार्वभौम और सावरिन सरकार के नेतृत्व में करेगी । यदि हमारे राष्ट्रनायक यह समझते हैं कि वार से कोई प्राबलम हल नहीं होता तो वे इस प्राबलम को शान्ति से हल करें । बन्दूक ले कर जाने वाली फौज के स्थान पर सत्याग्रह की सेना बनायें । दुनिया में यह एक नया प्रयोग आप चलायें और शान्ति की फौजों को लेकर गोआ के प्रश्न को हल करें । यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो ऐसा करें लेकिन अपने लोगों के साथ डिपलोमैटिक बातें करें ऐसा मैं नहीं चाहता ।

मैं जानता हूं कि कांग्रेस दल के बहुत से नेता व्यक्तिगत रूप से हमारी सहायता कर रहे हैं और आज मैं इस विषय में किसी दलगत राजनीति को नहीं देख रहा हूं । आज मैं देख रहा हूं कि जनता के लोग गोआ सत्याग्रह करने जा रहे हैं, उन पर वहां अत्याचार होते हैं तो उनको बचाने वाला कोई नहीं है । लोग उन पर तालियां बजाते हैं । वह मार खाते हैं और आप की तरफ़ मुंह मोड़ कर कहते हैं कि पुलिस कार्रवाई कीजिये । मैं समझता हूं कि हमारे देश की सरकार की इसमें शान नहीं है कि हमारे देश वालों पर गोआ में अत्याचार हो । आपकी सरकार, जब गोआ हिन्दुस्तान में शामिल हो जायगा, तब बहुत सी अच्छी बातें करेगी इससे आज मुझे समाधान नहीं हो रहा है । मैं यह नहीं चाहता कि आप आज ही बन्दूकें लेकर वहां पर युद्ध शुरू कर दें । लेकिन मेरी यह प्रार्थना है कि आप यह न समझें कि हमको कभी ऐसा करना नहीं है । मैं भी चाहता हूं कि आप इस प्रश्न को शान्तिपूर्वक हल कर सकें । अगर आप अमरीका या इंगलैंड का दबाव ला सकते हैं तो आप लावें । परन्तु मैं नहीं समझता कि ये देश आपका साथ देंगे । मैं ने देखा कि उन देशों में एक तरफ़ जहां हमारे प्रधान मंत्री का स्वागत हो रहा था वहां दूसरी तरफ़ वहां के पत्र उनके विरुद्ध लेख लिख रहे थे और चर्चिल ने भी उनके खिलाफ़ आवेदन दिये । अगर आप और देशों का दबाव डलवा सकते हैं तो आप ऐसा करें और इस प्रश्न को हल करें, या अगर कर सकते हैं तो पंचशील के मार्ग से इसको हल करें । परन्तु यह निश्चय समझें कि इस देश में पुर्तगाल का और हमारा सहअस्तित्व नहीं हो सकता । जैसा कि काका गाडगील ने कहा है, अन्त में गोआ पर पुर्तगाल का प्रभुत्व नहीं रहेगा । सालाज़ार ने तो आज भी अपने स्टेटमेंट में कहा है वह ऐसा मालूम पड़ता है कि महाभारत के एक अंश का भाषांतर है । जैसे कि दुर्योधन ने कहा था :

"सूच्याग्रं न प्रदास्यामि बिना युद्धेन केशव ।"

वैसे ही आज सालाज़ार कह रहे हैं :

"सूच्यांग्रं न प्रदास्यामि
बिना युद्धेन जवाहर"

[श्री वी० जी० देशपांडे]

दूसरी बात तो सालाज़ार कर नहीं रहा है । जब वह इस प्रकार से कह रहे हैं तो कसे समझा जाये कि उन का हृदय परिवर्तन होगा । मुझे इस पर विश्वास नहीं है । हमको यह समझ लेना चाहिये कि अन्तिम रूप में हमको शक्ति का प्रयोग करना पड़ सकता है । मैं यह नहीं चाहता कि हमारी सरकार आज जानबूझ कर लड़ाई की बातें करे । परन्तु हमारी सरकार को अपने हृदय से यह बात निकाल देनी चाहिये कि यह छोटा सा देश है उसके साथ शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिये बल्कि बड़े देश के साथ करना चाहिये । यह महात्मा गांधी का कौन सा तत्वज्ञान है, मुझे मालूम नहीं है । मैं तो समझता हूं कि अन्याय का प्रतिकार करना चाहिये । पद दलित लोगों को जिस प्रकार हो सके साम्राज्य वाद का प्रतिकार करना चाहिये । हम सब जानते हैं कि पुर्तगाल वालों को गोआ से निकालने में और किसी दूसरे युद्ध में कितना अन्तर है । मैं अपने प्रधान मंत्री से और सरकार से बड़ी नम्रतापूर्वक प्रार्थना करूंगा कि उन को जो कुछ करना है उसको सरकारी स्तर पर करें ।

मैं यह जानता हूं कि पुर्तगाल एक छोटा सा देश है । हो सकता है कि हम इस प्रश्न को केवल सत्याग्रह से ही हल कर सकें । लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इसमें जनता की तो जीत होगी पर यह सरकार की शान के विरुद्ध होगा । कि हमारे यहां सार्वभौम सरकार होते हुये भी इस आन्तरिक प्रश्न को जनता स्वयं हल करे । यदि ऐसा हुआ तो मैं तो यह समझूंगा कि यह उस स्त्री के काम के समान होगा जो कि अपने बच्चे की शिक्षा के लिये चक्की पीसे और बरतन मांजे और उसका पति मालदार हो । ऐसा करने में उस स्त्री की तो बहादुरी होगी पर यह बात उसके पति की शान के ख़िलाफ़ होगी । हम कहते हैं कि हम सत्याग्रह से इस सवाल को हल कर सकते हैं । यदि ऐसा हुआ तो सत्याग्रह करने वालों की तो इसमें बहादुरी होगी पर यह हमारी सार्वभौम सरकार की शान के ख़िलाफ़ होगा कि जनता सरकार की सहायता के बिना इस आन्तरिक प्रश्न को हल करे । इसलिये मेरी इस देश की सरकार से प्रार्थना है कि वह इस बात की तरफ़ अवश्य ध्यान दे ।

यहां पर नाना प्रकार के युक्तिवाद चल रहे हैं । कोई तत्वज्ञान की बात कहता है, कोई नीति की बात कहता है, कोई चालाक़ी की बात कहता है । इस प्रकार से अनेक प्रकार की सलाहें दी जा रही हैं । मैं समझता हूं कि इस विषय में हमारी सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिये । यह हमारा आन्तरिक प्रश्न है, और यदि मेरी स्मरण शक्ति मुझे धोखा नहीं देती तो मेरा ख़्याल है कि डा० सय्यद महमूद साहब ने कहा था कि हम गोआ के प्रश्न को यू० एन० ओ० में नहीं ले जा सकते क्योंकि यह हमारा आन्तरिक प्रश्न है । हम तो अपने देश के अन्दर से पुर्तगाल वालों को इस तरह से निकाल सकते हैं जैसे कि हम चोर और डाकुओं को निकालते हैं । यह तो एक प्रकार का डिफेंस है । इसमें कोई एग्रेशन का सवाल नहीं है । हिन्दुस्तान की टैरीटरी पर पुर्तगाल ने हमला किया है और आज वे बन्दूकें लेकर आपको मारते हैं और आपके देश के एक भाग पर कब्ज़ा जमाये बैठे हैं । उनको निकाल देना कोई युद्ध नहीं है । यह गोआ की जनता के साथ युद्ध नहीं है परन्तु यह गोआ पर अत्याचार करने वालों के साथ युद्ध है जो कि गोआ पर क़ब्जा किये बैठे हैं । मैं चाहता हूं कि सरकार इस बात को ध्यान में रखे । मुझे इतना ही कहना है ।

श्री वी० बी० गांधी (बम्बई नगर—उत्तर) : गोआ के प्रश्न के विषय में, जहां तक

उपायों और उद्देश्यों का सम्बन्ध है, इस सभा के सदस्यों में बहुत कम मतभेद है ।

१९ जुलाई को प्रेस सम्मेलन में एक प्रश्न का उत्तर देते हुये प्रधान मंत्री ने कहा था कि पुर्तगाली सरकार तो तथ्यों को भी मानने के लिये तैयार नहीं है । अतः उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि यही दशा रही तो वर्तमान सरकार का राज्य, न केवल गोआ में ही अपितु पुर्तगाल में भी समाप्त हो जायेगा । यह वास्तव में एक बड़ी गम्भीर चेतावनी है जो बताती है कि भारत इस बात के लिये दृढ़ प्रतिज्ञ है कि वह शान्ति पूर्ण ढंग से बातचीत करने की स्थिति में ही रहेगा ।

इस चेतावनी का उत्तर भी तो आना चाहिये ही था और सालाज़ार सरकार ने इसका जो उत्तर भेजा है उसमें यह माना गया है कि भारत स्थित पुर्तगाली बस्तियां भारत जैसे महान् देश की शक्ति के सम्मुख टिक नहीं सकती हैं । इस का निर्देश हिंसात्मक कार्य-वाही की ओर है । उस में दूसरी बात यह लिखी है कि कुछ एक व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति यह चाहते हैं कि भारत के आक्रमण से उनकी रक्षा की जाये । इस बात से यह स्पष्ट हो जाता ह कि वह यह मानते हैं कि स्वयं पुर्तगाली में भी गोआ के प्रश्न पर जनता में मतभेद है । उस में तीसरी बात यह लिखी है कि यदि हमने उनकी रक्षा न की तो जनता हमें कभी भी क्षमा नहीं करेगी । परन्तु प्रश्न तो यह है कि रक्षा कौन चाहता है ? गोआवासियों को तो भारत से किसी प्रकार का कोई भय नहीं है । उन्होंने पुर्तगाल वालों से प्रार्थना नहीं की है । गोआवासी तो १९४६ से पुर्तगाल के शासन से स्वतन्त्र होने के लिये संघर्ष करते आ रहे हैं और इसके लिये अवर्णनीय अत्याचारों को सह रहे हैं । गत वर्ष तो २५,००० व्यक्तियों को कारागार में धकेल दिया गया था ।

वक्तव्य में बताया गया है कि गोआ-वासियों को पुर्तगाल का सह-नागरिक बना दिया गया है । परन्तु उन बेचारों को इससे कौन सा अधिकार दिया गया है ? उन्हें तो आत्माभिव्यक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं है । स्वतंत्रता का नाम लेते ही उन्हें कारावास में डाल दिया जाता है । उनको नागरिक स्वतन्त्रता तक प्राप्त नहीं है । सभी प्रकार के संविधानिक आन्दोलन को दबा दिया गया है । इस के लिये उनको २८ अट्ठाईस वर्ष तक का कठोर कारावास दण्ड तक दिया गया है ।

सह-नागरिक के समान व्यवहार किये जाने से उनको यह परिणाम भुगतना होता है । कदाचित यह तथ्य पुर्तगाल निवासियों को विदित नहीं है, और यदि है, तो भी इनके सम्बन्ध में अपने विचारों को व्यक्त करने की अनुमति नहीं है । एक न एक दिन यह तथ्य उनको विदित हो ही जायेंगे और वह स्वयं निर्णय करेंगे । वह निश्चय ही गोआ को छोड़ देने का निर्णय करेंगे, उस समय गोआ के वर्तमान शासन को या तो जनता की आज्ञानुसार कार्य करना होगा अथवा सत्ता को छोड़ देना पड़ेगा ।

हमारे प्रधान मंत्री संसार के चोटी के प्रजातन्त्रवादी हैं और हम उनकी जानकारी पर पूर्ण रूप से निर्भर रह सकते हैं । एक न एक दिन जनता की आवाज़ सालाज़ार पर छा जायेगी और वह तथा उसकी सरकार जनमत के इस प्रवाह को रोकने में असमर्थ रहेगी ।

श्री कामत : क्या उन सदस्यों को जिनका नाम आपके समक्ष रखी सूची में नहीं है, क्या कभी बोलने का अवसर प्राप्त होगा?

उपाध्यक्ष महोदय : कोई सूची नहीं है । जब भी कोई माननीय सदस्य खड़ा हो जाता है मैं उसका नाम लिख लेता हूं

[उपाध्यक्ष महोदय]

और वादविवाद को सन्तुलित रखने के हेतु मैं बारी बारी से उनको अवसर देता हूं ।

श्री रघुरामैया (तेनालि) : गोआ की विमुक्ति तथा भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीति के सम्बन्ध में सदस्यों के मतैक्य को देख कर अतीव सन्तोष होता है । गोआ को मुक्त करके भारत में मिला लिया जाना चाहिये इस सम्बन्ध में अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है । प्रत्येक गोआ निवासी तथा प्रत्येक भारतीय का इस के लिये प्रयत्न करना उसका जन्म सिद्ध अधिकार है । डा० सालाज़ार ने एक बार कहा था कि यदि पुर्तगालियों को गोआ छोड़ना पड़ा तो वहां केवल विनाश और जली भूमि के और कुछ नहीं रह जायगा । संसार का प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति इन वक्तव्यों पर केवल हंसेगा ही । राजनैतिक दृष्टिकोण से गोआ निवासियों को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं हैं । एक नाममात्र की परिषद् है जिसके अधिकांश सदस्य नाम निर्देशित हैं । मुझे ज्ञात हुआ है कि गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति के बिना उक्त परिषद् में कोई भी संकल्प प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है । नागरिक स्वतन्त्रता के नाम तक से वहां के लोग अपरिचित हैं, यहां तक कि विवाहोत्सवों तक के लिये सरकारी प्राधिकारियों की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है । आर्थिक जीवन प्रायः शून्य के बराबर है, यहां तक कि बैंकिंग सुविधायें तक नहीं दी गई हैं । केवल एक बैंक है जो जमा कराये गये धन पर ब्याज नहीं देता है और न कभी ऋण ही देता है । सीमा शुल्क की व्यवस्था पुर्तगाल स्थित सरकार को लाभ पहुंचाने के एक मात्र उद्देश्य से की गई है ।

इन्हीं कारणों से गोआ को मुक्त कराना आवश्यक है । साथ ही भारत अपनी भूमि पर किसी विदेशी सरकार के कब्ज़े को सहन नहीं कर सकता है । पुर्तगाल वासी इस तथ्य को समझ बूझ कर अनजान बन रहे हैं यह आश्चर्य की बात है । इतिहास पढ़ने वाला एक बालक भी जानता है कि पुर्तगाल ऐसा नहीं कर सकता है । फ्रांस ने इस तथ्य को समझ लिया ; इस से पूर्व अंग्रेज़ों ने इसे समझ लिया था, और संसार के विशालतम साम्राज्य को यहां से जाना पड़ा । आश्चर्य है कि यह सब देखते हुये भी पुर्तगाल अनदेखा क्यों कर रहा है । हम आशा करते हैं कि पुर्तगाल शीघ्र ही इस तथ्य को समझ जायेगा । इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने जो नीति अपनाई है उसका इस सभा में सभी ओर से समर्थन किया गया है । आचार्य कृपालानी ने जो 'समिति युद्ध के विषय' में कहा, मैं केवल उसी का विचार कर रहा था । आज के अणु युग में सीमित युद्ध प्रारम्भ करना किसी राष्ट्र के लिये किस प्रकार सम्भव है । आज यद्ध की एक साधारण चिंगारी समस्त संसार को जला कर राख कर सकती है । इसी आशंका से प्रेरित हो कर जिनिवा में विश्व के राजनीतिज्ञों का एक सम्मेलन हुआ था । इस बात पर वह सभी एकमत थे कि युद्ध को संसार के किसी कोने या राष्ट्र विशेष तक सीमित नहीं किया जा सकता है । अतः आचार्य जी के सीमित युद्ध का कोई अर्थ ही नहीं है । युद्ध से समस्यायें सुलझती अवश्य हैं परन्तु नवीन समस्यायें खड़ी भी तो हो जाती हैं । साथ ही हमें यह भी नहीं भूल जाना चाहिये कि हमारा देश संसार के शक्तिशाली देशों में से है । जो कुछ हम करते हैं संसार उसे उत्सुकता से देखता है, और हमने शान्ति स्थापन के लिये न केवल एशिया में अपितु संसार के अन्य भागों में जो प्रयत्न किये हैं उन पर भी हम पानी नहीं फेर देना चाहते हैं । अतः इस सम्बन्ध में भी हमारी नीति वही होनी चाहिये जो हमने संसार के अन्य देशों के सम्बन्ध में बनाई हुई है । इस बात

को स्वीकार करते हुये कि हम अपने देश की भूमि पर किसी विदेशी राष्ट्र का कब्ज़ा नहीं देख सकते हैं, हमें उन कठिनाइयों की ओर भी ध्यान देना चाहिये जिन का सामना सरकार को करना पड़ रहा है । अतः हमें सरकार को उस की वर्तमान नीति में पूर्ण रूप से सहयोग देना चाहिये ।

स्वामी रामा नन्द तीर्थ (गुलबर्गा) : अब तक इस सदन में जो चर्चा हुई है उस से यह बात ज़ाहिर होती है कि गोआ के मसले के बारे में हिन्दुस्तान की जनता और हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट, जो पालिसी हुकूमत आज अमल में ला रही है, उस के साथ है । इस चर्चा के बाद दुनिया के किसी देश को या किसी हुकूमत को यह कहने के लिये कोई अवकाश नहीं रहता है कि जो पालिसी हिन्दुस्तान की सरकार गोआ के मसले के बारे में अख़्त्यार कर रही है उस के साथ हिन्दुस्तान की जनता नहीं है । लेकिन आज देश के सामने जो सवाल खड़ा हुआ है वह यह नहीं है कि हिन्दुस्तान की जनता इस मामले में हुकूमत के साथ है या नहीं सवाल यह है कि यह मसला किस तरह से हल होगा, और जब हम गोआ के मसले के बारे में कुछ कहते हैं तो हमें सोचना होगा कि गोआ का मसला किस तरह से हल किया जा सकता है । और इसीलिये मैं दो एक छोटे छोटे विचार इस सदन के सामने रखना चाहता हूं ।

ख़ुशी की बात है कि अलग अलग पक्षों के प्रतिनिधियों ने और नेतओं ने इस सम्बन्ध में जो पालिसी हिन्दुस्तान में चल रही है उसका समर्थन किया । हो सकता है कि चन्द बातों के बारे में, कुछ तफ़सीलात के बारे में उन का मतभेद हो । मेरा भी चन्द दिशाओं के बारे में थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है । लेकिन हमें एक बात, जो मूलभूत बात है, उन को समझना ज़रूरी है । जब हम पुलिस ऐक्शन की बात करते हैं तो आख़िर उस के पीछे क्या ज़हनियत है, क्या विचार है । जसा कि अभी मेरे एक दोस्त ने बताया, गोआ का मसला हमारे एक मेम्बर फ्री लान्सर कहते हैं । डा० लंका सुन्दरम ने यह भी बात कही कि अगर सत्याग्रही गोआ में जाते हैं तो हिन्दुस्तान की सरकार का यह फ़र्ज़ होना चाहिये कि वह यह देखे कि उन के साथ उसी तरह से सलूक किया जाये जैसा कि प्रिज़नर आफ वार के साथ किया जाता है । मैं समझता हूं कि यह एक फंडैमेंटली रांग प्रौपोज़ीशन है । सत्याग्रही कभी प्रिज़नर आफ़ वार नहीं होते हैं । सत्याग्रही अपने उसूल के लिये, एक सिद्धान्त के लिये क़दम उठाते हैं । उन को इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि हिन्दुस्तान की सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है हिन्दुस्तान की जनता क्या करने वाली है, क्या नहीं करने वाली है, बर्ल्ड पब्लिक ओपीनियन हमारे साथ है या नहीं है । फिर भी क्योंकि वह न्याय की बात है, जस्टिस की बात है, अच्छी बात है, फेयर प्ले है, इसलिये सत्याग्रह किया जाता है । तो मैं समझता हूं कि जो भी सत्याग्रह करने क क़दम उठायें, उन को यह नहीं सोचना है कि उन के गिरफ्तार हो जाने के बाद गवर्नमेंट आफ़ इण्डिया गोआ पर यह दबाव डाले या उन के साथ प्रिज़नर आफ़ वार का सा सलूक किया जाये । यह एक फंडैमेंटल चीज़ है जो मैं ने कही । मगर जिस बात की तरफ़ मैं इशारा कर रहा था जो यह मांग की जाती है कि पुलिस एक्शन किया जाये, वह उस के बारे में थी । हमें स्पष्ट शब्दों में यह समझ लेना चाहिये कि पुलिस एक्शन के माने क्या हैं । हैदराबाद में पुलिस एक्शन हुआ और वह सकसैसफुल भी हुआ । लेकिन हैदराबाद का मसला और गोआ का मसला एक नहीं है यह दो भिन्न मसले हैं । वह तो लिमिटेड वार का था और यह अनलिमिटेड वार का है । आप गोआ के बारे में पुलिस एक्शन करने के लिये क्यों कहते हैं, इस को मिलिटरी

[स्वामी रामा नन्द तीर्थ

एक्शन कहिये । अगर हिन्दुस्तान की फौजें गोआ में दाखिल होती हैं तो वह एक वार की नवैयत हासिल कर लेगा । अगर हम गोआ के मसले को हल करने के लिये हिन्दुस्तान की फौज को भेजना ही ज़रूरी समझते हैं तो वह हमारे सोचने की बात नहीं है, उस पर तो हिन्दुस्तान की सरकार को ही ग़ौर करना है । हमारा फ़र्ज़ इतना ही है कि हिन्दुस्तान की जनता के नाते, गोआ का भारत का एक अभिन्न अंग होने के नाते, गोआ की जनता और भारत की जनता के एक होने के नाते गोअन फ्रीडम कोई अलग चीज़ नहीं है । गोआ के लोगों की स्वतन्त्रता हिन्दुस्तान के लोगों की स्वतन्त्रता के साथ जुड़ी हुई है । यह एक स्वतन्त्रता है । गोआ में आज जो स्वतन्त्रता के लिये संग्राम किया जा रहा है यह भारतीय स्वतन्त्रता का अन्तिम युद्ध है । जब यह बात है तो फिर हमारा यह फ़र्ज़ हो जाता है कि हम उसका साथ दें, जहां तक कि हम दे सकते हैं उस हद तक दें और ऐसी सूरत में जितने भी शान्तिमय सत्याग्रह के उसूल हैं उन को हमें मानना पड़ेगा । हम यह भी जानते हैं कि सत्याग्रह का जो फल निकलता है वह तो निकलता ही रहेगा लेकिन सत्याग्रह का सिलसिला कब तक चलेगा इस के बारे में कुछ मर्यादा होती है क्योंकि सत्याग्रह की जो शक्ति होती है वह कभी न कभी मर्यादित होती है, और वह खत्म हो जाती है । जहां तक हमारा तजुर्बा है, एक फैसिस्ट रेजीम के तहत जब जनता स्वतन्त्रता के लिये आन्दोलन करती है तो फैसिस्ट रेजीम के साथ वायोलेंस भी होती है और जनता बहुत पीड़ित हो जाती है । हैदराबाद में सत्याग्रह हुआ । २१,००० सत्याग्रहियों के जेल में जाने के बावजूद भी अत्याचार का सिलसिला जारी रहा । ऐसी हालत में जनता इस बात के लिये मजबूर हो जाती है कि आत्म-रक्षा के लिये, सैल्फ डिफेंस के लिये वह अपनी तरफ़ से कुछ क़दम उठाये । मगर इस में कुछ सन्देह नहीं कि अगर गोआ की जनता को आज की हालत में छोड़ दिया जाता है तो आत्म-रक्षा के लिये, अपनी आबरू और अपनी इज्ज़त बचाने के लिये वह जिस तरह से ठीक समझेगी वैसे ही क़दम उठायेगी और जिस मार्ग पर चलना चाहेगी चलेगी । ज़रूरत इस बात की है कि हम यह समझें कि जो भी आन्दोलन आज चल रहा है और जो आग चलना है उस को गोआ की जनता ने ही चलाना है इस सत्याग्रह में २,००० से ज्यादा गोआनी शामिल हुये हैं और अब कोई दुनिया का अक्लमन्द आदमी यह नहीं कह सकता कि यह गोआनियों का सत्याग्रह नहीं है या इन्स्टीगेटिड सत्याग्रह है या इन्स्पायर्ड सट्रगल है । ऐसी तो कोई बात अब नहीं कही जा सकती है लेकिन हमारी जिम्मेदारी यह हो जाती है कि हम इस हालत को लम्बा खींचने की कोई पालिसी अख्तियार न करें । मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर गोआनियों का जो सत्याग्रह है, वह डेसपैरेशन में चला जाता है, वह अगर कुछ फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है तो उस के लिये कुछ और रास्ता वह ढूंढने की कोशिश करेगा । हमारा फ़र्ज़ यह हो जाता है कि हम उनके लिये जितनी ताक़त पहुंचा सकते हैं उतनी ताक़त पहुंचायें । मैं समझता हूं और काफ़ी गौर के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि गोआ का मसला आखिर दो गवर्नमेंट्स के बीच का मसला है । इस लिये हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिये जिस से कि हिन्दुस्तान की गोआ के बारे में जो पालिसी है उसको थोड़ा भी धक्का पहुंचे । अगर हम ने कोई ऐसा काम किया तो हम गोआ की जनता की स्वतन्त्रता के प्रति एक अन्याय करेंगे । मेरे कहने का इतना ही आशय है कि अगर मिलिटरी एक्शन का ही सवाल है

तो वह गवर्नमेंट का काम है और जब वह मुनासिब समझेगी मिलिटरी एक्शन भी करेगी । इस के बारे में हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है । हमें तो इतना ही समझ लेना है कि गोआ की जनता का जो स्वतन्त्रता के लिये संग्राम चल रहा है, एक जनता होने के नाते वह हमारा ही संग्राम है और वह लड़ाई हमारी स्वतन्त्रता की ही लड़ाई है । इस लिये हमें जो कुछ भी करना है हम करेंगे । साथ ही साथ हमें हुकूमत को यह बता देना है कि जो भी सैंकशंज़ वह गोआ के मामले में एपलाई करना चाहे करे और इस मामले में हमारी सपोर्ट उन के साथ होगी । यह केवल मिलिटरी सैंकशंज़ ही हो सकती हैं ऐसा मेरा विचार नहीं है । अभी तक और भी बहुत से सैंकशंज़ एपलाई करने को बाक़ी पड़े हुये हैं और वह उन को एप्लाई कर सकती है । पीसफुल मैथड एडाप्ट कर सकती है ।

इस के साथ ही साथ मैं इस सदन को और गोआ में जो सत्याग्रह चल रहा है और जो उसको चला रहे हैं उन को एक बात बता देना चाहता हूं जो कि हो सकता है कि उस में एक काशन मैं उन को दूं । जब स्वतन्त्रता का संग्राम चलता है, सत्याग्रह चलता है, तो कभी कोई ऐसी स्टेज आती है कि नैगोशियेशन का सिलसिला शुरू होता है और जब नैगोशियेशन का सिलसिला शुरू होता है तो जो ईशूज़ होते हैं वह कुछ धुंधले से हो जाते हैं । आज गोआ के लोगों के सामने ईशू क्या है ? वह हिन्दुस्तान के साथ सम्मिलित होने का है, एक होने का है । जो रिफार्मज़ आज गोआनी लोगों के सामने रखी जा रही हैं मैं ने उन के बारे में कुछ पढ़ा है और कुछ रिलायबेल सोर्स से सुना भी है । ऐसा कहा गया है कि हिन्दुस्तान के साथ आप का क्या सम्बन्ध होना चाहिये वह तो देखा जायगा लेकिन अन्तर राज्यीय जो व्यवस्था है उसके बारे में सोचेंगे ।

मुझे याद है कि जब हम हिन्दुस्तान के साथ हैदराबाद के इन्टैग्रेशन के सिलसिले में कुछ क़दम उठा रहे थे--संग्राम चला रहे थे, तो हुकूमत और मेरे दरमियान नैगोशिएशन्ज़ के वक्त मेरे सामने यह सवाल रखा गया कि हिन्दुस्तान के साथ हैदराबाद के एक्शन का जो मसला है, उसको हिन्दुस्तान की जो हुकूमत होगी, वह देख लेगी लेकिन रेस्पांसीबल गवर्नमेंट के बारे में हम और आप चर्चा करेंगे । हमने उस वक्त अपना दिमाग़ साबित रखा और मैं ने जवाब दिया कि पहले एक्सेशन का सवाल साल्व होगा और बाद में हम रेस्पांसिबल गवर्नमेंट को देखेंगे, क्योंकि आज हमारे सामने सवाल हिन्दुस्तान के साथ एकता का है । इस लिये वहां सत्याग्रह करने वाले और फ्रीडम फाइटर्ज़ से मेरी प्रार्थना है--चाहे वे लोग गोआ के हों या इण्डियन--कि आज हिन्दुस्तान यह नहीं देख रहा है कि वहां क्या रिफ़ार्म्ज़ होंगी, वहां रेस्पांसीबल गवर्नमेंट है या नहीं, बल्कि उसकी नज़र इस तरफ़ है कि गोआ की जनता हिन्दुस्तान के साथ कब आने वाली है । इस बात को वे न भूलें । मैं यह समझता हूं कि जो भी सत्याग्रह का क़दम उठाया गया है, वह ठीक है, मुनासिब है और ज़रूरी है और उसको जारी रखना चाहिये और जिन लोगों को इसमें हिस्सा लेने का अवसर प्राप्त हो, उन्हें लेना चाहिये । मैं नहीं भी समझता हूं कि अगर हम अपना काम करें तो हुकूमते हिन्द को कोई एडवाइस करने की ज़रूरत नहीं है । आज तक जो क़दम उठाया गया है, वह क़दम ठीक है, वह क़दम मज़बूत है और आगे भी उसी मज़बूती के साथ क़दम उठाये जाते रहेंगे । मैं एक क्षण के लिये भी--एक लम्हे केलिये भी--यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि कल हमारे प्रधान मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया, उसमें कोई कमज़ोरी थी या कोई लिमिटेशन्ज़ थीं । मने उसमें आत्म विश्वास और कुव्वत पाई । जब कुव्वत

[स्वामी रामा नन्द तीर्थ]

के साथ हुकूमत अपना क़दम उठा रही है, तो हमें शुबहा करने की कोई बात नहीं है। वायलेंस और नान वायलेंस के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। पीसफुल मैथड्ज़ पर हमें चलना है। हिन्दुस्तान की सरकार आज अपनी वैदेशिक नीति के दायरे में अगर पीसफुल मैथड्ज़ अख्तियार कर रही है, तो हमें उसको मान कर चलना चाहिये और उसी दायरे में रह कर जो कुछ हम कर सकते हैं, वह हम करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज इस हाउस में जो भी चर्चा हुई है, उसका लिहाज़ सालाज़ार करेंगे या नहीं, यह तो भगवान जाने, लेकिन जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड ओपीनियन है, वह इसका लिहाज़ करेगी और मैं समझता हूं कि इसका काफी असर होगा।

श्री एम० एच० रहमान (ज़िला मुरादाबाद—मध्य) : डिप्टी स्पीकर साहब। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बयान गोआ के मुताल्लिक़ दिया है वह बहुत तफ़सीलात रखता है। गोआ की आज़ादी के सिलसिले में जो कोशिश गवर्नमेंट आफ़ इण्डिया ने की है उस की भी इसमें चर्चा है और मैं समझता हूं कि जो जो क़दम इस सिलसिले में हुकूमत ने उठाये हैं वह हिन्दोस्तान की शान के बहुत मुनासिब हैं और बेहतर हैं यह भी ख़ुशी की बात है कि इस मसले में सभी जमाअतों ने पार्लियामेंट में भी और बाहर भी हुकूमत को बधाई दी है मुबारकबाद पेश की है और उसके ऊपर अपना पूरा पूरा भरोसा और विश्वास ज़ाहिर किया है। आखिर में जो क़दम उठाने का ऐलान किया गया है वह सिफ़ारितखाने यानी लिगेशन को बन्द करने और ताल्लुक़ात मुनक़तह करने के मुतल्लिक़ है। वह क़दम भी काफ़ी सीरियस और अहम है। मैं एक सत्याग्रही की हैसियत से ही इस मसले को भी देखता हूं। हिन्दुस्तान की पुरानी आज़ादी की तारीख़ भी हमारे सामने है जिसमें हमने दुनिया के सामने एक बेनज़ीर मिसाल पेश की है। हमारे सब से बड़े नेता महात्मा गांधी ने जिस तरह सत्याग्रह को चलाया और हिन्दोस्तान की आज़ादी हासिल कर के एक रिकार्ड दुनिया के सामने पेश किया वह भी इस बात को ज़ाहिर करता है कि शान्ति के साथ, पीसफुल, इत्मीनान, अमन के साथ, सुलह और आस्ती की स्पिरिट में, किसी मामले को हल करना आज की दुनियां में लड़ाई के मुक़ाबले में बहुत ज्यादा मुनासिब, बेहतर और कामयाब रास्ता है। इस लिये जो क़दम भी इस सिलसिले में हमारी हुकूमत ने उठाया है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कुछ भी इस मामले में किया है वह बिल्कुल मुनासिब और क़ाबिल तारीफ़ है। पहले सालाज़ार की हुकूमत कहती थी कि गोआ पर हमारा क़ब्ज़ा है एक धार्मिक हैसियत और अहमियत रखता है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इटली में जाकर और पोप से मिल कर इस बात का मुकम्मिल और ठोस जवाब दिया है और पुर्तगाल के इस प्रौपैगण्डे को ख़त्म कर दिया है। जैसा कि अख़बारों में भी आ चुका है उन्होंने पोप साहब से बातचीत की और पोप ने एलान किया कि गोआ का सवाल कोई धार्मिक सवाल नहीं है। बल्कि वह एक पोलीटिकल मसला है। इस लिये पुर्तगाल का वह हीला भी कोई काम नहीं दे सका। फ्रांस ने अक्लमंदी दिखाई। उसने समझ लिया कि जब इतना बड़ा हिन्दोस्तान आज़ाद हो सकता है तो यह छोटा सा इलाक़ा भी उस के हाथ में नहीं रह सकता है। उसने हिन्दोस्तान के साथ समझौता करके अपनी अक़लमन्दी का सबूत दिया। लेकिन सालाज़ार की फ़ासिस्ट हुकूमत वह समझ भी अपने पास नहीं रखती है। गोआ के जो लीडर श्री गायतोण्डे और अलवारिस साहब यहां आये हुये हैं उन से

जो बातचीत हुई है उससे अन्दाज़ा होता है कि वहां के अवाम ने अपनी बिसात से ज्यादा हिम्मत दिखाई है और इस आज़ादी की स्ट्रगिल में अपनी जान की बाज़ी लगाई हुई है । जब हम बारबार यह कहते हैं कि गोआ हिन्दोस्तान का एक अंग है और बिला शुबहा वह हिन्दोस्तान का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, तो फिर मैं यह नहीं समझता कि वहां के रहने वाले लोग गोआ के अन्दर आज़ादी की जद्दोजहद को जारी रखें और बाहर के लोग भारतवर्ष के लोग बाहर से वहां जाकर एक ज़बर्दस्त मास सत्याग्रह के तौर पर इस जद्दोजहद में मदद दें तो इस में क्या फ़रक़ पड़ता है । हिन्दोस्तान एक बड़ा मुल्क है और गोआ उस का एक हिस्सा है अगर कोई इस हिस्से पर ज्यादती करता है तो वह ज्यादती सिर्फ़ उस हिस्से पर नहीं है बल्कि पूरे हिन्दोस्तान पर है । अगर आज नौआबादयाती उसूल की बिना पर गोआ को ज़बर्दस्ती अपनी मुट्ठी में रख कर उस की तौहीन की जाती है तो वह महज़ गोआ और उसके शहरियों की ही तौहीन नहीं है बल्कि वह हिन्दोस्तान और उसके रहने वालों की भी तौहीन है । हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस स्पिरिट म अपना बयान दिया है उस स्पिरिट को मद्देनज़र रखते हुये भी हम को यह बात कहने की इजाज़त और गुंजायश है ।

आखिर पार्लियामेंट के मेम्बरान पर भी जनता की ही ज़िम्मेदारी है वह जनता के ही नुमाइन्दे हैं और जनता की आवाज़ बन कर ही यहां बैठे हुये हैं और वह आवाज़ इन बातों की तरफ़ हमारी तवज्जोह दिलाती है जैसा कि अभी स्वामी जी ने फ़रमाया है एक तरफ़ हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है और एक तरफ़ हकूमत की है । दोनों ज़िम्मेदारियां एक ही हैं । जनता की ज़िम्मेदारी हकूमत के साथ बाबिस्ता है जुदा नहीं है और हकूमत की ज़िम्मेदारी के साथ जनता बाबिस्ता है उस से जुदा नहीं है । अगर हम मास सत्याग्रह का तरीक़ा अख्तियार करते हैं तो हकूमत इस बात को महसूस करे कि वह एक सही तरीक़े अमल है । इस लिये कि गोआ के रहने वाले चाहे कितने ही फ़िदाई बन कर काम कर रहे हैं सालाज़ार की हकूमत ऐसी नज़र नहीं आती कि वह इस अत्याचार को इस ज़ुल्म को बन्द कर दे और इस तरीक़े से गोआ की आज़ादी उसके हाथों से आसानी से हासिल हो जाये । इस लिये अगर हम ज्यादा से ज्यादा तादाद में वहां जाकर सत्याग्रह में हिस्सा लें तो मुझे यक़ीन है कि इसका पूरा असर वहां की हकूमत पर होगा दुनिया में जो बात पहले नामुमकिन नज़र आती थी यानी सत्याग्रह कर के किसी मुल्क की आज़ादी हासिल करना वह हमने करके दिखा दिया और दुनिया के सामने एक नई तारीख़ पेश कर दी एक नई मिसाल क़ायम कर दी । दूसरी तरफ़ हकूमत की अपनी ज़िम्मेदारी है । सत्याग्रही होने की हैसियत से नानवायलेंस के उसूल को मानने वाला होने की हैसियत से और पंचशील के पांच उसूल और आदर्श सामने रखते हुये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने हिन्दोस्तान का मेसेंजर हो कर दुनिया के सामने पेश किये हैं हमारे सामने दो तरीके हैं वह दो तरीके हैं इक्तसानी बाईकाट और पोलीटिकल प्रैशर । मैं समझता हूं कि अगर इन तरीकों को अख्तियार किया जाये और इस किसम की कोई कार्यवाही की जाये तो यह हमारे सत्याग्रही होने या अमन और शान्ति का पैग़म्बर होने के ख़िलाफ़ नहीं जाता है ।

बांडुण्ग कानफ्रेंस में जितनी भी सल्तनतें जमा हुई थीं उन्होंने नौआबादियत के तरीक़े को कन्डेम्न किया था । आज हम को सीलोन और पाकिस्तान से कहना चाहिये कि सालाज़ार की हकूमत को सत्याग्रहियों के

[श्री एम० एच० रहमान]

उन की मदद न मिले । हकूमत के लिये हमारा यह मशविरा कोई एसा मशविरा नहीं है कि हम उस से जुदा होकर कोई बात सोच रहेहैं । हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मज़बूत पालिसी अख्तियार की है हम भी उस का एक जुज़ हो कर हम भी हिन्दोस्तान के एक बाज़ू बन कर उन को यह मशविरा देने का हक़ रखते हैं कि एक तरफ़ हुकूमत ऐसे क़दम उठाये जिससे तेजी के साथ वह चीज़ हासिल हो सके जिसे हम हासिल करना चाहते हैं और एक तरफ़ हम सत्याग्रह की जद्दोजहद के ज़रिये कामयाबी हासिल करें ताकि सालाज़ार की हकूमत यह महसूस करे कि आज की दुनिया में यह मुमकिन नहीं है कि वह आज़ाद हिन्दोस्तान के हिस्से को दबाये रहे । यह चीज़ नाक़ाबिल बर्दाश्त है । इस मामले में हकूमत की भी यह ज़िम्मेदारियां हैं कि वह एकनामिक बाईकाट करे और पोलीटिकल प्रैशर डाले और दूसरी तरफ़ मास सत्याग्रह किया जाये । अगर हम ऐसा क़दम उठायें तो हम अपनी हुकूमत को भी मज़बूत बनायेंगे । लिहाज़ा हम अपनी हकूमत में पूरा एतमाद रखते हुये और उसके साथ साथ अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करते हुये यह मशविरा देना चाहते हैं ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़) : इस गोआ के विषय पर आज का वाद-विवाद बहुत दबा दबा सा रहा है । हमें गोआ और गोआनियों की बात नहीं करनी चाहिये और यह नहीं कहना चाहिये कि यह एक ऐसा विषय है जिसे उन्हें स्वयं ही निपटाना चाहिये । गोआ, पंजिम, दमन और दियू भारत से भिन्न देश अथवा प्रदेश नहीं हैं वरन् भारत का अभिन्न अंग हैं

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

यह संघर्ष जो गोआ में हो रहा है भारतीय राष्ट्र का संघर्ष है जिसका उद्देश्य यह है कि देश से पराधीनता के अन्तिम चिन्हों को भी दूर कर दिया जाये । १७३९ में पेशवाओं ने पुर्तगालियों को कई क्षेत्रों से निकाल दिया था और यदि उधर से अंग्रेज़ न आ धमके होते तो उनका आज इस देश में निशान भी न मिलता । आज पुर्तगाली बस्तियों की ठीक वही स्थिति है जो १९४७ में हैदराबाद की थी । इन दोनों में कुछ भी अन्तर नहीं है । हम अपने देशवासियों से ऐसे लोगों के सामने जाकर सत्याग्रह करने के लिये नहीं कह सकते जो सभ्य नहीं हैं वरण बर्बर हैं ।

इसके अतिरिक्त आज सत्याग्रह का अर्थ ही क्या है ? क्या हम इतने ही दुर्बल हैं ? कहावत है :

अशक्तिवान भवेत् साधुः

किन्तु हम आज अशक्तिमान नहीं हैं । हमारी ओर से अपनी शक्ति का प्रदर्शन मात्र ही पुर्तगालियों को भगा देने के लिये काफी होगा । कितने दुख की बात है कि हमारे मेवाड़ और जोधपुर के राज्यों से भी छोटा एक राष्ट्र हमारे देश से ५००० मील की दूरी पर बैठा हुआ है, यहां से अपना अवैध अधिकार हटाने को तैयार नहीं है ।

यह नहीं कि मैं सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का अनुमोदन नहीं कर रहा हूं । किन्तु हर बात की कुछ न कुछ सीमा हुआ करती है । हमें और अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये, विशेषकर उस अवस्था में जब कि हमारे पास किसी काम के करने की शक्ति है । इस में युद्ध का कोई प्रश्न नहीं है । इस प्रकार के कार्य को दिवंगत श्री वल्लभ भाई पटेल ने 'पुलिस कार्य' का नाम दिया था जो बहुत उपयुक्त नाम है ।

आज़ाद गोमान्तक दल की कृपा से नगर हवेली का क्षेत्र मुक्त हो चका है किन्तु अभी तक उस के बारे में हमें खटका सा लगा

रहता है । यह हमारे देश का आन्तरिक मामला है और हमें इसके लिये किसी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय अथवा किसी विदेशी सरकार का मुंह नहीं ताकना है । हमें अपने देश का भाग्य-निर्णय स्वयं ही करना है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू: कल मैं ने सदन में एक भाषण दिया था जिस में मैं ने बताया था कि गोआ के बारे में सरकार किस नीति पर चल रही है । मैं उन सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्हों ने आज इस नीति की सराहना की है और इसे सामान्य रूप से स्वीकार किया है । कुछ आलोचना भी की गई है, किन्तु इस मामले पर सहमति अधिक है और विमति कम ।

सदन में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे यह बताने की आवश्यकता हो कि गोआ के सम्बन्ध में भारत का दावा न्यायोचित है । पहले किसी मामले पर सदन में इतना एकमत नहीं हुआ अब केवल यह प्रश्न है कि भारत के दावे को क्रियान्वित करने के लिए क्या पग उठाये जायें । इस विषय में सदन के अधिकतर सदस्यों की राय यह है कि शान्ति-पूर्ण तरीक़े अपनाये जायें । अतः इस समस्या के प्रति हमारा रुख़ काफ़ी सीमित है ।

यद्यपि हमारे दावे के समर्थन के लिये कोई तर्क देने की आवश्यकता नहीं, फिर भी मैं उन लोगों की जानकारी के लिये जो इस सदन के सदस्यों की तरह बुद्धिमान नहीं हैं, कुछ तथ्य बताना चाहूंगा । भौगोलिक तर्क तो है ही । पुर्तगाली सरकार का दावा ह कि गोआ पुर्तगाल का भाग है । यह कथन सर्वथा तर्कहीन और निरर्थक है । यह एक इस प्रकार की बात है जो तर्क से कोसों दूर है । यह कहना कि गोआ पुर्तगाल का भाग ह एक बच्चों की कहानी के बराबर है । इस का तथ्यों से कोई सम्बन्ध नहीं और पुर्तगाल में पारित की गई किसी डिक्री या विधि द्वारा गोआ पुर्तगाल का भाग नहीं बन सकता ।

कुछ संधियों की ओर--विशेषतया इंगलड और पुर्तगाल के बीच की गई संधियों की ओर नेटो गुटबन्दी की ओर भी निर्देश किया जाता है । मेरे विचार में उत्तरदायी लोगों ने यह काफ़ी स्पष्ट कर दिया है कि नटों गुटबन्दी का--चाहे हम इस का अनुमोदन करें या न करें यह और बात है--इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है । कहा गया है कि उसी गुटबन्दी के अधीन गोआ जसे विषय या किस भी अन्य विषय पर चर्चा की जा सकती है किन्तु यह गुटबन्दी के लिये ऐसे मामलों को निपटाना या अपने संकुचित क्षेत्र से बाहर जाना अनिवार्य नहीं है । इस लिये हम नेटो गुटबन्दी की उपेक्षा कर सकते हैं ।

विभिन्न ब्रिटिश सरकारों के साथ की गई जो संधियां हैं, उन में से पहली १३७४ की है । यह बहुत पुरानी ह । जहां तक मुझे याद ह, ये संधियां तब शुरू हुई थी जब कि तत्कालीन पुर्तकाल के राजा ने कास्टील अर्थात् स्पेन के तत्कालीन राजा से अपनी रक्षा करने का प्रयत्न किया था । यह अरबों अर्थात् मूरों के आइबेरियन प्रायद्वीप से निकाले जाने के बाद हुआ था और पुर्तगाल को उस समय कास्टील से, जिसकी शक्ति बढ़ रही थी, डर लग रहा था । ये संधियां हालैंड वालों से अपनी रक्षा करने के लिये भी कीं । इन संधियों म पुर्तगाल के इंगलैंड में सेना भरती करने के अधिकार के बारे में उपबन्ध थे । एक संधि १६६० में हुई थी । इसके अनुसार पुर्तगाल सरकार को ब्रिटेन में अधिकाधिक १२,००० रंगरूट भरती करने का अधिकार था । मैं ने इन पुरानी संधियों की पुस्तक पढ़ी है । पांच छ सौ साल पहले की भाषा भी बहुत विचित्र है ।

एक संधि के अनुसार बम्बेन का नगर और पत्तन इंगलैंड के किंग चार्ल्स २ के पुर्त-

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

गाली राजकुमारी के साथ विवाह के समय दे दिये जाने के बारे में है । इस संधि में बम्बेन और कोलम्बो के पत्तनों की ओर निदेश किये गये हैं । यह इन की सारी पृष्ठ भूमि है । मैं ये असंगत बात यह दिखाने के लिये बता रहा हूं कि विश्व का यह नक़शा कई सौ वर्ष पहले बदल चुका है । इस के बाद पुरानी संधियों की कई बार नई संधियों द्वारा पुष्टि की गई अथवा उन में कुछ चीज़ें जोड़ भी दी गई थीं । १६६१ की संधि में एक गुप्त खंड था । इस खंड की ओर प्रायः निर्देश किया जाता है, क्योंकि इस के अन्तर्गत इंगलैंड ने १६६१ में पुर्तगाल और उसके उपनिवेशों की रक्षा करने का वादा किया था । इन विभिन्न संधियों के होते हुये भी सन् १९१२ में जर्मनी और इंगलैंड के बीच पुर्तगाल के साम्राज्य के बटवारे के बारे में बातचीत हुई थी । इस बातचीत के फलस्वरुप और घटनायें हुई हैं और एक बड़ा युद्ध भी हुआ । मैं इसका उल्लेख यह दिखाने के लिये कर रहा हूं कि इन पुरानी संधियों का क्या महत्व है । सब संवैधानिक वकील और इतिहासकार जानते हैं कि किसी संधि या समझौते का निर्वचन वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रख कर किया जाता है । उदाहरणतया यदि आज उस संधि के अनुसार पुर्तगाल इंगलैंड, स्काटलड या आयरलड में सेना भरती करना चाहे, तो मुझे सन्देह नहीं कि ब्रिटेन इसे स्वीकार नहीं करेगा । अतः इन पुरानी संधियों की इस तरह बात करना व्यर्थ है । किसी संधि का महत्व भी ऐतिहासिक परिवर्तनों के अनुसार होता है । भारत में हुये ऐतिहासिक परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में—उन परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में जिन के फलस्वरूप भारत स्वतन्त्र हुआ है,—इन संधियों का कोई महत्व नहीं , जहां तक स्वतन्त्र भारत का सम्बन्ध है इस पर अन्य देशों के बीच की गई कोई पुरानी या नई संधि, जिस में हम पक्ष नहीं थे, लागू नहीं होती । इस लिये हमारा पुर्तगाल, इंगलैंड और अन्य देशों के बीच की गई संधि से कोई सम्बन्ध नहीं । वास्तव में यह किसी पर भी लागू नहीं होती, क्योंकि हम इन्हें अन्य परिवर्तनों के प्रकाश में देखना है । इन आश्चर्यजनक परिवर्तनों के फलस्वरूप भारत ने स्वतन्त्रता प्राप्त की है और इस स्वतन्त्रता की रूपरेखा यह नहीं थी कि कुछ क्षेत्र या विदेशी हाथों में रह जाये या पराधीन रह जाये । भारत के किसी भाग पर विदेशियों का अधिकार हो, इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती । सदन को याद होगा कि १४० वर्ष पहले, जब कि अमेरिका एक शक्तिशाली राज्य बन चुका था, तब भी उसे यूरोपीय शक्तियों द्वारा हस्तक्षेप का डर बना रहता था और अमेरिकी राष्ट्रपति श्री मनरो को यह घोषणा करनी पड़ी थी कि किसी भी यूरोपीय देश के हस्तक्षेप को अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप माना जायेगा । मेरा निवेदन है कि वर्तमान परिस्थितियों में पुर्तगाल द्वारा भारत में अधिकार जमाये रखना भारत में स्थापित राजनीतिक व्यवस्था में निरन्तर हस्तक्षेप है । मैं तो यह कहूंगा कि किसी अन्य शक्ति द्वारा हस्तक्षेप भी भारत की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप होगा । यह कोई सिद्धान्त की बात नहीं है, तथ्य है सम्भव है कि कमज़ोरी के कारण हम इस हस्तक्षेप को रोक न सकते हों, किन्तु इस बात का कुछ महत्व नहीं है । तथ्य यह है कि भारत किसी विदेशी शक्ति के हस्तक्षेप को सहन नहीं करेगा और अपनी शक्ति के अनुसार इस का विरोध करेगा । यह बात वर्तमान परिस्थितियों में गोआ पर पुर्तगाल के अधिकार पर लागू होती है और राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा तथा कई अन्य कारणों से हम ऐसा हस्तक्षेप सहन नहीं कर सकते चाहे

विदेशी शासन कितने ही छोटे क्षेत्र मे क्यों न हो क्षेत्र छोटा हो या बड़ा, यह कोई प्रश्न नहीं है । चूंकि उस में विदेशी अधिकार है, इस लिये वह हस्तक्षेप है और भविष्य के लिये संकटपूर्ण है । पुर्तगाल स्वयं कई गुटबन्दियों मे सम्मिलित है, इस लिये सब प्रकार के संकट और जटिलतायें पैदा हो सकती हैं ।

मेरा निवेदन है कि गोआ के मामले में भारत का अधिकार बिल्कुल स्पष्ट है और इसका समर्थन करने के लिये कोई बड़े तर्क देने की आवश्यकता नहीं । किन्तु पुर्तगाली सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के विचित्र तर्क दिये जाते हैं । मैं गोआ पर पुर्तगाली अधिकार के प्राचीन इतिहास में नहीं जाना चाहता, यह भारत के इतिहास का एक बहुत अन्धकारमय भाग है । मैं इस का उल्लेख केवल इस लिये कर रहा हूं कि गोआ को बार बार यूरोपीय संस्कृति का उज्ज्वल नमूना कहा जाता है । यूरोपीय संस्कृति क्या है, इस सम्बन्ध मे भिन्न भिन्न राय हो सकती हैं और मैं अपनी राय नहीं देना चाहता । किन्तु मैं स्वयं यूरोप के देशों से पूछता हूं कि क्या गोआ या पुर्तगाल की वर्तमान संस्कृति रजनीतक, सामाजिक आर्थिक या सांस्कृतिक क्षेत्र में यूरोपीय संस्कृति का उत्तम नमुना है ।

अब धार्मिक तर्क को लीजिये । रोमन कथोलिक सदस्यों ने भी इस विषय पर भाषण दिये हैं । मेरे विचार में गोआ में होने वाली किसी घटना से, उस नीति पर जो कि हमने धार्मिक स्वतन्त्रता के बारे में अपनाई है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । किन्तु पुर्तगाली सरकार का रवैया यह है कि वह जो आरोप हम पर लगाती है, उसकी वह स्वयं दोषी है । यह एक अलग बात है । माननीय सदस्य जानते हैं कि गोआ को और गोआ के बाहर के कितने कथोलिक व्यक्तियों ने गोआ के स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लिया है अतः इस विषय में हमारी धारणा स्पष्ट होनी चाहिये । प्रत्येक दृष्टि से गोआ की इस समस्या का निर्णय करना होगा और इसका केवल एक ही निर्णय हो सकता है कि वह भारतीय संघ में विलीन हो जाये ।

एक माननीय सदस्य, डा० लंकासुन्दरम या सम्भवतः आचार्य कृपालानी ने कहा है कि गोआ का भारतीय संघ में सम्मिलित होना कोई विवादस्पद विषय नहीं है । हम पुर्तगाली सरकार के साथ यह चर्चा नहीं करते कि क्या गोआ भारतीय संघ का एक भाग है या नहीं । हम उसके साथ केवल एक ही बात की चर्चा कर सकते हैं—मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि समय आयेगा और इस पर चर्चा होगी—और वह है इस कार्य के करने का ढंग और वैधानिक तथा आय कार्यवाहियां जो करनी होंगी । इसी कारण फ्रांसीसी और पुर्तगाली बस्तियों के मामले में हमेशा हमारी यही नीति रही है कि दूसरे पक्ष को इस मूलभूत तथ्य को स्वीकार करना चाहिये और हमें उन क्षेत्रों का वस्तुतः अधिकार भी दे देना चाहिये और तब सुविधा के अनुसार वैधानिक कार्यवाहियां की जा सकती हैं । फ्रांसीसी बस्तियों के मामल में भी ठीक यही हुआ है । अब भी, निश्चित रूप से वैधानिक एवं संविधानिक स्थिति कुछ संदेशयुक्त है । परन्तु वस्तुतः वे भारत के अंग हैं । मुझे सन्देह नहीं है—इसमें १ या २ या ३ महीने लग सकते हैं—इस सभा को और फ्रांसीसी संसद् को इसे वैधानिक रूप देना होगा । वास्तविक अधिकार वैध अधिकार बन जाता है और वे औपचारिक तथा वैधानिक दृष्टि से भारत के अंग बन जाते हैं । हम विलम्ब की परवा नहीं करते । हम इन मामलों में दूसरी सम्बद्ध सरकार के साथ मिलकर चलने को तैयार हैं । परन्तु, जहां मूल अधिकार से इनकार किया जाता है, वहां तर्क का कोई प्रश्न

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

नहीं उठता । उस अधिकार से इनकार करने वाले पुर्तगाल के साथ कोई तर्क अथवा कोई वार्तालाप सम्भव नहीं है ।

मैं एक और बात स्पष्ट करना चाहता हूं । जब हम कहते हैं कि यह विशेषतया गोआ वासियों का मामला है, तो इस का यह अर्थ नहीं होता कि इस का भारतवासियों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । जो कुछ कहा गया था वह वहां होने वाले कई प्रकार के आन्दोलनों के बारे में कहा गया था । गोआ का भविष्य अर्थात् गोआ का भारत के साथ मिलना भारतीयों के लिये भी विशेष, गहन और समान महत्व रखता है, जैसा कि गोआ वालों के लिये है । उस मामले में कोई अन्तर नहीं है ।

अब हम इस बात को लेते हैं कि किन उपायों को अपनाया जाय । आचार्य कृपालानी ने सीधा प्रश्न किया है कि क्या हमारी सरकार ने अहिंसा की प्रतिज्ञा कर रक्खी है । इसका उत्तर यह है कि 'नहीं, सरकार की यह प्रातज्ञा नहीं है' । जहां तक मैं सोच सकता हूं, वर्तमान परिस्थितियों के अन्दर कोई भी सरकार अहिंसा की प्रतिज्ञा नहीं कर सकती । यदि हम ने अहिंसा की प्रतिज्ञा कर ली होती तो हम निश्चय ही सेना, जल सेना अथवा वायु सेना न रखते और सम्भवतः पुलिस भी न रखते । किसी आदर्श को अपनाया जा सकता है । किसी की नीति किसी विशेष आर ले जाने वाली होती है, तो भी, वर्तमान परिस्थितियों के कारण, हम उस आदर्श का पालन नहीं कर सकते । हमें इसके लिये कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी होगी । आचार्य कृपालानी ने हमें महात्मा गांधी के शब्द स्मरण कराये हैं कि जर्मनी की सेनाओं के विरुद्ध पोलैंड वालों की प्रतिरक्षा भी सत्याग्रह कही जा सकती है । गांधी जी ने भी आक्रमणकारियों से काश्मीर को बचाने के लिये भारतीय सेना को काश्मीर में भिजवाये जाने को ठीक बताया वरन् उन्हें इसके लिये उत्साहित किया । यह आश्चर्यजनक बात है कि गांधी जी जैसे व्यक्ति ने, जो पूर्णतया अहिंसा के पुजारी थे, इस प्रकार की बात की । कुछ परिस्थितियों के अन्दर, उन्होंने भी प्रतिष्ठापित राज्य का प्रतिरक्षा में हिंसा करने का अधिकार स्वीकार किया है । यह सत्य है । निस्सन्देह, भारत सरकार वर्तमान परिस्थितियों के अन्दर वह अधिकार नहीं छोड़ सकती । साथ ही हमने यह भी पूर्णतया स्पष्ट कर दिया है और हमने अपनी नीति का यही आधार बनाया है कि हम केवल प्रतिरक्षा के लिये शक्ति का उपयोग करेंगे और हम किसी को युद्ध के लिये उत्तेजना नहीं देंगे, न ही युद्ध आरम्भ करेंगे अथवा युद्ध सम्बन्धी कोई आक्रमणकारी तरीक़ा नहीं अपनायेंगे । हो सकता है कि कभी कभी सीमांकन करना और यह स्पष्ट कह सकना कि क्या हो रहा है, कठिन होता है । मुख्य रूप से, हमारी यही नीति है ।

इस नीति से कई बातें निकलती हैं । हमारा शस्त्रास्त्र, हमारी सेना, जल सेना और वायु सेना केवल प्रतिरक्षा के लिये है । इसका यह भाव है कि हमने प्रतिरक्षा के उद्देश्य के लिये ही अपनी सेना, जलसेना और वायु सेना को शस्त्रास्त्र से सज्जित किया है । अंगरेज़ों के समय में एक अभियानीय सेना होती थी । हमारे पास ऐसी कोई सेना नहीं है । हम अन्यत्र कहीं सेना भेजने को तैयार नहीं है । दूरी पर वार करने वाले आयुध होते हैं । किन्तु हमारे पास ऐसे आयुध नहीं हैं । हमारा दूरी पर वार करने का कोई इरादा नहीं है । सेना, जल सेना और वायु सेना रखने का हमारा उद्देश्य प्रतिरक्षा है प्रभावी प्रतिरक्षा, ज़ोरदार प्रतिरक्षा और

केवल प्रतिरक्षा । हो सकता है कि प्रतिरक्षा करते हुये झगड़ा हो जाये, परन्तु वह बिल्कुल भिन्न बात है । हम किसी भी समय इसी नीति से इस प्रश्न को सुलझाना है, हम अपनी कार्यवाहियों के प्रति भी, चाहे वे कहीं भी हों चाहे वह कार्यवाही हमें उस उद्देश्य से दूर ले जा रही हो या ठीक दिशा में ले जा रही हो, इस नीति को अपनाना होगा । मैं ने कहा है किसी भी समय । आजकल सौभाग्य से हमारे और समस्त विश्व के लिये, बेहतरी की ओर झुकाव हो रहा है । कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि क्या हो जाये । कोई भी व्यक्ति ठीक रूप से इस को माप नहीं सकता । परन्तु, मैं समझता हूं कि हम सब इस बात से सहमत होंगे कि संसार के सामान्य वातावरण में बहुत सुधार हुआ है । शीतयुद्ध, झगड़े, घृणा आदि--वे शीघ्र नष्ट नहीं हो सकते । ये सब बातें अभी विद्यमान हैं । इतना होते हुये भी, यह अवश्य प्रतीत होता है--मैं इसे मिथ्यावादी नहीं समझता--कि मानव जाति ने उचित दिशा की ओर पग उठाया है । इसमें कई कारण पाये गये हैं । यह कहना सर्वथा ग़लत है कि अमुक देश ने यह किया है । यह वस्तुतः बहुत से देशों के प्रयत्नों का परिणाम है और कुछ भागों में हमारे प्रयत्नों का भी फल है कि यह सब कुछ हो रहा है। ऐसी परिस्थितियों में मुख्य रूप से हम अपनी प्रत्येक कार्यवाही को छोटी स्थानीय कार्यवाही को भी, इस बड़े दृष्टिकोण से देखना पड़ता है । मैंने यह कहा होता कि इस बड़े दृष्टिकोण के बिना भी, अपनी सामान्य नीति का पालन करते हुए, हमें गोआ के इस प्रश्न पर विचार करके किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिये था कि केवल शान्तिपूर्ण उपाय ही अपनाये जाने चाहियें । किन्तु इस बड़े दृष्टिकोण से, यह और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है ।

विरोधी पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने गोआ छोटा होने और भारत बड़ा होने के कारण, एक सीमित युद्ध की बात कही है । मैं समझता हूं कि वह इस तथ्य को भूलते हैं कि विश्व आज अधिकतया एक एकक है और पहले की अपेक्षा अधिक शान्ति चाहता है । मैं यह नहीं कहता कि किसी देश या भारत के लिये एक सीमित युद्ध असम्भव नहीं है । इसके परिणाम भी निकल सकते हैं । मैं यहां आचार्य कृपालानी के इस उद्धरण के सम्बन्ध में, कि मैं ने यह कहा है कि युद्ध से कभी कोई परिणाम नहीं निकलता है, कुछ कहना चाहता हूं । मैं नहीं समझता कि कभी ऐसा मैंने कहा है । मैं ने यह कहा है कि भूतकाल में चाहे युद्ध से कुछ भी काम क्यों न निकले हों, अब इस से कोई फल प्राप्त नहीं हो सकता । मैं ने और भी कहा है कि पिछले दो बड़े युद्धों के बहुत से परिणाम निकले हैं, और लोग जो कुछ चाहते थे, उनसे पूर्णतः भिन्न परिणाम निकले हैं । सफलता परिणाम नहीं है । इन युद्धों से किसी विशिष्ट शक्ति समूह को सफलता अवश्य मिली है परन्तु साथ ही संसार के सामने बड़ी बड़ी समस्याएं भी उत्पन्न हो गई हैं । तथापि, यह भिन्न सिद्धान्त है । भूतकाल में युद्ध ने चाहे कुछ भी किया हो, विश्व की वर्तमान स्थितियों में, मैं समझता हूं कि यह ठीक है कि किसी बड़े यद्ध से वांछित परिणाम नहीं निकल सकते । इसका क्या परिणाम होगा, आज कोई नहीं जानता और यदि आप बड़े युद्ध के भय को दूर कर दें, जैसा कि मैं चाहता हूं विश्व को करना चाहिये, तब आप को यही तर्क छोटे युद्ध के बारे में भी लागू करना चाहिये, इस लिये नहीं कि छोटा युद्ध गुण प्रकार की दृष्टि से एक वैसी ही चीज़ है--ऐसी बात नहीं है--परन्तु एक छोटा युद्ध भी ऐसा वातावरण बनाये रखने में सहायक होता है, जिससे बड़ा युद्ध उत्पन्न हो सकता है । यह ग़लत दिशा में पाओं बढ़ाना है । हम यहां इन बड़े आतंकों से लड़ रहे हैं--जो शीत युद्ध पैदा करते हैं--कई बार सच्चा भय, कई बार झूठा भय

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

किसी स्तर पर, किसी राजनीतिक स्तर पर, किसी मनोवैज्ञानिक स्तर पर, नैतिक स्तर पर और इस प्रकार की बातों का हम विरोध करते हैं । यदि हम स्वयं उस स्तर से दूर हट कर ऐसे स्तर को अपनायें, जिसे पुलिस कार्यवाही या सीमित युद्ध कहा जाता है, तो हम उन बड़े उद्देश्यों पर आघात करेंगे, जिनका हम समर्थन करते हैं और सम्भवतः हम बड़ी कठिनाइयों में पड़ जायेंगे । मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी कार्यवाही करना निरी मूर्खता है, जो न केवल हमारी मूल नीतियों के विरुद्ध है, जिनका हम पालन करते रहे हैं, किन्तु जो पूर्णतः व्यावहारिक कारणों से और हमारे राष्ट्रीय हितों के कारण हमारे लिये कठिनाइयां खड़ी कर सकता है । जब यह बिल्कुल निश्चित है कि समय आने पर—मेरा आशय अधिक लम्बे समय से नहीं है—यह बल्कुल अनिवार्य है कि गोग्रा भारत का एक अंग बन जायेगा, तो क्या यह जोखिम उठा कर, उस नीति के विरुद्ध ग़लत काम करके और ऐसा जोखिम उठा कर जो हमारे लिये किसी मात्रा तक हानिकारक हो, हम अपनी ठीक नीति के पालन में उत्पन्न होने वाले सब बड़े बड़े लाभों को त्याग देना चाहिये । क्योंकि आप इन चीजों को पृथक् नहीं कर सकते । आप को किसी कार्यवाही के परिणामों का पूर्ण चित्र अपने सामने रखना होगा : यदि हमें इस बात का विचार करना है कि हम गोग्रा में—या विश्व के किसी भी अन्य भाग में —क्या करना है तो हमें केवल अपना की जान वाली कार्यवाही का ही विचार नहीं करना है, किन्तु बाद में की जाने वाली कार्यवाहियों का भी विचार करना है दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवीं और दसवीं, बारहवीं कार्यवाहियों का भी । परिणामों का विचार किये बिना कोई भी सरकार या उत्तरदायी व्यक्ति कोई कार्यवाही नहीं कर सकता । इस विषय से भारत के लोगों का सम्बन्ध है । हमें परिणामों का समाना करना होगा ।

अब, जब यह स्वीकार कर लिया जाता है और निश्चित किया जाता है कि हम जिस नीति का पालन करें, वह शान्तिपूर्ण नीति होनी चाहिये, तो हमें उस शान्तिपूर्ण नीति के अन्दर चलकर बहुत कुछ करने की छूट्टी है । मुझे विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है । कुछ माननीय सदस्यों ने आर्थिक अवरोध आदि का उल्लेख किया है । निस्सन्देह, हमारे लिये उन नीतियों और अन्य बहुत सी नीतियों का पालन करने की छूट है ।

सत्याग्रह, सामुहिक सत्याग्रही, व्यक्तिगत सत्याग्रह आदि का भी उल्लेख किया गया है ।

भारत सरकार या कोई भी सरकार सत्याग्रह के मामले में ऐसा नहीं कर सकती । एक माननीय सदस्य ने कहा है कि भारत सरकार को गोग्रा सत्याग्रह का अगुवा बनना चाहिये । मेरे विचार में उन्होंने सरकार के कृत्यों को ठीक समझा नहीं । उन्होंने समझा है कि सम्भवतः सरकार भी एक आन्दोलन करने वाला निकाय है, जो किसी दूसरे के विरुद्ध आन्दोलन कर सकता है । कोई सरकार न कर सकती है न करेगी । मैं सत्याग्रह का साधारण अर्थ ले रहा हूं । इसके और अर्थ भी निकाले जा सके हैं, जो कि इस समय मेरे ध्यना में नहीं हैं । किन्तु सत्याग्रह जैसा कि यह हमारे देश में होता आया है, सरकारी व्यवस्था के विरुद्ध किया गया है । यह किसी अन्य सरकारी व्यवस्था के विरुद्ध भी किया जा सकता है । किन्तु मैं यह नहीं समझ सका कि एक सरकार दूसरी सरकार के विरुद्ध कैसे सत्याग्रह कर सकती है । बहुत से माननीय

सदस्यों को, जिन्होंने गोआ सत्याग्रह में भाग लिया है, सत्याग्रह का पहले से कोई अनुभव नहीं था और न ही उन्होंने इस की तरीक़े या सिद्धान्त को समझा है। हां, विरोधी दल के कुछ सदस्यों को अवश्य इसका ज्ञान है। यह एक दिलचस्प विषय है और इस पर मैं किसी और अवसर पर चर्चा करना चाहूंगा।

एक और माननीय सदस्य ने कहा है कि हमें पुर्तगाली सरकार से कहना चाहिय कि वह इन्हें युद्धबन्दियों को तरह समझे। यह ठीक नहीं होगा क्योंकि एक ओर तो हम यह चाहते हैं कि वह शान्तिपूर्ण सत्याग्रहियों के साथ सभ्य बर्ताव करे, दूसरी ओर उस से कहें कि वह इसे युद्ध समझे। पुर्तगाल के विरुद्ध कौन युद्ध कर रहा है—भारत सरकार या कोई स्थानीय संगठन ? इस तरह सोचने से मामला बहुत पेचीदा हो जायगा।

जहां तक हमारी सरकार का सम्बन्ध है, हमारा सत्याग्रह से कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि हमारे राजक्षेत्र में कोई ग़लत बात हो, तो हम उसे रोकते हैं। यदि कोई गलत बात न हो, तो हमारा कोई सम्बन्ध नहीं। यह सरकार का दृष्टिकोण है। इसी तरह कांग्रेस का और अन्य दलों का अपना अपना दृष्टिकोण हो सकता है और उनको अधिकार है कि वे इस दृष्टिकोण के अनुसार कार्यवाही करें। किन्तु सरकार सत्याग्रह को प्रोत्साहन नहीं दे सकती। अधिक से अधिक हम यह कर सकते हैं कि हस्तक्षेप न करें और वह भी इस शर्त पर कि यह हिंसात्मक न हो और इस के कोई बड़े पैमाने की हिंसात्मक घटना न हो। इस लिये जब हम सामुहिक सत्याग्रह की बात कहते हैं, तो इस लिये नहीं कि यह ग़लत है, बल्कि इस लिये कि जिस तरीक़े से यह किया जाता है उस से बड़े पैमाने पर हिंसात्मक कार्यवाही होने का डर है। हो सकता है यह सत्याग्रह ही न रहे या कोई और रूप धारण कर ले। यदि प्रशिक्षित सत्याग्रही पर्याप्त संख्या में मिल सकें, तो वे अनुशासनपूर्वक सामुहिक सत्याग्रह कर सकते हैं सदन को याद होगा महात्मा गांधी ने किस तरह सारा आन्दोलन एकदम बन्द कर दिया था और कहा था कि अब केवल एक आदमी जायेगा। हम इन महत्वपूर्ण बातों को नहीं समझ सकते। किन्तु एक बात स्पष्ट है। यदि हम शान्तिपूर्ण तरीक़ों से इस प्रश्न का हल चाहते हैं, तो हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिये, जो स्वयं शान्तिपूर्ण होते हुये भी हिंसा का कारण बन सके। यदि एक भी हिंसात्मक पग उठा लिया गया, तो हमें हिंसा के दूसरे और तीसरे पग के लिये तैयार रहना पड़ेगा। हमें उत्तेजित हो कर कोई काम नहीं करना चाहिये। ऐसी कार्यवाही का कोई अच्छा परिणाम नहीं निकल सकता। सरकार के लिये या किसी भी संगठन के लिये ऐसी कार्यवाही करना उचित नहीं है। अतः मेरा निवेदन है कि यद्यपि सरकार घोषित नीति का अनुसरण करेगी, तथापि यह नहीं समझना चाहिये कि जो कुछ हो सकता था, वह सरकार कर चुकी है। उचित तरीके से और कार्यवाही भी की जा सकती है, इसमें कुछ समय लगता है। मेरे विचार में सरकार ने जो कुछ किया है या करेगी, उसे प्रभावहीन नहीं समझा जा सकता। इस का प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ेगा। यह सरकार का पक्ष है। जहां तक सार्वजनिक संगठनों का सम्बन्ध है, उन्हें अपने दृष्टिकोण से विचार करना है। सरकार केवल इतना देखेगी कि यह संगठन सीमाओं के अन्दर काम करे।

मैं एक और बात का उल्लेख करना चाहता हूं। पुर्तगाली सरकार ने गोआ, दमन और दियूम लोगों को प्रभावित करने के लिये एक तथाकथित संवैधानिक विधि जारी करने का प्रयत्न किया है। यह स्थानीय सुधार

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

के लिये प्रयत्न है किन्तु इस का कोई महत्व नहीं क्योंकि इस के द्वारा कोई अधिकार या शक्ति नहीं मिलती । संक्षिप्तरूप में इस के बाद भी स्थिति यह होगी कि नई परिषद् में, जो कि बहुत समिति मताधिकार से चुनी गई है, २३ स्थानों में से ११, अर्थात् आधे से भी कम के लिये चुनाव होंगे, और इस परिषद् की भी कोई शक्ति नहीं होगी । बहिराव में सब शक्ति कुछ पदाधिकारियों के पास होगी और गोआ में पुर्तगाली राजतन्त्र के समय से भी कम स्वतन्त्रता होगी । यह असाधारण बात है । आगे बढ़ने की बजाय वे पीछे जा रहे हैं और सुधारों को संकुचित किया जा रहा है । मैं फिर कहूंगा कि हम इन मामलों पर संकुचित, स्थानीय या राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार नहीं कर सकते । हम चाहें या न चाहें हम विश्व के अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के भाग बन चुके हैं । यदि हम इस बात को याद रखें और यह भी याद रखें कि हमारी हर कार्यवाही की अन्य स्थानों पर प्रतिक्रिया होती है तो सम्भवतः हम इन मामलों को उचित दृष्टिकोण से देख सकेंगे ?

श्री कामत : स्पष्टीकरण के हेतु क्या सरकार सीमान्त पर सत्याग्रहियों को चिकित्सा, वैधानिक और परिवहन सम्बन्धी सुविधायें देने के लिये तैयार है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जहां आवश्यक हो, चिकित्सा सहायता देना विभिन्न प्राधिकारियों का साधारण कृत्य है । यह सरकार का कृत्य नहीं है । सम्भवतः स्थानीय निकाय यह सहायता देते होंगे । स्पष्ट है कि चिकित्सा या अन्य सहायता देना सरकार के उस प्रतिनिधि का काम है, जो वहां उपस्थित हो । किन्तु परिवहन की सुविधा देना बड़ी असाधारण बात है ।

अध्यक्ष महोदय : अब सदन की बैठक कल ११ बजे तक के लिये स्थगित होगी ।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, २७ जुलाई, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थागित हुई ।

———